खण्ड-336, अंक-1
शनिवार, 9 पौष, शक संवत् 1900
(30 दिसम्बर, 1978 ई0)

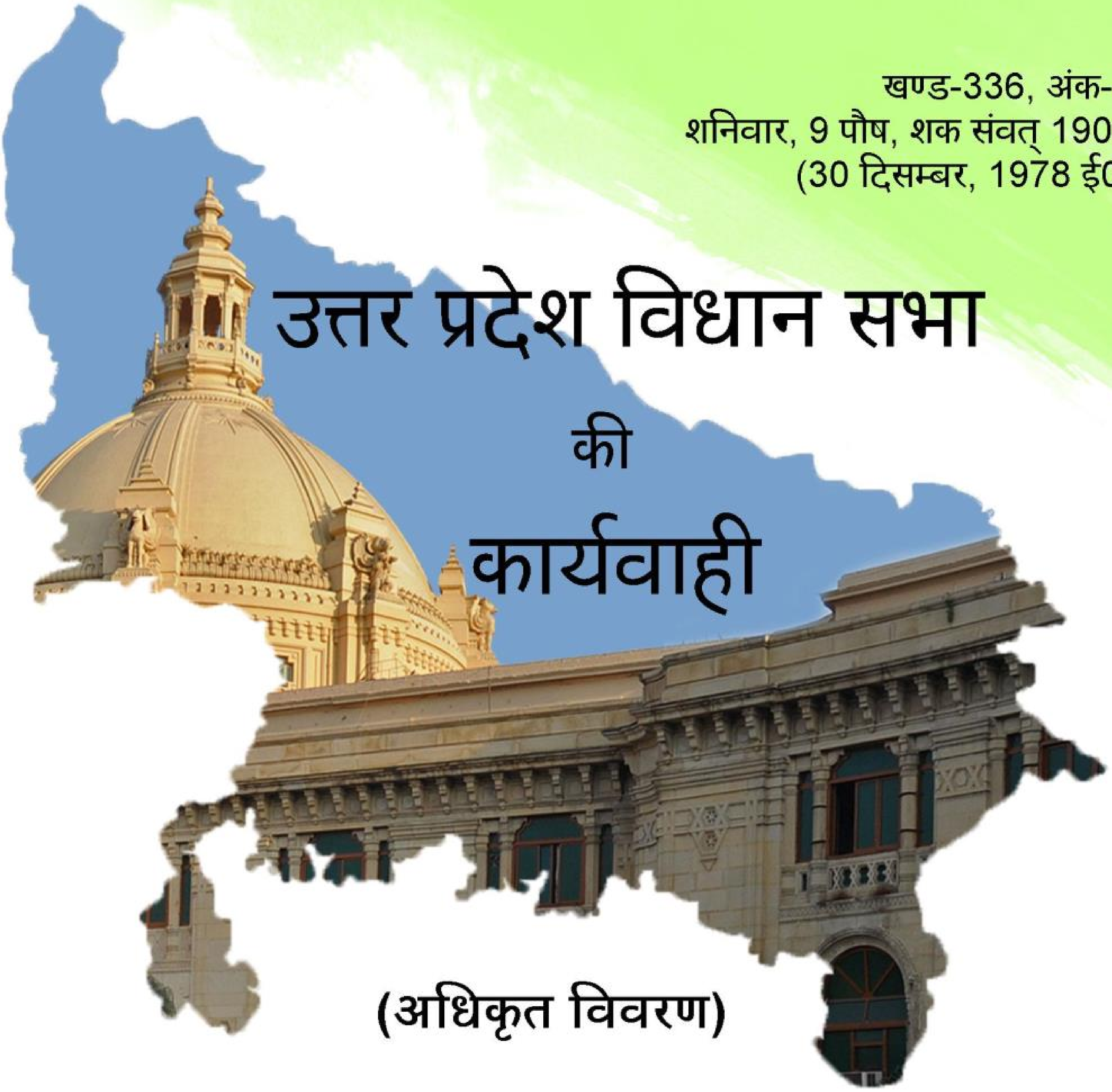

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 336 में 1 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	१३
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	१३
उ० प्र० विनियोग (१९७८-७९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	१३
कतिपय सदस्यों की रिहाई एवं गिरफ्तारी के संबंध में सूचनाएं	१३—१४
शिक्षा मंत्री के विरुद्ध उठाई गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	१४—१५
स्वतंत्र भारत के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१५
न्याय एवं कारागार मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१५—१६
गोन्डा में कांग्रेस (आई०) के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन	१६—१७
इलाहाबाद कलेक्टरी कचेहरी के राजस्व अभिलेखागार में अग्निकांड के संबंध में वक्तव्य	१७—१८
हिमालय के नाभिकीय युक्ति (न्यूक्लियर डिवाइस) स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	१८—२०
लखनऊ-कानपुर व गोरखपुर के समाचार-पत्र उद्योगों के मालिकों द्वारा कर्मचारियों पर दमन के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	२०
कलकत्ता-लखनऊ-दिल्ली की ४१० नम्बर की सेवा में बोइंग विमान के अपहरण के सम्बन्ध में निन्दा के प्रस्ताव को आज ही लिए जाने की मांग	२१—२५
प्रदेश में विद्युत चालित निजी नलकूपों का अधिकतम विद्युत शुल्क १२ रु० प्रति हार्स पावर प्रति माह रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (वापस लिया गया)	२५—५३

विधान परिषद्

विषय	पृष्ठ-संख्या
वाराणसी जिले की तहसील ज्ञानपुर को अलग जिला बनाये जाने तथा मिर्जापुर की राबर्ट्सगंज व दुद्धी तहसीलों को मिलाकर एक अलग जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (वापस लिया गया)	५३—६५
शाह जांच आयोग की रपट के आधार पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध अतिशीघ्र कठोर कार्यवाही करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	६५—९३
शिक्षा मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	९३—९४
सिंचाई मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	९४—९५
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	९५—९६
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९७७ (जारी)	
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९७७ को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव तथा कार्य-सूची के मद १२ से १७ तक के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	९६—१०९
कांग्रेस (आई०) के सत्याग्रहियों के जेल से रिहा किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	१०९—११०
कानपुर से लखनऊ जाने वाली यात्री गाड़ी में डकैती की घटना तथा एक युवक को चाकू मार कर हत्या के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य श्री गेन्दा लाल गुप्त, सदस्य, विधान सभा की सुरक्षा की मांग	१११—११४
फर्रुखाबाद में आलू की नयी फसल के निर्यात के अभाव में आलू उत्पादकों के संकट के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	११४—११५
सदन के अनिश्चितकाल के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	११५—११६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9149

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(30 दिसम्बर, 1978)

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 3 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—302

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रउफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदल, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम गितन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरू प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री

चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवराम, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हे लाल करील, श्री
नरेन्द्र चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पदान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री एडवोकेट
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुलवारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिन्दू लाल, श्री
बिशन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कशवाहा, श्री

विधान सभा पुस्तकालय

ब्रह्म दत्त दिववेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल दिववेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मालिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मनिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द्र ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
गंजी लाल कुरील, श्री
रघवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम जनम, श्री
रामजी, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री

रेवती रमण रस्तोगी, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलावत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोभन सिंह जोना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाइ)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम नागर, श्री
सुखलाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरि कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—हरिजन विकास एवं समाज कल्याण मन्त्री श्रीमती चन्द्रावती तथा विद्युत मंत्री श्री रवीन्द्र किशोर शाही सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर संशोधन स्वीकृत होने से सरकार की पराजय के विषय में समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा (जिला-हरदोई)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है और मैं आपकी आज्ञा भी ले चुका हूं, वह यह है कि आज अखबारों में पढ़ा है कि "यादव गवर्नमेंट वाज नाट डिफीटेड" जो कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव पर यहां पर संशोधन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, इसके बारे में कहना यह है कि जब मंत्रि-परिषद के एक मंत्री की ओर से यहां पर प्रस्ताव रखा गया और वह प्रस्ताव गिर गया, तो सरकार की नैतिक पराजय तो हो ही चुकी है। उसके सिलसिले में यह कहना कि पराजय सरकार की नहीं हुई, गलत है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय दिवे जी जब कोई प्रस्ताव रखते हैं, तो सरकारी प्रस्ताव मान लिया जाता है और मंत्रि परिषद् का दूसरा सदस्य माननीय हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव जब प्रस्ताव रखते हैं, तो उसे गैर सरकारी क्यों माना जाता है? इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

विविध विषय

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला-कानपुर)—

मान्यवर, कानपुर की घाटमपुर तहसील में साम्प्रदायिक उपद्रव होने की आशंका है, वहां पर सब तैयारियां हो चुकी हैं। अभी-अभी मेरे पास यह सूचना आई है। मान्यवर, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर गृह मंत्री जी से वक्तव्य दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। यह शून्य प्रहर के लिए (व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री राम आसरे अग्निहोत्री—

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मान्यवर। बड़ी खून खराबी की स्थिति पैदा हो गयी है।

(श्री रजीन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, यह शून्य प्रहर के लिए आप जो भेजे थे वह मिल चुका है। वह जो आपको सूचना है अखबार के ऊपर आधारित है। अभी २ महीने बाकी हैं फाइनेंशियल इयर

[श्री उपाध्यक्ष—]

समाप्त होने को । ३० करोड़ वाली बात आपने कही है, वह आपकी सूचना केवल अखबार की खबर के ऊपर आधारित है । हमारे पास ११ शून्य प्रहर के लिए सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, एक मिनट का अवसर आप दे दें ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे अग्निहोत्री—

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, एक मिनट का अवसर आप दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

रवीन्द्र सिंह जी, आप बैठ जाइये । (व्यवधान)

श्री ओंकार नाथ (जिला-हमीरपुर)—

मान्यवर, यह गंभीर मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

शून्य प्रहर के लिए ११ सूचनाएं मेरे पास आई हैं । (व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ पुनः खड़े होकर कुछ कहने पर) (व्यवधान)

सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों का उत्तर मंत्रियों द्वारा न दिये जाने पर आपत्ति

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला-बहराइच)—

मान्यवर, २०१ के अन्तर्गत जिन प्रश्नों को शून्य प्रहर में उठाया जाता है, उसके बारे में आपने पहले यह व्यवस्था दी है कि उसका एक सप्ताह के अन्दर या उसके दो-एक दिन के बाद नियमानुसार माननीय सदस्य को उसका उत्तर मिल जाना चाहिए । मैंने ७ दिसम्बर, ७८ को बहराइच जिले के ओला और सूखे के संबंध में प्रश्न उठाया था, लेकिन उसके बारे में मुझे आज तक उत्तर नहीं मिला । मैंने एक बार और इसी सम्मानित विधान सभा में निवेदन किया लेकिन लगभग महीना हो रहा है न तो उसका कोई अंतरिम उत्तर मिला है न कोई वक्तव्य दिया गया है । मान्यवर, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए । आज संभवतः विधान सभा स्थगित होने वाली है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में मैं अभिलेख दिखवा कर पता लगवा लूंगा अगर सूचना सरकार ने आपके पास भेजी होगी तो उसकी एक प्रतिलिपि हमारे कार्यालय में भी आई होगी । अगर

आपके पास सूचना नहीं गयी होगी तो मैं सरकार को पुनः निर्देश दूंगा कि तुरन्त कार्यवाही करके उसकी सूचना आपको भेजें ।

श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैंने एक सूचना दी है उस पर क्या निर्देश हुआ है ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, एक मिनट मुझे भी सुन लें ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, आपने एक व्यवस्था दे दी वह बहुत ही ठीक है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कितने बार किसी बात को दोहराया जाय कि उसका उत्तर मिले । मैंने दो तीन बार कहा है । जो श्रीमन् का आदेश है उसका भी पालन नहीं हो पाता है । श्रीमन्, के आदेश होते हुए भी कार्यवाही नहीं हुई है ।

नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाई जाने वाली आज की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मान्यवर, मेरे पास शून्य प्रहर के अन्तर्गत ११ सूचनायें प्राप्त हुई हैं । श्री अशोक बाजपेयी, श्री अठई राम, श्री श्याम सुन्दर गुप्त, श्री श्रीनारायण, श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री राघव राम मिश्र, श्री राम आसरे अग्निहोत्री की सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं को सरकार के पास . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, व्यवस्था देने के पहले मेरी बात सुन लीजिए ।

मान्यवर, आज सदन का अंतिम दिन है । सारी सूचनाओं के बारे में आप व्यवस्था देने जा रहे हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि नियम ३०१ के अंदर जो सूचनायें दी जाती हैं उनके संबंध में माननीय अध्यक्ष की ओर से, आपकी ओर से कुछ नीति निर्धारित हो चुकी है । जो सूचनायें आपको दी जाती हैं उस पर आप निर्णय लेते हैं और माननीय सदन के अन्दर पढ़ने की आज्ञा दी जाती है । तो मेरा निवेदन है कि जितनी भी सूचनायें सरकार के पास जाती हैं, तो सरकार के पास सूचनायें हम भेज सकते हैं, माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष या सदन की उसमें आवश्यकता नहीं है । कोई भी आवेदन पत्र सरकार के पास भेज सकता है लेकिन मान्यवर, ३०१ के अन्दर सूचना देने का अलग महत्त्व होता है और माननीय अध्यक्ष उनको स्वीकार करते हैं । आज अन्तिम दिन है अतः मेरा निवेदन है कि जो सूचनायें मिली हैं सबको पढ़ने की अनुमति दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल कार्य मंत्रणा समिति में यह सर्वसम्मत से फैसला लिया गया था कि चूंकि आज गैर सरकारी दिवस है और समय निश्चित है ६ घंटे का तो उस समय में कटौती न की जाय । इस कारण फैसला ले लिया गया था कि ३०१ की सूचनायें पढ़ी नहीं जायेंगी ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, यह कार्य मंत्रणा समिति के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं । आज प्रश्नोत्तर काल नहीं हैं । इसलिये नहीं हैं कि इस संबंध में नियमों में प्राविधान हैं । नियम ५६, नियम ५१ की कोई सूचना हैं या विशेषाधिकार का प्रश्न हैं इन चीजों के बारे में कार्यवृत्त में रखना पड़ेगा । यह कार्य मंत्रणा समिति के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं । आज प्रश्नोत्तर काल नहीं हैं, नम्बर तीन पर सदस्यों की गिरफ्तारी, नंबर ४ पर विशेषाधिकार हैं फिर कार्य स्थगन प्रस्ताव के बारे में हैं । कार्यवृत्त के १८ में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाओं के संबंध में प्राविधान दिया हैं । नियम ३०१ के संबंध में कार्यवृत में नहीं छापा जाता हैं । इसलिये मेरा निवेदन हैं कि नियम ३०१ के संबंध में यदि कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया हैं कि सूचनायें पढ़ी न जायं तो यह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात हैं, यह कार्य मंत्रणा समिति नहीं तय कर सकती हैं । यदि तय करती हैं कि नियम ५६ में कोई सूचना नहीं ली जायेगी तो फिर इसमें छापा क्यों गया ? आप हमारे रक्षक हैं । आज सत्र का अन्तिम दिन हैं और सारी सूचनाओं को पढ़ने में १० मिनट लगेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

नियम ३०२ के बारे में कार्य मंत्रणा समिति ने यदि कुछ तय किया तो उसको सदन में घोषित किया जाना चाहिये और माननीय सदस्यों में सरकुलेट किया जाना चाहिये था । कल इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी । इसलिये नियम ३०१ के अंतर्गत जो सूचनायें आयी हैं उनको पढ़ने की इजाजत दी जानी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल फैसला लिया गया था, मालवीय जी ने आपत्ति की, कि इसके लिये नियम ३०१ में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि कल एक सर्वसम्मत से फैसला लिया गया था और कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य माननीय श्याम धर मिश्र जो कल बैठक में मौजूद थे, तो वह इस संबंध में जो निश्चय हुआ था, बतायें ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, जैसा मालवीय जी ने कहा हैं तो वह ठीक हैं और आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं तो कृपया १० मिनट का समय दे दें ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आप बिलकुल सही हैं । आपकी अनुपस्थिति में निश्चय हुआ था । लेकिन यह बात सही है और मैं आशा करता था कि जब कार्य मंत्रणा समिति की बात कही जायेगी तो कहा जायेगा कि यह भी निश्चय किया गया हैं और लोगों को सूचना दी जायेगी ३०२ नियम के संबंध में । इसके अलावा यह भी निश्चय हुआ था कि नियम ३०२ और कार्य स्थगन यह नहीं लिये जायेंगे । केवल एक विशेषाधिकार की बात अध्यक्ष पर छोड़ी गयी थी कि कोई यदि आयेगा तो देखा जायेगा । तो मैं आशा करता था कि यह

सदन के समक्ष आयेगा । तो क्यों नहीं आया ? आपको भी निश्चय करना है, आपको भी अधिकार है । आपका अधिकार है कि आज हम कोई स्वीकृति नहीं देते हैं । लेकिन जहां कार्य मंत्रणा समिति का सवाल है मैंने उसकी बात आपके सम्मुख रख दिया ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, आप अपने स्वविवेक से तय करें कि क्या लिया जायेगा । कार्य-मंत्रणा समिति यह नहीं तय कर सकती है, यह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष—

११ सूचनायें आयी हैं जिसमें आपकी भी है । मैंने कार्य मंत्रणा समिति के निश्चय के आधार पर किसी को स्वीकार नहीं किया है लेकिन जितनी सूचनायें आयी हैं वह सब मैं सरकार को इस निर्देश के साथ प्रेषित करूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर, और उसी तरह जिस प्रकार जीरो आवर में माननीय सदस्य सूचनाओं को पढ़ते हैं, विचार करें और तत्काल कार्यवाही करें ।

यादव सरकार की पराजय के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार के विषय में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर कोई जवाब नहीं दिया ?

श्री उपाध्यक्ष—

राम आसरे वर्मा जी ने एक आपत्ति उठायी जिसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय ने कल ही एक निर्णय दे दिया था ।

(व्यवधान)

आप बैठें । मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप बैठ जायें । यह जो हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव जी ने प्रस्ताव रखा था वह एक कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य के हैसियत से पेश किया था । सरकार का यह कोई प्रस्ताव नहीं था । इसलिये माननीय अध्यक्ष जो निर्णय दे चुके हैं कि इसको वे सरकार की पराजय (डिफीट) नहीं समझते । मैं उसी निर्णय को अंतिम मानता हूं और सब को मानना चाहिये ।

(सचिव विधान सभा को पुकारे जाने पर)

सिंचाई विभाग द्वारा ३० करोड़ रुपया समर्पित किये जाने के संबंध में जानकारी की मांग

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण विषय आप के संज्ञान में लाना चाहता हूं । आज के स्वतंत्र भारत अखबार में छपा है कि ३० करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के सिंचाई बजट से लैप्स होने जा रहा है । सिंचाई खेती के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है । मान्यवर, जहां ट्यूब वेल नहीं हैं, सिंचाई के दूसरे साधन नहीं हैं, ऐसी स्थिति में सिंचाई का तीस करोड़ रुपया सरेन्डर होने वाला है, यह अत्यन्त ही खेद का विषय है । मैं आपसे

[श्री रवीन्द्र सिंह—]

आग्रह करूंगा कि सिंचाई मंत्री जी मौजूद हैं अगर अखबार में छपी खबर निराधार है तो बहुत अच्छी बात है, माननीय सिंचाई मंत्री इसका खंडन कर दें लेकिन सुनिश्चित तथ्यों के आधार पर एक-एक आइटम पर, बड़ी और छोटी योजनाओं के संबंध में, बिजली विभाग से संबंधित योजनाओं पर स्वतंत्र भारत ने छापा है। इस विषय में माननीय सिंचाई मंत्री जी से वक्तव्य दिला दें। यदि खबर निराधार है तो बहुत अच्छी बात है और अगर लैप्स हो रहा है, सिंचाई विभाग सरेन्डर कर रहा है तो यह प्रदेश के लिए बड़ी गंभीर स्थिति है।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है किसी अखबार की रिपोर्ट पर कहा है। अभी सरेन्डर करने का क्या मतलब है। अभी सिंचाई विभाग का काम करने का जमाना तो चल रहा है। जो कुछ भी हमको दिया है मुझे पूरी आशा है कि हम उसका पूरा इस्तेमाल कर सकेंगे और योजनाओं को समाप्त करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि उसे मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन किसी समाचार पत्र में लिखी बात के कारण ही प्रश्न रखना मेरी समझ में नहीं आता। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरेन्डर करने का इस वक्त सवाल नहीं है। यह गलत है।

कांग्रेस (आई०) के सत्याग्रहियों के जेल से रिहा किये जाने के संबंध में जानकारी की मांग

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष जी आज सत्र का अंतिम दिन है। श्रीमन्, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि २८ दिसम्बर को मैंने एक प्रश्न उठाया था। स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं ६ दिसम्बर को उसमें नामिनेशन दाखिल होने वाले हैं। कांग्रेस के सत्याग्रही करीब ३६ हजार इस वक्त जेलों में बन्द हैं। उस समय माननीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिया था कि इस पर वक्तव्य होगा और यह शासन अपनी नीति उसमें घोषित करेगा कि जो ३६ हजार सत्याग्रही गिरफ्तार हैं क्या उनको चुनाव के दौरान छोड़ने का विचार है या नहीं है। यदि नहीं है तो हमारे द्वारा चुनाव को बहिष्कार करने की बात होगी। तो कम से कम जो निर्देश माननीय अध्यक्ष जी ने दिये थे कि शासन इसमें अपनी नीति की घोषणा करे वह तो हो जाय। आज अंतिम दिन है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में यह देखूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी ने इस तरह का निर्देश दिया है या नहीं दिया है। मेरी सूचना यह है कि नहीं दिया है। तो उस दिन की कार्यवाही से मैं देख लूंगा उसके बाद निर्देश दिया होगा तो मैं सरकार से कम से कम वक्तव्य देने के लिए कहूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा आज की नियम ३०१ की सूचना पर तुरन्त कार्यवाही करने की मांग

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष जी मुझे एक निवेदन करना है कि माननीय राम आसरे अग्निहोत्री जी ने ३०१ में सूचना भेजी थी । आपने उसको स्वीकार नहीं किया । यह ही नहीं सभी को स्वीकार नहीं किया । आपने यह कहा कि सरकार से कार्यवाही के लिए इनको भेज देंगे । मेरा एक निवेदन है कि जो इनका कहना है वह आज ही से ताल्लुक रखने वाली बात है । आज शाम को ही एक ड्रामा इनके क्षेत्र में होने आ रहा है जिससे कुछ भयंकर स्थिति पैदा होने की सम्भावना है । तो कृपा करके आप अभी मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकृष्ट करने का कष्ट करें और आज ही उस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करा लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है । इसी समय इसमें निर्देश भेज दूंगा कि इस पर तुरन्त कार्यवाही करें ।

सिंचाई विभाग द्वारा ३० करोड़ रुपया समर्पित किये जाने के संबंध में जानकारी की मांग (क्रमागत)

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, ने सिंचाई वक्तव्य दिया है कि कोई धन समर्पित नहीं होगा । जबकि राजाज्ञा है कि जो अधिकारी समर्पित करेंगे, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । तो जो धन दिया है तो मार्च से दिसम्बर तक क्या प्रगति रही है ? इस पर वक्तव्य दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

उत्तर प्रदेश मातृ एवं शिशु कल्याण कर्मचारी संघ की मांगों के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, २६ तारीख को उत्तर प्रदेश परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है जिसमें अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि इस पर वक्तव्य दें । मान्यवर, आज सदन समाप्त हो रहा है । आज उस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया गया । आज उनका १२ वां दिन है और १७ दिसम्बर को मौन जुलूस निकाला । १८ दिसम्बर से क्रमिक अनशन चल रहा है । इस तरह से २२,००० कर्मचारियों के बीच में भयंकर असंतोष चल रहा है । मैं, मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर, जबकि अध्यक्ष महोदय के आदेश भी हो चुके हैं, वक्तव्य आज ही दिलाने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, मैं सरकार को निर्देश दे दूंगा कि अगर आज दे सकते हैं तो आज ही दे दें वरना जितनी जल्दी हो, सूचना पहुंच जाय ।

बाराबंकी में दवाओं के लाइसेंस के नवीनीकरण न किये जाने के संबंध में जानकारी की मांग

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मेरा भी एक निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मान्यवर, व्यवस्था का तो नहीं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न हो तो कर सकते हैं लेकिन . . .

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

बड़े लोक महत्व की सूचना है और व्यवस्था की भी बात है। मान्यवर, ३०१ में सूचना दी थी लेकिन आपने घोषित किया कि किसी की सूचना नहीं स्वीकार की गयी। लेकिन, मान्यवर, मेरा मामला इस प्रदेश के लिये बहुत ही गंभीर है। मान्यवर, ३१ तारीख से दवाओं के लाइसेंस का नवीनीकरण समाप्त हो जायेगा और आज उसका अंतिम दिन है। बाराबंकी में इस तरह के दवाओं के लाइसेंस के नवीनीकरण के संबंध में रुपया नहीं जमा किया जा रहा है। इससे वहां जनजीवन में गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। लोगों की जिन्दगी का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो सूचना आई है, उसको तुरन्त कार्यवाही के लिये भेज दिया जायेगा।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, आधा घंटा हो गया। व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था हो रही है। इसी तरह से २५ मिनट बीत गये। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, अब इस प्रश्न को नहीं लेंगे।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा को प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, १९७८, जो विधान सभा द्वारा दिनांक १३ दिसम्बर, १९७८, को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २९ दिसम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७८ जो विधान सभा द्वारा दिनांक १३ दिसम्बर, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २९ दिसम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय) (संशोधन) विधेयक, १९७८

सचिव विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ जो विधान सभा द्वारा दिनांक १३ दिसम्बर, १९७८ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २९ दिसम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५३ के अन्तर्गत सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९७८ जो विधान सभा द्वारा दिनांक २७ दिसम्बर, १९७८ को पारित किया गया था और श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २९ दिसम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया है।

कतिपय सदस्यों की रिहाई एवं गिरफ्तारी के संबंध में सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

अधीक्षक जिला जेल गोंडा ने अपने तार दिनांक २९ दिसम्बर, १९७८ जो इस सचिवालय में दिनांक २९ दिसम्बर, १९७८ को प्राप्त हुआ, के द्वारा सूचित किया है कि श्री छेदी लाल, सदस्य विधान सभा, मनकापुर गोंडा अदालत से दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८ को रिहा किये गये हैं।

परगना मैजिस्ट्रेट सदर, आजमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८ जो इस सचिवालय में दिनांक २९ दिसम्बर, १९७८ को प्राप्त हुआ, के द्वारा सूचित किया है कि श्री दुर्ग विजय सिंह, सदस्य विधान सभा पर शांति व्यवस्था के भंग करने के कारण दोषारोपण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २०७/११६/१५१ के अंतर्गत न्यायालय में

[श्री उपाध्यक्ष—]

उनके सामने मुकदमा चलाया गया और दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८ तक मुकदमा चलने के बाद दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८ को थानाध्यक्ष कोतवाली, आजमगढ़ से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि अब श्री दुर्ग विजय सिंह आदि की तरफ से शांति भंग की संभावना नहीं है, उक्त मुकदमों की कार्यवाही समाप्त करके दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८ को उन्हें बाद से अवमुक्त कर दिया गया ।

अधीक्षक, जेल, आजमगढ़ ने भी इस संबंध में अपने तार दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८ जो इस सचिवालय में दिनांक २९ दिसम्बर, १९७८ को प्राप्त हुआ, के द्वारा सूचित किया है कि श्री दुर्ग विजय सिंह सदस्य विधान सभा को दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८ की शाम को जेल से मुक्त किये गये ।

श्री एन० के० मिश्रा, स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद ने वायरलेस संदेश दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८, जो इस सचिवालय में दिनांक २९ दिसम्बर, १९७८ को प्राप्त हुआ, के द्वारा सूचित किया है कि श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा मोहम्मदाबाद, जनपद फर्रुखाबाद भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन निषेधाज्ञा के उल्लंघन में जिला जेल फर्रुखाबाद भेजे गये हैं ।

इसी सम्बन्ध में जिलाधिकारी एस० डी० जे०, फर्रुखाबाद ने भी अपने वायरलेस संदेश दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८ जो इस सचिवालय में दिनांक २९ दिसम्बर, १९७८ को प्राप्त हुआ के द्वारा सूचित किया है कि श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा, फर्रुखाबाद दिनांक २८ दिसम्बर, १९७८ को भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद द्वारा वाद संख्या ४८०/७८ में चालान किये जाने पर जिला जेल में रखे गये ।

शिक्षा मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

ये विशेषाधिकार के दो प्रश्न यहां पर किये गये थे, जिनके बारे में निर्णय मैं सुनाता हूं ।

श्री हरिकेवल प्रसाद, सदस्य, विधान सभा ने माननीय शिक्षा मंत्री के विरुद्ध ७ दिसम्बर, १९७८ को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी ।

माननीय सदस्य का कहना है कि उन्होंने गोरखपुर मंडल के जनपदों में महाविद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों एवं हाई स्कूलों में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था न होने संबंधी पत्र माननीय मुख्य मंत्री एवं शिक्षा सचिव को १९ जुलाई, १९७८ को लिखा था, जिसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री ने उन्हें ७ अगस्त, १९७८ को दिया कि कार्यवाही हेतु सचिव, शिक्षा को निर्देश दे रहा हूं । परन्तु शिक्षा मंत्री ने ६ दिसम्बर, १९७८ की कार्य सूची के मत्दी (ग) के अतारांकित प्रश्न संख्या २२, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या उक्त आशय का कोई पत्र किसी जनप्रतिनिधि का माननीय मुख्य मंत्री तथा शासन को १६ जुलाई, १९७८ को मिला है, के उत्तर में कहा 'जी नहीं' ।

माननीय श्री हीरकेवल प्रसाद का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने जानबूझ कर सदन को गुमराह किया, तथ्यों को छिपाया और इस प्रकार विशेषाधिकार की अवहेलना की।

माननीय श्री हीरकेवल प्रसाद की उपर्युक्त सूचना को माननीय शिक्षा मंत्री को वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु भेजा गया था। माननीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि उपर्युक्त प्रश्न में दिनांक १६ जुलाई, १९७८ के पत्र का उल्लेख है जबकि इस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न में १९ जुलाई, १९७८ के पत्र का उल्लेख किया गया है, जो उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री एवं शिक्षा सचिव को लिखा था। उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न संख्या २२ में उल्लिखित पत्र तथा विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना में उल्लिखित पत्र की तिथियों में अंतर है। सूचना में माननीय श्री हीरकेवल प्रसाद ने माननीय मुख्य मंत्री जी के पत्र एवं मूल प्रश्न के उत्तर को संलग्न करने की बात कही है किन्तु उन्होंने अपनी सूचना के साथ कोई पत्र संलग्न नहीं किया है।

ऐसी दशा में यह सूचना उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ६४ के अंतर्गत अग्राह्य है। अतः मैं इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूँ।

स्वतंत्र भारत के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री सुखपाल पांडेय ने स्वतंत्र भारत के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक के विरुद्ध सदन के अवमान की एक सूचना दी है।

माननीय सदस्य का कहना है कि ३० दिसम्बर, १९७८ को स्वतंत्र भारत के पृष्ठ १ पर सदन की कार्यवाही का शरारतपूर्ण एवं दुर्भावना ग्रस्त गलत प्रकाशन किया गया है।

मैं इस संबंध में स्वतंत्र भारत के सम्पादक से वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ और उक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त इस प्रश्न पर अपना निर्णय दूंगा।

न्याय एवं कारागार मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री श्याम धर मिश्र तथा श्री देव बहादुर सिंह ने माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह, न्याय एवं कारागार मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। इस संबंध में एक सूचना श्री गुलाब सुहरा से कल प्राप्त हुई थी जिसे माननीय न्याय एवं कारागार मंत्री को वस्तु स्थिति की जानकारी हेतु भेज दिया गया था।

अतः इस संबंध में निर्णय जानकारी आने के पश्चात् किया जायेगा।

श्री श्याम धर मिश्र तथा श्री देव बहादुर सिंह की जो सूचना आज प्राप्त हुई है, दूसरी सूचना है। अतः उसे अग्राह्य किया जाता है।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन् वह तो भेजा जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

वस्तु-स्थिति की जानकारी के लिये कारागार मंत्री जी को भेज दिया गया है। और जो दूसरी थी वह अग्राह्य हो गयी है। पहली सूचना पर जो निर्णय होगा, आपको सूचित कर दिया जायगा।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष जी, विषय तो एक ही है उसे उसी के साथ जोड़ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

जोड़ा तो है ही।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, इन दोनों लोगों को जोड़ने का अपराध मत कीजिएगा।

श्री बिन्दूलाल (जिला गोंडा)—

मान्यवर, नियम ६३ में मैंने शिक्षा मंत्री जी के विरुद्ध एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न १५ दिसम्बर, ७८ को उठाया था। उस पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब दिया जायगा। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। वह बाद में हो जायगा।

गोंडा में कांग्रेस (आई०) के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़-फोड़ के संबंध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यसूची की मद संख्या ६ के संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने प्रार्थना किया है कि आज दिनांक ३०-१२-७८ की कार्यसूची के क्रम सं० ६ पर दिनांक २१-१२-७८ को गोंडा में हुई घटना के संबंध में माननीय सदस्य सर्वश्री विष्णु प्रताप सिंह, दशरथ सिंह, अशफाक अहमद खान तथा बिन्दू लाल द्वारा दी गई सूचना पर मुझे वक्तव्य देना था।

मुझे खेद है कि उक्त घटना के संबंध में सभी सम्भव प्रयासों के बावजूद भी आज प्रातः तक तथ्य एकत्र नहीं हो पाये हैं। अतः ऐसी स्थिति में मेरे लिये तथ्य देना संभव न होगा।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त घटना के ऊपर वक्तव्य हेतु कोई अन्य तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें।

मैंने इसे स्वीकार कर लिया है।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

कांग्रेस (ई०) ने साफ-साफ कानून का उल्लंघन किया है मैंने अपनी आंखों से घटना को देखा है। गोंडा जिले के विधायकों ने सामूहिक रूप से मुख्य मन्त्री के कक्ष में जाकर एक-एक बात समझाई। धारा १४४ के बावजूद कांग्रेस के ३०, ३५ कार्यकर्ताओं ने प्रधान मन्त्री का पुतला बनाया, एक जुलूस निकाला।

श्री उपाध्यक्ष—

जिस दिन स्वीकार किया गया था, वह उस दिन आप यह सब कह चुके हैं।

श्री दशरथ सिंह—

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें। आपका यह कथन कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री दशरथ सिंह—

[x x x]

इलाहाबाद कलेक्ट्री कचहरी के राजस्व अभिलेखागार में अग्निकाण्ड के संबंध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

अब मद ९ को मैं ले रहा हूं जिसमें राजस्व मन्त्री का वक्तव्य है।

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार २९-१२-९८ को लगभग ११-३० बजे दिन में राजस्व अभिलेखागार के कुछ कर्मचारियों ने बिजली की तेज रोशनी देखी। उन लोगों ने तुरन्त मेन स्वीच बुझा दिया और बिजली मिस्त्री को बुला कर लाये। बिजली मिस्त्री को इमारत की तीसरी मंजिल पर एक टूटा हुआ बल्ब मिला और होल्डर से चिनगारी निकलती हुई मिली। उसे ठीक कर दिया गया। दूसरी मंजिल पर भी एक टूटा बल्ब मिला और होल्डर जलता हुआ मिला। मिस्त्री ने इसे भी ठीक कर दिया। इसी बीच में एक अन्य स्थान से जलने की बदबू मालूम हुई जिधर देखने से ज्ञात हुआ कि अभिलेखागार में आग लग गयी है जो तेजी से बढ़ रही है। अतः तुरन्त अग्निशमन दल बुलाये गये जिन्होंने लगभग डेढ़ घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। अभिलेखागार के काफी बस्ते व अभिलेख आग से नष्ट होने से बचा लिये गये हैं और उनको तरतीब से लगाने के लिये दो डिप्टी कलेक्टरों को नियुक्त कर दिया गया है। क्षतिग्रस्त और नष्ट हुए डंड स्टाफ की इन्वेन्ट्री बनवायी जा रही है और क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। तहसीलों एवं न्यायालयों के अभिलेखों एवं पत्रावलियों की सूची बना कर सील कर दिया गया है तथा सभी तहसीलदारों को यह आदेश दे दिया गया है कि वे नामान्तर बहियों के प्रत्येक पृष्ठ पर सदिनांक हस्ताक्षर बना दें तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले परवाना अमल दरामदों का अमल दरामद उनकी शुद्धता के पूर्ण जांच के पश्चात ही करावें ताकि फरजी व्यक्ति अपना नाम अभिलेखों में दर्ज न करा सकें।

नोट—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री शारदा भक्त सिंह—]

इस वर्ष मई में जब दीवानी कचहरी में आग लगी थी उसी समय से इस प्रकार की दुर्घटना की रोकथाम के लिये जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्था कर दी गयी थी जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त बिजली के तारों का परीक्षण भी सम्मिलित था। बिजली के तारों की जांच विद्युत् यांत्रिक खंड, सा० नि० वि० इलाहाबाद तथा परिषद् के अवर अभियन्ता द्वारा कराकर आवश्यक आगणन सा० नि० वि० के यांत्रिक खण्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये जो उक्त खण्ड में विचाराधीन थे। इसी बीच यह दुर्घटना घट गई।

इस घटना के कारणों की जांच के लिये मजिस्टीरियल जांच के आदेश दिये जा चुके हैं जो प्रगति में हैं। जांच पूरी होने के बाद ही कोई अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा। वैसे आभास मिलता है कि यह घटना बिजली के अचानक हाई वोल्टेज हो जाने के कारण हुई है। यदि मजिस्टीरियल जांच में किसी उच्छेदक कार्यवाही का संदेह पाया जायगा तो सी० आई० डी० तथा अन्य माध्यमों से जांच कराने पर विचार किया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री मोहन सिंह के खड़े होने पर) इस वक्तव्य पर स्पष्टीकरण हेतु कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं कोई सप्लीमेंटरी प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी को इसे सी० बी० आई० के सुपुर्द करने में क्या एतराज है क्योंकि वह खुद स्वीकार करते हैं कि मई के महीने में भी इसी तरह की आग वहां लगी थी उसके बारे में जांच कराई गई जिससे बहुत भारी मालमात हुए हैं इसलिए मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी में बहुत सारे अंदरूनी तथ्य हैं उनके प्रकाश में आने की संभावना नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

सप्लीमेंटरी नहीं हो सकते लेकिन सफाई हो सकती है।

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया)

हिमालय में नाभिकीय युक्ति (न्यूक्लियर डिवाइस) स्थापित किये जाने के संबंध में वक्तव्य

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, माननीय सदस्यगण ने सदन को सूचना दी है कि हिमालय के नन्दा देवी शिखर पर नाभिकीय ऊर्जा युक्त एक ऐसा आणविक उपकरण रह गया है। जिससे यह आशंका है कि देश की पवित्र नदी गंगा का जल कहीं दूषित न हो जाय, जिससे पर्यावरण तथा जन-जीवन को खतरे की सम्भावना की ओर इंगित किया गया है। यह चिन्ता का विषय है।

उस समय के अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उस समय दूर और पास में होने वाली वैज्ञानिक गतिविधियों के संदर्भ में भारत सरकार और संयुक्त राज्य

अमरीका सरकार के बीच उच्चतम स्तर पर यह निर्णय लिया गया था कि नाभिकीय शक्तिसंकुल सहित एक दूरस्थ संवेदी युक्ति नन्दा देवी के उच्चतर शिखर के पास किसी स्थान पर स्थापित कर दी जाय, जिससे प्रक्षेपास्त्र संबंधी घटनाओं की जानकारी समय-समय पर मिलती रहे। तदनुसार, भारतीय तथा अमरीकी पर्वतारोहियों का एक संयुक्त दल आवश्यक वैज्ञानिक उपकरणों के साथ इस युक्ति को स्थापित करने के लिये २५,००० फुट की ऊंचाई पर गया। २३,००० फुट की ऊंचाई पर पहुंचने के उपरान्त उक्त दल बर्फानी तूफान में फंस गया, जिसके कारण पहाड़ पर और ऊपर चढ़ना असम्भव हो गया और दल के लिए घातक संकट उत्पन्न हो जाने के फलस्वरूप उसे मजबूर होकर २३,००० फुट की ऊंचाई पर स्थित नीचे के शिखर पर लौटना पड़ा। उन्होंने उक्त उपकरण को सुरक्षित स्थान पर छिपा कर रख दिया। सर्दियों का मौसम आ जाने के कारण इस युक्ति को पुनः ढूंढ़ कर निकाल लेना उस समय सम्भव नहीं था और इसलिये यह कार्य स्थगित करना पड़ा। अगले मौसम में (मई, १९६६ में) इस युक्ति को प्राप्त कर स्थापित करने के उद्देश्य से पुनः पर्वतारोहण दल के जाने पर यह ज्ञात हुआ कि उस क्षेत्र के आसपास भारी हिम स्खलन हुआ है और जिसके कारण युक्ति का पता नहीं लगाया जा सका। इसकी तलाश जारी रही और यह प्रयत्न १९६८ तक किया जाता रहा, परन्तु यह उपकरण वैज्ञानिक साधनों से भी न तो दिखाई दिया और न ही इसका पता लग सका।

इसी प्रकार वर्ष १९७० तक पानी के नमूने लिये जाते रहे और कुछ वर्ष तक उन पर बराबर निगाह रखी गई, परन्तु कहीं किसी प्रकार के दूषण का पता नहीं चल पाया।

वर्ष १९६९ में इस क्षेत्र में एक नई युक्ति ले जाई गई, जिससे निकटवर्ती शिखर पर स्थापित कर दिया गया। कुछ समय तक यह युक्ति सामान्य रूप से काम करती रही परन्तु बाद में वर्ष १९७८ में उसे निकाल लिया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस लौटा दिया गया।

यह युक्ति एक ऐसी शक्ति प्रणाली है जो कि २-३ पाउन्ड प्लूटोनियम २३८ पेटल एलोय से अर्जित है और ऐसे कई दोहरे खोलों में रखा हुआ है जिनसे वह रिस नहीं सकता है। इस प्लूटोनियम को धारण करने वाले अन्दर के खोल २० एम० एम० मोटे टैंनटेलम के बने हैं, जो एक दूरगलनीय धातु (रिफ्रेक्ट्री मेटल) है। टैंनटेलम का पहला काम तो यह है कि वह प्लूटोनियम ईंधन की संक्षारक क्रिया को (कोरोसिव ऐक्शन) रोके। इसके बाहर के खोल निकल एलोय के बने हैं, जो बहुत ही मजबूत होते हैं और उनमें तापमान के उतार-चढ़ाव सहने की शक्ति होती है। इस समूचे युक्ति का कुल भार २८ पाउण्ड है।

उक्त से स्पष्ट है कि उस समय सुरक्षा के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया था, जिनमें इस काम को करने वालों के लिए और सामान्य जनता के लिये सम्भावित खतरों से सुरक्षा भी सम्मिलित है, और इससे यह निष्कर्ष परिलक्षित होता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका ने जो परीक्षण किये हैं उनसे यह पता चलता है कि अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यह समूचा ईंधन अनायास पानी

[श्री राम नरेश यादव—]

में खुल जाने की स्थिति में पानी के दूषित होने की अगर कोई सम्भावना है भी तो इतनी नहीं कि वह असुरक्षा की सीमा तक पहुंच जाय। ऐसी असम्भावित स्थिति आ जाने पर भी ५,००० गैलन पानी प्रति दिन का बहाव स्वयं ही पानी में घुली सामग्री को इतना पतला कर देगा कि उससे पीने के पानी पर उसका कोई असर नहीं रह जायेगा। वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि इसके अचानक खुल जाने की वजह से वायु प्रदूषण का खतरा भी कम है। इसके डिजाइन की बारीकी और सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार की है कि इसके टूट जाने और इसके परिणामस्वरूप जल और पर्यावरण के प्रदूषण संबंधी संकटों से बचने के लिए इसमें अधिकतम सम्भव सुरक्षा सुनिश्चित की गयी है।

अभी हाल ही में भागीरथी नदी में जो बाढ़ आई थी उस समय तथा उसके पश्चात् पानी की गुणता का अनुश्रवण किया गया उसमें भी नाभिकीय युक्ति के कारण कोई कुप्रभाव नहीं पाया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण के लिये खतरे के आधार पर कोई संकट दृष्टिगत नहीं होता है। यह संतोष की बात है कि अब तक कुप्रभाव की कोई बात देखने में नहीं आई है।

लखनऊ, कानपुर व गोरखपुर के समाचार पत्र उद्योगों के मालिकों द्वारा कर्मचारियों पर दमन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसे मैंने अस्वीकार किया है। यह सूचना डा० अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' की लखनऊ, कानपुर व गोरखपुर के समाचार-पत्र उद्योगों के मालिकों द्वारा कर्मचारियों पर दमन चक्र के कारण भारी आतंक के संबंध में है। इसे मैंने तुरन्त कार्यवाही करने के निर्देश के साथ सरकार को भेज दिया है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला-कानपुर)—

श्रीमन् सदन तो आज तक ही है, आज उठने वाला है। यह १२ सौ समाचार-पत्र पत्र कर्मचारियों का गंभीर मामला है। दैनिक नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज के कर्मचारी परेशान हैं। मालिकान मंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि गृह मन्त्री या मुख्य मंत्री जी जो यहां उपस्थित हैं इस महत्वपूर्ण मसले पर आज सायंकाल तक अपना वक्तव्य दे दें। तो मुझे आशा है कि १२ सौ कर्मचारियों का जीवन सुरक्षित हो सकेगा न्यायालय के फैसले का आदर हो सकेगा और अनशन पर बैठे लोगों को राहत मिल सकेगी। यों आगे तीन-चार महीने में क्या होगा, इस लोक तंत्र सरकार का क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है।

कलकत्ता-लखनऊ-दिल्ली की ४१० नम्बर की सेवा में बोइंग विमान के अपहरण के सम्बन्ध में निन्दा के प्रस्ताव को आज ही लिये जाने की मांग

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला-इलाहाबाद)—

श्रीमन् आप इस सदन के दिनांक २६ दिसम्बर, ७८ के संक्षिप्त कार्य विवरण को देखें, इसमें सरकार की ओर से एक आश्वासन की चर्चा की गई है, जो पेज ३ पर है। मुख्य मंत्री जी इसको सुन लें—

"२० दिसम्बर, १९७८ को कलकत्ता-लखनऊ-दिल्ली की ४१० नम्बर की सेवा में बोइंग विमान के अपहरण के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री रवीन्द्र सिंह और इसी विषय पर श्री शतरुद्र प्रकाश आदि तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय व श्री सोहन वीर सिंह तोमर की सूचनाओं के विषय में श्री अध्यक्ष ने कुछ सदस्यों तथा मुख्य मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वस्त किया है कि इस सम्बन्ध में शासन की तरफ से निन्दा का प्रस्ताव आयेगा। इस लिये उन्होंने इसे कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया है। आज की कार्य-सूची सामने है। उसमें शासन की ओर से कोई भी निन्दा का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव आ चुका है। आपने देखा होगा कार्यसूची को, एक प्रस्ताव आ चुका है। लेकिन इसके लिए कोई समय अभी निश्चित नहीं किया गया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

कौन सा है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था शासन की ओर से इस संबंध में निन्दा का प्रस्ताव इस सदन के अन्तर्गत रखा जायगा। आज सदन का अंतिम दिन है। ऐसी अभूतपूर्व घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लोक तंत्र का हनन करने वाली घटना हुई भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने पहली मरतबा जेल काटा उसके सिलसिले में हवाई जहाज को नकली पिस्तौल और नकली गोले दिखाकर उड़ा दिया गया। माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया था कि यह कार्यस्थगन का प्रस्ताव ग्राह्य है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है कि इस संबंध में शासन की ओर से निन्दा का प्रस्ताव आयेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पहले कि जनता पार्टी के सदस्यों की ओर से कार्य-स्थगन प्रस्ताव आता शासन की ओर से निन्दा का प्रस्ताव आना चाहिए था लेकिन जनता पार्टी के सदस्य कार्य-स्थगन प्रस्ताव ले आयें तब शासन ने आश्वासन दिया। उसके बाद में जानना चाहता हूं कि निन्दा का प्रस्ताव क्यों नहीं सदन के समक्ष आया?

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला-वाराणसी)—

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अध्यक्ष ने यह कहा है—"२० दिसम्बर, १९७८ को कलकत्ता-लखनऊ-दिल्ली की ४१० नम्बर की सेवा में बोइंग विमान के अपहरण के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार

[श्री उपाध्यक्ष—]

गुप्त तथा श्री रवीन्द्र सिंह और इसी विषय पर श्री शतरुद्ध प्रकाश आदि तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय व श्री सोहनवीर सिंह तोमर की सूचनाओं के विषय में श्री अध्यक्ष ने कुछ सदस्यों तथा मुख्य मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वस्त किया है कि इस संबंध में शासन की तरफ से निन्दा का प्रस्ताव आयेगा" । यह तो मैंने आपसे पहले ही कहा, कार्य मन्त्रणा समिति . . ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, निवेदन सुन लें । जब सदन में स्पष्ट हो गया कि निन्दा का प्रस्ताव आयेगा, यह सदन के अन्दर आयेगा, बाहर नहीं आयेगा । जो सत्र चल रहा है उस सत्र के चलते आयेगा इस प्रस्ताव का आशय यही था, उस आश्वासन का भी यही आशय था । चूंकि यह सदन में आश्वासन दिया गया था उसका यह कतई मतलब नहीं था कि जब सत्र समाप्त हो जायेगा तो माननीय मुख्य मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव ले आयेंगे बल्कि यह था कि उसके पहले सदन के अन्दर यहां निन्दा का प्रस्ताव लाएंगे । इसी आधार पर वह कार्यस्थगन प्रस्ताव वापस लिये गये थे । जब उन्होंने सदन में आश्वासन दिया था तो आज आखिरी दिन है, आज के बाद सदन नहीं बैठेगा, आज सदन उठने से पहले निन्दा का प्रस्ताव लायें और आप स्वीकार कर लीजिये । उस पर आध घंटा, पौन घंटा, एक घंटा, दो घंटा चर्चा हो जाय । यह आप भी कर सकते हैं । कार्यसूची में नहीं है, उसके बावजूद भी कर सकते हैं । उनके आश्वासन को पूरा करने के लिये आप निर्देश दें कि आज शाम को निन्दा का प्रस्ताव ले आएं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आज के लिये कार्यक्रम कार्य मंत्रणा समिति ने सब निश्चित कर दिया है और कल सदन ने भी स्वीकार कर लिया है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

उसके बावजूद भी आप निर्देश दे सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

समय निश्चित करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति के विचाराधीन है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

नियमतः आप व्यवस्था दे सकते हैं । आप निन्दा का प्रस्ताव लेने के लिए निर्देश दे सकते हैं माननीय मुख्य मंत्री को ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, कार्य मन्त्रणा के क्षेत्राधिकार से परे की बात है । अगर आप चाहें तो कर सकते हैं । आपको अधिकार है । आप मुख्य मन्त्री से कह सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि आपको आपत्ति उठानी थी तो कल उठाना चाहिये था जिससे कार्य मन्त्रणा समिति के सामने रखा जाता ।

श्री शत्रुरुद्ध प्रकाश—

जब उन्होंने यहां पर वादा किया और वचन दिया तो वचन क्यों भंग हो रहा है । क्यों नहीं निन्दा का प्रस्ताव ला रहे हैं । नये-नये तथ्य आ रहे हैं । आपने वायदा किया है । मैं यह उम्मीद करता था कि जो आज की कार्य-सूची मिलेगी उसमें यह होगा । लेकिन जब नहीं था तो मैंने यह सवाल उठाया है । कार्य मन्त्रणा समिति सोचे या माननीय मुख्य मन्त्री जी सोचें । यह हमारा हक है कि सदन में दिये गये वादों को पूरा किया जाये । आप खुद सक्षम हैं । आप डांटकर कह सकते हैं कि निन्दा का प्रस्ताव रखो ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आपत्ति आप ने उठायी है इसे आपको उसी समय उठानी चाहिए था जब सदन के सामने कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिश को स्वीकार कराने का प्रस्ताव आया था । अब जहां तक निन्दा के प्रस्ताव का सवाल है तो यह समाप्त तो हुआ नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें । माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्य स्थगन के प्रस्ताव में ग्राह्यता को स्वीकार किया था लेकिन वह इस कारण उस दिन नहीं लिया गया था क्योंकि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री की ओर से स्पष्ट रूप से आश्वासन आया था कि निन्दा के सम्बन्ध में शासन की ओर से प्रस्ताव लाया जायगा । जो यह कहते हैं वह करते नहीं हैं । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर जो आश्वासन दिया गया है उसका पालन क्यों नहीं किया गया ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला-गोरखपुर)—

अभी आपने कहा कि अगर आपत्ति उठानी चाहिये थी तो कल उठानी चाहिये थी ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप न बोलें । मैंने श्री श्यामधर मिश्र को बुलाया है ।

श्री रवीन्द्र सिंह— [x x x]

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं । इसलिये जो आप कह रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा । श्री श्यामधर मिश्र को मैंने बुलाया है । वह कार्य मन्त्रणा समिति के सदस्य हैं और एक दल के नेता भी हैं । इसलिये उनके विचार सुनना चाहिये ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं एक दो बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं ।

नोट—[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला-हरदोई)—

उपाध्यक्ष जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

बेगम साहिबा, आप बैठें । आपको मौका मिलेगा । मैंने मिश्रा जी को बुला लिया है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

जहां तक मुझे मालूम है ८-१० प्रस्ताव अध्यक्ष जी ने स्वीकार किये हैं और उनमें एक प्रस्ताव यह भी है । एक प्रस्ताव श्री तिवारी जी का है, जो इसी सदन में ग्राह्य करके रख दिया गया है वह क्या था, वह श्रीमती इन्दिरा गांधी के सम्बन्ध में १९ तारीख को लोक सभा में प्रस्ताव के सम्बन्ध में था । एक प्रस्ताव माननीय कल्पनाथ सिंह का है, एक मेरा है और ४-५ और प्रस्ताव हैं ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र—

समय बढ़ाइये और समय दीजिए सबको वरना एक को समय न दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री शत्रुरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, श्यामधर मिश्र जी तो चाहते हैं कि यह प्रस्ताव सदन में न आये । ये तो वास्तव में उनसे मिलने ही वाले हैं ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, आप मुझे सुन तो लीजिए । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री शत्रुरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, इस मामले में अब और कोई लचक न आने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आंभ्रा जी, आप बैठ जाइये। आज असरकारी दिवस है। १-१ घंटे के ये प्रस्ताव हैं। इस समय १२ बज गये हैं। मैं चाहूंगा कि आप सदन की कार्यवाही में व्यवधान न डालें। अब मैं इस विषय पर किसी भी माननीय सदस्य को नहीं बोलने दूंगा।

(श्रीमती कदीसिया बेगम के खड़े होने पर)

बेगम साहिबा, आप कृपया बैठ जायें।

जहां तक निन्दा के प्रस्ताव का सम्बन्ध है इस प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुयी थी और इसकी ग्राह्यता भी स्वीकार हो चुकी है। उस पर आप कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारित किया जाना है। अगर यह प्रस्ताव इस सत्र में नहीं आ पाता है तो अगले में आ सकता है।

श्री शत्रुरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मैंने कहा कि माननीय मुख्य मन्त्री ने सदन को आश्वासन दिया था तो वे नहीं कहते हैं तो कोई और मन्त्री कह दें कि निन्दा का प्रस्ताव कब लेंगे? (किसी मन्त्री के खड़े न होने पर) क्या सभी के कान बन्द हैं मान्यवर, आप ही बता दें कि इस पर आपने क्या व्यवस्था दी है?

(श्रीमती कदीसिया बेगम के पुनः खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

बेगम साहिबा, अब मैंने इस विषय पर किसी को बोलने की अनुमति न देने का निर्णय लिया है। मैं श्री कल्पनाथ सिंह को बुलाता हूं कि वे अपना प्रस्ताव रख दें।

प्रदेश में विद्युत चालित निजी नलकूपों का अधिकतम विद्युत शुल्क १२ रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिमाह रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला—गोरखपुर)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रदेश में विद्युत चालित निजी नलकूपों का न्यूनतम विद्युत शुल्क १२ रुपये प्रति हार्स पावर प्रतिमाह से अधिक न रखा जाय।

मान्यवर, मैं आपका और सारे सदस्यों का अहसान मन्द हूं जिन्होंने यह प्रस्ताव सदन में रखने की आज्ञा दी और साथ ही मैं प्रधान मन्त्री का भी अहसानमन्द हूं जिन्होंने एक प्रेरणा दी हमें, जब वे पूरे हिन्दुस्तान के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में भाषण कर रहे थे मान्यवर, प्रधान मन्त्री जी ने अपने भाषण में यह कहा था कि कृषि पर बिजली का रेट किसी भी प्रकार के अन्य रेटों से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिये और खासकर उन्होंने अपने भाषण में उद्योग की तुलना कृषि क्षेत्र से की थी। मान्यवर, उनका यह कहना था कि उद्योगों से अधिक रेट किसी प्रकार भी कृषि क्षेत्र पर नहीं होना चाहिए।

[श्री कल्पनाथ सिंह—]

जब पहली जुलाई से यह रेट बढ़ाया गया था तो प्रदेश के सारे समाचार पत्रों, देश के सारे समाचार पत्रों ने इस पर चुटकी ली थी और बहुतों ने इससे अपनी असहमति प्रकट की थी । मान्यवर, इससंबंध में एक और निवेदन कर दूं कि माननीय प्रधान मंत्री ने जो विद्युत बोर्ड (इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स) विभिन्न प्रदेशों में हैं उनकी अक्षमता और भ्रष्टाचार की ओर भी माननीय मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया था । मान्यवर, इस संदर्भ में मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से गलत तथ्य विद्युत परिषद् द्वारा दिये जाते हैं । बस एक ही बात खास कही जाती है कि विद्युत परिषद् को घाटा उठाना पड़ रहा है और इस कारण विद्युत का रेट बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी । मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्युत परिषद् द्वारा किसानों पर अधिक चार्ज लगा कर घाटा पूरा करने के बजाय अगर विद्युत बोर्ड बिजली की चोरी, बेइमानी और भ्रष्टाचार को ही रोकें तो उसी से यह घाटा पूरा हो जायेगा । ठेकेदारों द्वारा दिये जाने वाला कमीशन ही अगर खत्म हो जाए तो उसी से बहुत कुछ घाटा कम हो जायेगा ।

मान्यवर, मेरे सामने महालेखाकार की यह रिपोर्ट है इससे कुछ उद्धरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा । भंडारों के लिये क्रय किये जाने वाली सामग्री के बारे में इसमें कई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार को बताया है । गड़बड़ी के कई उदाहरण इसमें हैं । जो अनियमित भुगतान किये हैं उनका भी इसमें हवाला दिया गया है । विद्युत की चोरी के मामले भी इसमें दर्शाये गये हैं । इसमें चूंकि यह स्पष्टरूप से उल्लिखित है, इसलिये विद्युत परिषद् यह नहीं कह सकती कि हमें इनकी कोई जानकारी नहीं है ।

मान्यवर, यह रिपोर्ट पुराना है, १९७५-७६ की आडिट रिपोर्ट है । अगर इस रिपोर्ट में बतायी गई बातों की ओर विद्युत परिषद् का ध्यान नहीं गया है तो मैं यह कहूंगा कि इस विद्युत परिषद् के फिर रहने की कोई जरूरत ही नहीं है । इससे कोई लाभ नहीं है । यह विद्युत परिषद् अगर अपनी चोरी, भ्रष्टाचार और कुकर्मों के कारण किसानों पर टैक्स लादती है तो कम से कम मैं उसके लिये तैयार नहीं हूं और इसीलिये इन्हीं बातों की ओर ध्यान दिलाना जरूरी है । इन्हीं बातों के कारण मैंने इस प्रस्ताव को रखने के लिए इस सम्मानित सदन की अनुज्ञा चाही थी ।

मान्यवर, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि विद्युत परिषद् ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिये, हैदराबाद की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज द्वारा लिये गये, उनको भी नहीं माना है । पूरी तरह से उन निर्णयों का भी पालन नहीं किया जो हैदराबाद में लिये गये । इसी कारण से यह सब गड़बड़ियां हो रही हैं । भंडार के क्रय के बारे में पेज ७६ पर यह कहा गया है कि मंडल सम्पूर्ति आदेश देने और सम्पूर्ति कर्ताओं के साथ औपचारिक अनुबन्ध करने के लिये भी उत्तरदायी हैं तथापि, संयंत्र और उपकरण उनके निर्माण और चालू करने के लिए उत्तरदायी खंडों द्वारा सीधे प्राप्त किये जाते हैं और भुगतान भी संबंधित खंडों द्वारा किया जाता है जो नहीं होना चाहिये, जो नियम विरुद्ध है और इतना ही नहीं आगे चलकर अगर आप देखेंगे किस प्रकार इसी रिपोर्ट में उसके पृष्ठ ७७ पर क्रय के लिये

अधिकारों का प्रतिनिधान किया गया है १०,००० रुपये से ऊपर लेकिन एक लाख रुपये के ऊपर नहीं, के क्रय का प्रत्येक मामला मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता, उपलब्ध वरिष्ठतम अधिशासी अभियन्ता करेंगा और १०,००० प्रतिमाह की सीमा में और सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता की पूर्व स्वीकृति से प्रतिमाह ५० हजार रुपये तक भंडार क्रय करने के लिए अधिकार सौंपा गया है। मान्यवर, ५ हजार रुपये के ऊपर खुले निविदाओं द्वारा खरीदारी है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसमें कितना समय लेंगे ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप जितना बता दें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रत्येक प्रस्ताव के ऊपर एक-एक घन्टा रखा गया है। तो आपने अपना भाषण ठीक १२ बजे प्रारम्भ किया था।

श्री कल्पनाथ सिंह—

नहीं साहब, १२ बजे के बाद।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा तो २-४ मिनट बाद प्रारम्भ किया होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

तो मान्यवर, इतनी बेइमानी है। मैं महालेखाकार के आधार पर यह उद्धरण देना चाहता हूं और कुछ मोटे-मोटे उद्धरण आपकी आज्ञा से देना चाहता हूं। इसी के पृष्ठ ७९ पर २४ लाख, ९७ हजार दिये गये आदेशों के वित्तीय अधिकारों से अधिक का है। श्रीमन् यही नहीं, मैं इनकी चोरी का कुछ मामला बता दूं। भन्डारों में किस प्रकार चोरी हो रही है। क्रय में चोरी हो रही है। भन्डारों में किस प्रकार चोरी हो रही है उसका उल्लेख पृष्ठ ८८ में किया गया है, जिसके अनुसार सबसे कम एक विद्युत वितरण खण्ड (उत्तरी) बुलन्दशहर में किया गया है और गाजियाबाद में १४ लाख ५ हजार का है। यह तमाम कई खण्डों का मामला है, जो आडिट की नोटिस में आया है और विद्युत परिषद् की नोटिस में है। मान्यवर, इसी प्रकार के कुछ अन्य बातें इसमें दी गयी हैं और आपने समय की बात कर दी, जल्दी कर रहा हूं। मैं १८२ भंडारों से वसूल करने योग्य ४१ लाख, २२ हजार रुपये जो भंडारों के जिम्मे, स्टोर के जिम्मे बकाया है, गड़बड़ी के रूप में जो आडिट के रूप में आया है और कार्यवाही अपेक्षित है, एक करोड़ की गड़बड़ी करने के बाद अगर सब जोड़ दिया जाय, तो ९-१० करोड़ रुपये की जो बात कही जाती है, वह सब इस आडिट में है। जो ईंधन के मंहगाई की बात कही जाती है, उसका भी उल्लेख इसमें है कि किस प्रकार कोयले के मूल्य में गड़बड़ी विद्युत् परिषद् के लोगों द्वारा की गई है और अनधिकृत

[श्री कल्पनाथ सिंह—]

भुगतान किया गया है। मान्यवर, यही नहीं ठेकेदारों को जितना काम था उससे ज्यादा पैसा दिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर मैं यह कह रहा हूं। मान्यवर, कहीं कहीं सामान नहीं खरीदा गया लेकिन पेमैन्ट हो गया। मान्यवर, मैं नहीं कहता कि यह सारी गड़बड़ियां मन्त्री जी के जमाने की हैं। लेकिन मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं, मैं आपको गड़बड़ी का सांल बताना चाहता हूं इसीलिये प्रधान मन्त्री जी को यह कहना पड़ा कि भ्रष्टाचार यहां व्याप्त है। मुझे खुशी होगी अगर मंत्री जी अच्छे सवार के रूप में इस विद्युत परिषद् रूपी घोड़े पर सवारी करेंगे और इसको ठीक करेंगे वरना सारे के सारा ढांचा गड़बड़ हो चुका है इसीलिये किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की जाती है। बड़े-बड़े लोग, मिल वाले, विद्युत पैदा करने के लिये जिनको लाइसेंस मिला है, वह लोग टैक्स पूरा नहीं देते हैं और जरूरत से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। चोरी पकड़ी जाती है उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। यह क्यों हो रहा है? आज तो एक घंटे के समय की बात है। मैं चाहता हूं कि इस सफेद हाथी को दुरुस्त करने के लिये मन्त्री जी आप यहां न सही तो कम से कम कुछ लोगों को बुला लीजिए और अफसरों को बुला लीजिए और आप के दफ्तर में विचार किया जाय। जिस प्रकार से खरीददारी में गड़बड़ी होती है यह बात किसी से छिपी नहीं है। इसीलिये मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। वह यह है कि मन्त्री जी कहेंगे कि हमारे प्रदेश में विद्युत रेट अन्य प्रदेशों से कम है। मैंने जल्दी जल्दी में एक आंकड़ा प्राप्त करने का प्रयास किया है। वह आंकड़ा निसंदेह थोड़ा पुराना है १९७१-७२ का है। लेकिन वह इंडीकेशन है, उसको सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये प्रस्तुत कर रहा हूं। मन्त्री जी तो जानते ही होंगे, मुझे उम्मीद है। आंकड़ा क्या है। १९७१-७२ में हरियाणा में एग्रीकल्चरल परपज के लिये १६.३ पैसे चार्ज करते थे। पंजाब में ८.८ पैसे रेट थे। राजस्थान में १४.८ पैसे थे और उत्तर प्रदेश में १९.७ पैसे रेट थे। यह मैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करता हूं। मंत्री जी कहेंगे तो मैं यह फीगर्स उनके पास भेज दूंगा। यह फीगर्स सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हैं। इस काम के लिए सबसे ज्यादा रेट अगर किसी प्रदेश में थे तो वह मध्य प्रदेश में जहां २२.१ पैसे रेट था और बिहार में जहां २६ पैसे रेट था। इन दो प्रदेशों में हमसे ज्यादा रेट थे और सारे हिन्दुस्तान में हमारे प्रदेश से रेट कम थे। पंजाब में तो आधे से कम रेट थे। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई तर्क नहीं है, यदि आपको घाटा होता है तो अन्यत्र से कमी पूरी करेंगे। कृपा करके मंत्री जी, और उनका बयान भी है, रेट बढ़ाने के पहले अखबारों की कटिंग हमने देखी है, सेन्ट्रल के आदेश हैं कि कृषि पर कोई इस प्रकार का टैक्स न लगाया जाय।

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला—हरदोई)—

मान्यवर, अभी जो श्री कल्पनाथ सिंह ने प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं यह एक ऐसा मसला है जिसके बाबत बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन समय कम है इसलिये थोड़े में मैं अपनी राय कहना चाहती हूं। जितने भी यहां माननीय सदस्य हैं वह सब इस बात से विदित होंगे कि गांव में किस

तरह से नलकूपों का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें जो चोरी और बेइमानी होती है वह किसी से छिपा नहीं है। छोटे किसानों के ऊपर सख्ती की जाती है, पानी की चोरी दूसरे लोग करते हैं, लेकिन फर्जी बिल बनाकर पानी का रुपया उन छोटे किसानों से वसूल किया जाता है। हमारे पास हजारों छोटे किसान ऐसे आते हैं और कहते हैं कि हमने पानी इस्तेमाल नहीं किया लेकिन इतने बड़े रुपये का बिल आ गया। इस तरह की कठिनाइयां छोटे किसानों को हैं। उनका पता नहीं सरकार को मालूम है कि नहीं, हालांकि उनके पास शिकायतें आती होंगी। मान्यवर, जैसा श्री कल्पनाथ सिंह ने कहा है कि एक तो प्राइवेट नलकूपों के रेट कम किये जायें। दूसरे गांवों में बेइमानी न हो, जो बड़े जबरदस्त लोग पानी ले लेते हैं और छोटे किसानों को पानी नहीं मिलता है तो फसल का समय है, पानी की जरूरत है, इसलिये सिंचाई मन्त्री जी और बिजली मन्त्री जी से इस बात की दरख्वास्त है कि इस तरफ वह ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें कि छोटे गरीब किसानों को सरकारी ट्यूब वेलों से पानी मिले तथा जो फर्जी बिल उनके पास जाते हैं वह न जायं।

मान्यवर, संडीला तहसील में एक भी सरकारी नलकूप नहीं है। वह लगने चाहिये। प्राइवेट नलकूप से जो लोग पानी लेते हैं बहुत गड़बड़ियां की जाती हैं और उन पर बहुत टैक्स लगाया जाता है, उसको कम करना चाहिये। अन्त में जैसा माननीय कल्पनाथ सिंह ने कहा है वह बहुत ही आवश्यक और जरूरी है, इसीलिए सिंचाई और बिजली मन्त्री दोनों इन बातों पर गौर करें कि किस तरीके से इन बुराइयों को और कमियों को दूर किया जा सकता है जिससे कि गरीब किसान को तकलीफ से बचाया जा सके और उनको वक्त से पानी मिल सके और गलत तरीके से उन पर पानी का बिल न आ जाय। मैं बहुत सी सिफारिशें करती हूं और बेचारे गरीब किसान आकर रोते हैं कि हम लोगों को पानी नहीं मिला लेकिन पानी का बिल आ गया। इसलिये इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं उम्मीद करती हूं कि इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा गौर किया जाय।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय कल्पनाथ सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका नाम भी इसमें है।

श्री मैनेजर सिंह—

इसीलिये समर्थन करता हूं। लेकिन मैं एक बात से इत्फाक नहीं करता हूं कि जो उन्होंने विद्युत् परिषद् के बारे में सफेद हाथी कहा। सफेद हाथी को दक्षिण भारत में बहुत ही ऊंची दाम पर खरीद कर मंदिर में रखते हैं। मैं इसे सफेद हाथी नहीं मानता। यह एक नीलगाय है जो किसानों की दुश्मन है जैसा कि देवरिया में कहते हैं। यह नील-गाय जो किसानों की हरी भरी फसल को चर कर के नुकसान पहुंचाती है यह किसानों की विरोधी है।

[श्री मनेजर सिंह—]

माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस राज्य में १५ रुपया प्रति वर्ष पावर रेट बढ़ा था, आपकी सरकार ने उसे १२ रुपया किया पदासीन होने के बाद। इसका कोई औचित्य नहीं है कि आज चंद महीने के बाद ही आप उसको फिर १५ रुपया करें। यह बढ़ोत्तरी बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। इसे समाप्त करें। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप मीटर सिस्टम कर दें तो अच्छा है। आप ही कहते हैं कि १८ पैसा किसानों के ऊपर हमारा पड़ता है खेती के ऊपर बिजली की दर। तो चाहे दर जितनी भी आये वह तो मीटर के अनुसार ही होगा।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से प्रदेशों में नलकूप लगे हैं लेकिन वहां पर किसानों से कुछ भी वसूल नहीं होता आपके प्रदेश में चाहे हड़ताल हो, चाहे तीन महीने नलकूप पानी में डूबे रहें, बारहों महीने आप पैसा लेते हैं। ऐसी जल्लाद सरकार आपकी ही है और कहीं नहीं है। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि इस रेट को वापस करें आप विद्युत परिषद् पर अन्धा धुन्ध पैसा खर्च करते जा रहे हैं। विद्युत् परिषद् के अधिकारियों की सुख सुविधा का आलीशान भवन खड़ा हो गया है "शक्ति भवन"। एक बहुत अच्छी इमारत थी, मजबूत थी, उसको तोड़ने की और इस भवन को बनाने में करोड़ों रुपये लगाने की क्या आवश्यकता थी। इस प्रकार फालतू खर्च किया जा रहा है और किसानों पर बोझ डाला जा रहा है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं खासकर माननीय मुख्य मन्त्री जी से मन्त्रि परिषद् के उन सदस्यों से और सिंचाई मन्त्री जी से हमारे उत्तर प्रदेश के किसान सम्मेलन के माननीय अध्यक्ष से कि किसानों के हित का सवाल है अगर इसमें फिसल गये तो फिर आप किसान का नाम लेंगे तो आप का एतबार उत्तर प्रदेश की जनता नहीं करेगी। इसलिये किसान सम्मेलन के समर्थक उन मन्त्रि परिषद् के लोगों से कहना चाहता हूं कि अवसर आया है किसान सम्मेलन को प्रमाणित करने का कि आप मंत्रि-परिषद् के इस १२ रुपया प्रति हार्स पावर के रेट को अस्वीकार करें या यूनिट के दर पर १८ पैसा के हिसाब से इसे स्वीकार करें। ऐसा नहीं करेंगे। विद्युत् मन्त्री के जाल में फंस गये तो आपका एतबार कोई नहीं करेगा इस प्रदेश में। इसलिये अवसर आया है किसान रैली के औचित्य को सिद्ध करने का। इसलिये मैं खासकर सिंचाई मंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से और विशेषकर मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान रैली के मंच पर पगड़ी बांध कर बैठे थे, उसी किसान की पगड़ी की लाज और उसके हित की बात, करें आप ने नहीं कराया तो पगड़ी की लाज नहीं रख सकेंगे। तो इस प्रदेश के किसानों की पगड़ी की लाज आपके हाथ में है और मेरा निवेदन है कि उसको करायें।

एक बात बिजली की चोरी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी का कहना है कि इस प्रदेश में छीजन की यथास्थिति है। मैं इसको छीजन नहीं चोरी मानता हूं। छीजन ५ प्रतिशत से अधिक नहीं होती। बाकी चोरी है। चोरी कम हो, उसके उपाय करें। उसके लिये सुझाव है कि प्रदेश स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करें जो सारी विद्युत की चोरी के बारे में विचार कर सके और विचार करके आपको

सुझाव दें और एक ऐसा कार्यकारी दल बनायें जिसमें सदन के माननीय सदस्य भी रहें जो इन चोरियों के पकड़ने में मार्गदर्शन कर सकें ताकि चोरी कम हो। ऐसी ही जिला स्तर पर एक सतर्क समिति बनायें जो कि सदन के सदस्य की अध्यक्षता में कार्य करें और जो जिलों के अन्दर भ्रष्टाचार हैं, विद्युत के कनेक्शन देने में, विद्युत की चोरी में इस तरह के जो काम हैं, उन पर सक्रिय नियन्त्रण रखा जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आप भी थोड़ा यश ले लीजिए और १२ रुपये करने की घोषणा करें।

श्री ओम प्रकाश (जिला-बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्पनाथ सिंह जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत हैं उसी सम्बन्ध में केवल ५ मिनट में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप भी उसमें एक प्रस्तावक हैं।

श्री ओम प्रकाश—

मान्यवर, अभी पिछली मर्तबा बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जब हो रही थी, तो उसमें विधान मण्डल दल ने एक स्वर से और मन्त्री जी ने भी, आश्वासन दिया था कि बिजली के कर्मचारियों को एक पैसा भी नहीं दिया जायेगा बल्कि किसानों को राहत दी जाय। लेकिन फिर भी २२ करोड़ रुपया बिजली के कर्मचारियों को उनके भ्रष्टाचार के लिए पुरस्कारस्वरूप दे दिया। लेकिन किसानों के बारे में शासन की परम्परा रही है और जो किसानों को सुविधा देते रहे हैं, उसको नहीं दिया। किसानों को १५ रुपये के बजाय १२ रुपये प्रति हार्स पावर बिजली देना चाहिये था, जो नहीं किया। पता नहीं माननीय विद्युत मन्त्री जी किसानों से क्यों इतना द्वेष रखते हैं कि १२ रुपये के बजाय १५ रुपये प्रति हार्स पावर कर दिया। इससे किसानों की हालत खराब होती जा रही है। उन पर भार बढ़ता जा रहा है। लेकिन माननीय विद्युत् मंत्री जी ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

मान्यवर, ३ पैसे प्रति यूनिट हिन्डालको को बिजली दे सकते हैं लेकिन किसानों को, उनकी गरीबी को देखते हुए, उनकी असुविधा को देखते हुये, उनके जीवन स्तर को जो काफी नीचा है, देखते हुए, उस ओर ध्यान नहीं दिया जब कि हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति बहुत खराब है। हिन्दुस्तान में बिजली की खपत है, हमारे प्रदेश में सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में केवल १२-९के० डब्लू० खपत है जबकि पूरे हिन्दुस्तान में यह औसत १०८-२ है और पंजाब में यह औसत २३१-३ है। इस तरह से हमारे यहां बिजली की खपत पहले ही से काफी कम है। फिर भी बिजली को और भी मंहगा करते जा रहे हैं। अतः मैं मा० विद्युत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनको इस ओर ध्यान देना चाहिये।

[श्री ओम प्रकाश—]

हमारा विद्युत परिषद् क्या है ? मान्यवर, विद्युत परिषद् एक सफेद हाथी है। उसको खा जाना चाहता है। इतना करप्शन है कि कह नहीं सकते। अगर माननीय विद्युत् मन्त्री जी इस भ्रष्टाचार को मिटाकर किसानों को राहत देते तो दिक्कत नहीं होती। आज बिजली के दफ्तर में हालत क्या है ? आज किसानों का भुगतान होता है लेकिन २/२-३/३ महीनों तक लेबर नहीं ठीक होता। खाते में भुगतान दर्ज नहीं करते और बिल देते रहते हैं ८० प्रतिशत बिल गलत आते हैं। इतना भ्रष्टाचार है कि कह नहीं सकते। लेकिन उसको रोकने के बजाय उत्तरोत्तर उन पर भार बढ़ाया जा रहा है। यह कदापि जनहित में नहीं है। यह तो किसान विरोधी नीति है। मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि तत्काल अपनी गलती को महसूस करें और जल्द से जल्द इसके बारे में घोषणा करें।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आज ही इसकी घोषणा कर दें, जिससे हमारे सूबे के किसानों को राहत होगी और उनमें उत्साह पैदा होगा, एक जनभावना पैदा होगी। मैं अपने प्रस्ताव की ताईद करता हूं और समझता हूं कि पूरा माननीय सदन इसकी ताईद करेगा और जिससे बाध्य होकर इसको करना पड़ेगा और अपने द्वारा की गयी घोषणा के विरुद्ध नीति को बदलना पड़ेगा तथा इसको १५ से १२ रु० प्रति हार्स पावर करना पड़ेगा।

श्री राम आधार (जिला-आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो १५ रु० की जगह पर १२ रु० प्रति हार्स पावर करने का जो प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं तो चाहता हूं कि जनता पार्टी विधान मंडल के अन्दर इस प्रस्ताव को लाकर रेट कम कर दिये जायं, लेकिन दुर्भाग्य है यह पार्टी नीति से अन्दर तय नहीं हुआ और कैबिनेट ने इसको पास करके किसानों के ऊपर एक बोझ डाला है।

मान्यवर, हमारे एक कैबिनेट के माननीय सदस्य का कहना है कि कैबिनेट ने पास नहीं किया है, केवल विद्युत मन्त्री ने पास किया है। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति ने इतना बड़ा बोझ किसानों पर डाला हो। विद्युत् परिषद् में जो भ्रष्टाचार है, उससे माननीय सदस्य अवगत हैं। मैं एक बात यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जब चुनाव हो रहा था, तो कांग्रेसी हुकूमत ने १५ रु० फी हार्स पावर बढ़ाकर किसानों के ऊपर एक अत्याचार किया था, उसको यह कहा गया कि १२ रु० करेंगे और जनता पार्टी की सरकार ने उसके ऊपर चुनाव भी लड़ा। लेकिन सत्ता में आने के बाद तथाकथित किसानों की सरकार ने फिर इसको १२ की जगह १५ कर दिया।

मान्यवर, हमें याद है, हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्री जी और बहुत से ऐसे मन्त्री हैं, जो दिल्ली के अन्दर किसान सम्मेलन के अन्दर गये और कई माननीय मन्त्री का मैंने भाषण सुना है जिससे ऐसा लगता है कि यह सरकार किसान विरोधी है, लेकिन विरोध करने के बाद भी मंत्रि मंडल में बैठे हुए हैं। किसानों के बीच में जाते हैं, तो सरकार की आलोचना करते हैं, उनके हिमायती नहीं हैं, यह सरकार

किसान विरोधी सरकार हैं यह त्याग-पत्र दे दें। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सिंचाई उप मन्त्री रावत जी हर मीटिंग में बोलते हैं कि बिजली का रेट बढ़ा है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिये, तो क्यों नहीं त्याग-पत्र दे देते हैं। मैंने जो दिल्ली के अन्दर किसान सम्मेलन के अन्दर मुख्य मन्त्री जी का भाषण सुना है, उससे लगता है कि यह जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। मुझे आश्चर्य है, उत्तर प्रदेश सरकार तो भूतपूर्व गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह की इच्छा पर बनी हुई है। इसने उत्तर प्रदेश के किसानों पर बिजली का रेट बढ़ाया और दिल्ली में जाकर यह प्रदर्शित किया कि आप ईमानदार हैं और सरकार ईमानदार है। जनता पार्टी की नीति को लागू करने के लिए यह कहा गया था कि किसानों को ३ रु० फी हार्स पावर कम करेंगे। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है ये बाहर कुछ हैं और अन्दर कुछ। कृषि मन्त्री जी का कहना है कि विद्युत मन्त्री ने बढ़ा दिया। अगर ऐसी बात है, तो कैबिनेट की जिम्मेदारी है। इसको हमारे कृषि मन्त्री जी यहां पर स्पष्ट करें। विद्युत मन्त्री जी स्पष्ट करें। मान्यवर, मैं इस बात का पक्षपाती हूं कि बिजली के रेट कम हों और विद्युत परिषद् के अन्दर जो सारी गड़बड़ियां हैं, उसकी जांच करायी जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला-बलिया)—

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इसको एक राहत का प्रस्ताव समझता हूं। राहत इस माने में कि गत वर्ष हमारी जनता पार्टी की सरकार ने यह बिजली किसानों के लिये १२ रु० कर दी है। इस साल ये रेट ३ रु० अधिक बढ़ाकर इसको १५ रु० कर दिया है। इससे किसानों में बड़ा असन्तोष व्याप्त है। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव इतना सीधा है कि जब हम गांव और किसान के उत्थान की बात करते हैं तो हमारे बिजली मन्त्री को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होना चाहिये। श्रीमन्, जो नौकरशाही है मैं समझता हूं कि आजादी के बाद यह सवाल हुआ है और उनके इशारे पर चाहे दिल्ली की गद्दी हो चाहे लखनऊ की गद्दी हो, आज चल रहे हैं। यह नौकरशाह भोगविलास में इतने लिप्त हैं कि बराबर घाटा दिखाते चले आ रहे हैं। घाटे की अर्थ-व्यवस्था का जब मामला मन्त्री जी के सामने आता है तो किसानों के ऊपर भार बढ़ा दिया जाता है।

श्रीमन्, बड़ा दुख होता है कि हिन्दुस्तान में नकली चीजों पर इतना ध्यान दिया जा रहा है कि आज शीत ताप विद्युत शक्ति भवन की क्या आवश्यकता थी। जिस देश में अधिकांश किसान गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जहां पर किसानों के लिए खेत के लिए पानी की व्यवस्था न हो उस देश में शीत ताप निर्वीत विद्युत् शक्ति घर बनाया जाय। और श्रीमन्, मुझे पता चला है वहां पर कई लाख की घड़ियां हैं जो एक महीने कार्य करने के बाद बेकार हो गई हैं। मैं मन्त्री जी से निश्चित तौर से कहना चाहूंगा कि विधायकों की एक समिति बना दें तो बिजली परिषद् में घाटा न होगा और मैं बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि अगर आप बना देंगे तो बिजली में करोड़ों का लाभ होगा। आज घाटे में इसलिये जा रहा है कि कई लाख का नट बोल्ट खरीदा गया उसका एडजस्मेन्ट होता है। अगर पांच लाख का माल देता है तो ठेकेदार १८ लाख का बिल बनाता है। इस

[श्री शम्भूनाथ चौधरी—]

प्रकार से एडजेस्टमेंट होता है और घटिया किस्म का माल देता है। जितनी मशीनरी विदेशों से मंगाई जाती है अगर नट बोल्ट खराब हो जाते हैं तो वह बेकार पड़ी रहती है। इस प्रकार से आपका यह पैसा बेकार चला जाता है।

मैं मन्त्री जी का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहूंगा। आप हर जिले के अधिशासी अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता के निवास स्थान को देखें कि कितना बिजली का खर्च होता है। जो आंकड़े आपको मिलेंगे उससे ज्ञात होगा कि कितनी बिजली यह लोग खर्च करते हैं। इसी प्रकार मैं एक और फिजूलखर्ची का उदाहरण देना चाहूंगा। अभी ८८ करोड़ रुपये से थर्मल पावर स्टेशन झांसी में बनाने की बात है। अभी तक भूमि आप प्राप्त नहीं कर पाये, कोई कार्य आरम्भ नहीं हुआ। लेकिन एक मुख्य अभियन्ता १२ अधिशासी अभियन्ता, ३० सहायक अभियन्ता, ४० ओवरसियर और १२ लिपिकों की नियुक्ति कर दी गयी। यह फिजूलखर्ची नहीं तो और क्या है। इसलिए मन्त्री जी मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि आप किसानों का भला दिल्ली चलो का नारा देकर नहीं बल्कि गांव चलो का नारा देकर कर पायेंगे। इसलिए आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और इस संकल्प के साथ कि आप विधायकों की एक कमेटी बना दें तो बिजली में करोड़ों का लाभ होगा, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य अब उठने का कष्ट न करें। मैं एक विरोधी पक्ष के सदस्य को बुलाऊंगा। फिर विद्युत मंत्री को बुलाऊंगा। फिर ५ मिनट का समय प्रस्तावक महोदय को दूंगा।

(श्री मिश्रसेन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नेम सिंह चौहान (जिला-अलीगढ़)—

समय बढ़ा दिया जाय ?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

सदस्यों की भावना ऐसी मालूम होती है कि वे इस पर अधिक चर्चा करना चाहते हैं। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि १ घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

१ घंटे का समय बढ़ा दिया गया। १२ बज कर ५ मिनट पर इस प्रस्ताव को लिया जाएगा और २ बज कर ५ मिनट तक मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे।

श्री मित्र सेन (जिला-फैजाबाद)—

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं लेकिन मेरा निवेदन है कि उनके अन्दर यह नैतिकता नहीं है कि जितनी गर्मी से इस पर वह बहस करते हैं उतनी सख्ती के साथ वह इस पर खड़े रह सकेंगे। माननीय मंत्री जी की नैतिकता का तो वह सवाल उठा सकते हैं, किसान सम्मेलन में जाकर, पगड़ी की रक्षा करने की बात कह सकते हैं और मंत्री से कह सकते हैं कि जिस किसान का नाम लेकर मंत्री बने हो उसकी रक्षा करो। उसी तरह से उन सदस्यगण से मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि वे अपनी नैतिकता की भी रक्षा करेंगे और वह इस प्रदेश के किसान व जनता की समस्याओं को लेकर आखिर तक लड़ेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है ? कल दिन भर कसरत करते रहे और आखिर में खोदा पहाड़ निकली चुहिया।

माननीय रवीन्द्र नाथ जी ने प्रस्ताव रखा था प्रदेश के पिछड़ेपन के संबंध में दिन भर उस पर यहां बहस की गयी और माननीय सदस्य ने स्वयं अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। इसी तरह से ऐसा न हो कि इस प्रस्ताव पर भी बहस करके अपनी जेब में वापस ले लें और जनता के पास तक उसका नतीजा न पहुंचे। बहुमत दल के सदस्यों से मैं चाहूंगा कि जो प्रस्ताव जनता के कल्याण के लिये, उसके विकास के लिये लाया जाता है, उस प्रस्ताव को कम से कम कायदे व कानून के अन्तर्गत आने दें और कम से कम सरकार को वह मजबूर करें कि वह उधर कदम उठाये।

यह सरकार यह नारा लगाती है कि गांवों तथा किसानों की ओर चलो लेकिन १२ रुपये हार्स पावर का रेट बढ़ा कर १५ रुपये हार्स पावर कर दिया लेकिन यह फिक्स नहीं किया कि बिजली के घंटे कितने होंगे। इसके अलावा आप देखें, उत्तर प्रदेश में जहां किसानों को बिजली ३७ पैसे प्रति यूनिट दी जाती है वहां पूंजीपतियों को वही बिजली ७ पैसे प्रति यूनिट मिलती है। किसान और उद्योगपति में कितना अन्तर है। फिर बिजली के रेट पर अधिभार कितना बढ़ा दिया गया है इसकी क्या किसानों की सरकार महसूस नहीं करती ? जब प्रति वर्ष घाटा आता है तो वह भी किसानों से वसूल किया जाता है। कल्पनाथ सिंह जी ने भ्रष्टाचार की बात कही। इस प्रदेश के बड़े-बड़े अधिकारियों के बंगले पर जाइये और देखिये कितनी बिजली खर्च होती है उससे साफ हो जायगा कि यह सरकार नौकरशाही के हाथ में है अथवा किसानों की है और अपने वायदों को पूरा कर रही है या नहीं। देखने में यह आया है कि जो भी सरकार ट्रेजरी बेंचेज पर आई है वह हमेशा पोलिटिकल डिसीजन्स लेती है। इसीलिये मान्यवर, मैं इस बहुमत दल के सदस्यों से, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, कहना चाहता हूं कि अगर उनके अंदर नैतिकता है और इस पर बहस करना चाहते हैं तो उनके प्रस्तावों की जो मूल मंशा है उसको कबूल करने के लिए अडिग रहें तभी जनता तक उसका फायदा पहुंच सकता है वर्ना बहस करने से और समय बरबाद करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला-कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य भाषण कर रहे थे कि शासक दल के वक्ताओं के इस प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये। उसमें वह नैति-

[श्री मांती लाल देहलवी—]

कता को घसीट लायें। मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि जब विरोधी दल के सदस्य अपने कर्तव्य को सही रूप से नहीं निभा पाते हैं तो उस भूमिका को शासक दल के सदस्य निभा रहे हैं और निभाते जायेंगे। जहां तक नैतिकता का प्रश्न है मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जब कांग्रेस के लोगों ने अपनी नैतिकता को ताक पर रख दिया था तब माननीय सदस्य के क्या विचार थे। आज जो विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं उस समय इनकी नैतिकता कहां चली गई थी जब कांग्रेस शासन लोगों पर जुल्म और ज्यादती कर रहा था। आज यह जो बिजली के रेट में उद्योगपतियों के लिए और किसानों के लिए फर्क है इसको क्या जनता पार्टी की सरकार ने पैदा किया था ? इस फर्क को पैदा करने वाले, पूंजीपतियों को शरण देने वाले यही कांग्रेस के लोग हैं जो कि आज विरोध पक्ष में बैठे हुए हैं, यह फर्क कोई आज कायम नहीं हुआ है। आज नैतिकता की दुहाई देते हैं तो उस समय कहां चले गये थे ? शासक दल के जो लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। शासन और शासक दल के विधायकों के बीच में एक ऐसी दीवार हो गई है और कोई फर्क नहीं है। यह लोग सीने तक ढके हुए हैं, दिल और मन ढके हुए हैं सिर्फ सर खोले हुए हैं और जो लोग इस तरह का भाषण करते हैं वह सिर्फ झलकते देखते हैं। जो लोग जिम्मेदारी पर आते हैं और जिस वातावरण में काम करना पड़ रहा है, उसमें एक विशेष प्रकार की मजबूरी होती है।

मान्यवर आज जो लोग भाषण कर रहे हैं अगर जिम्मेदारी की जगह पर पहुंच जायें तो वह भाषण नहीं रहेगा। हम लोग विरोधी पक्ष में रहे हैं और हमेशा जो तथ्य रहे उनको प्रकट करते रहे हैं। लेकिन आज जिन परिस्थितियों में शासन को काम करना पड़ रहा है उसमें एक तरफ तो यह कांग्रेस के लोग आंदोलनों को उभाड़ते हैं, आंदोलन करवाते हैं, एक तरफ कहते हैं कि टैक्स नहीं बढ़ने चाहिए और दूसरी तरफ यह लोग कहते हैं बिजली कर्मचारियों से कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़नी चाहिये। महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिये, इसी तरह अन्य कर्मचारियों से कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तनख्वाह भी बढ़े बिजली का रेट भी कम हो लेकिन उसके लिये कोई न कोई स्रोत देना पड़ेगा आय का। अगर आय का स्रोत नहीं है तो यह दोनों काम साथ-साथ नहीं हो सकते। इसलिये हम लोग कहते हैं कि बजाय तनख्वाह बढ़ाने के महंगाई भत्ता बढ़ाने के सबसे पहला काम जो सरकार को करना चाहिये वह जिंदगी की जरूरी चीजों के दाम बांध देने चाहिए, सरकार जिंदगी की जरूरी चीजों के दाम बांध दें। तो पूंजीपति भी इससे बंध जाएगा और किसानों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों सभी को उससे राहत मिल जाएगी। वास्तव में जो पकड़ होनी चाहिये वह दुर्भाग्य से न हम लोगों में है और विरोध पक्ष में तो बिलकुल नहीं है।

मैं कहना चाहूंगा कि यह सही है कि विद्युत् परिषद् में भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन लापरवाही बढ़ी है—जहां पर बिजली के तार लटक जाते हैं और लोगों की जान का खतरा हो जाता है, विभाग वाले उसे ठीक करने की कोई कोशिश या परवाह नहीं करते हैं। मैं एक बात और उनसे कहना चाहता हूं। जो कालिदास मार्ग है, उसके सामने शहर का एक छोटा गांव-पुरवा आबाद है, जो उससे मुश्किल से एक किलोमीटर के फासले पर है। कालीदास मार्ग पर बिजली की रोशनी चमकती रहती है, लेकिन उस छोटे से पुरवे में

बिलकुल अंधेरा छाया रहता है। मंत्री जी का ध्यान मैंने इस ओर आकर्षित किया था कि यह शोभा नहीं देता है कि यहां भारी प्रकाश रहे और पास का ही वह पूरवा अंधेरे में पड़ा रहे, जिसकी वजह से वहां आये दिन राहजनी, चोरी, बदमाशी हुआ करती है। एक खम्भा उस पर कितना व्यय है। आप कभी दिल्ली में कनाटप्लेस पर खड़े हो जायें और वहां से को बनाये रखने के लिये और कांग्रेस तथा जनता पार्टी सरकार के फर्क को दिखाने के लिये उस पुरवे में जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचाने की सरकार कृपा करे।

श्री नेम सिंह चौहान—

मेरी इस विषय पर कोई भाषण न देकर कुछ सुझाव देने की इच्छा है। मान्यवर, माननीय कल्पनाथ सिंह जी का जो प्रस्ताव आया है, १२ रुपये से १५ रुपया हमको या हमारी सरकार को करना पड़ा, इससे सरकार के खजाने में ८ करोड़ रुपया और अगले वर्षों में १२ करोड़ रुपया आयेगा। अभी गन्ने का मूल्य जब तय हुआ, जब किसानों के हित में सरकार को कदम उठाना पड़ा और एक बहुत बड़ी धनराशि १०० करोड़ रुपये के करीब, किसानों के हित में सब्सिडी के रूप में दी गई। तो आज जो विद्युत् व्यय बढ़ रहा है, उसके संबंध में हमारे प्रधान मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि अधिक व्यय वाली अर्थ-व्यवस्था पर हमें काबू पाना चाहिए। इस संबंध में मैं एक उदाहरण सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप देखें बी० एच० ई० एल० जो भारत सरकार का एक संस्थान है, उस पर कितना व्यय है। आप कभी दिल्ली में कनाट-प्लेस पर खड़े हो जायें और वहां से किसी तरफ को कंकड़ी फेंक दें, तो कहावत है कि वह बी० एच० ई० एल० के कार्यालय में गिरेगी। वह लाखों रुपये का किराया उन भवनों पर खर्च करती है। इस तरह हरदुवा-गंज का पावर हाउस है। अधिकारी ईमानदार हैं, जिन्होंने कोशिश की कि विद्युत् निर्माण पर व्यय कैसे कम किया जाए, लेकिन फिर भी कितना अपव्यय हुआ है उसे हम सब जानते हैं। कितना लोहा नीचे उसमें दब गया, इस पर सरकार का ध्यान नहीं गया। जब जब हमने शिकायत की, कभी विद्युत् परिषद् ने उसे स्वीकार करने का प्रयास नहीं किया। इसी तरह से लाइन लीसेज, बकाया धनराशि और राशियों की वसूल करने के लिए तो तत्पर रहती है, तुरन्त बंद कर देंगे, लेकिन चूंकि बड़े लोगों पर है, रेलवे पर है, उनको देना पड़ता है, इसलिये उसकी वसूली में कठिनाई हो।

मैं विद्युत् मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया, सबसे पहले इस सरकार ने जो पिछली सरकार कभी हिम्मत नहीं कर सकती थी, बिड़ला जैसों को, कानपुर के जितने ग्रुप्स हैं, उनको सबसे पहले बंद किया और बाध्य किया कि वह बिजली का पैसा दें। दूसरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आज विद्युत गृहों के निर्माण में चूंकि कुछ कम्पनियों की मोनोपोली है, हमारे यहां जितनी मशीनें बनती हैं हैवी इलेक्ट्रिकल्स बनाता है और स्वयं मूल्य निर्धारित करता है, जहां तक किसान की बात है, और उद्योगों में भी यह स्थिति है, जहां तक विद्युत् के व्यय का प्रश्न है, हमारे देश और प्रदेश में विद्युत उत्पादन का अधिक प्रतिशत शहरों में और बड़े उद्योगों पर खर्चा होता है, ग्रामीण उपभोग के लिये २० प्रतिशत से कम है। मैं विद्युत् मंत्री से आग्रह करूंगा कि एक तरफ आप गांवों को बिजली नहीं देते, कृषि जैसी चीज को, उस पर आपने १५ रुपये कर भी लगा दिया है। उसको वापस लेने की कृपा करें। इससे किसानों को राहत मिलेगी।

[श्री नेम सिंह चौहान—]

दूसरी चीज जो अभी आन्दोलन हुआ, आपने बड़ी मजबूती के साथ अधिकारियों के सहयोग से दिन रात जग कर उन दिनों में पूरी बिजली दिलाई । जहां तक वेतन का सवाल है मजदूरों को मिलना चाहिए । लेकिन एक सुझाव देना चाहता हूं । बिहार में व्यवस्था हो गयी है । आप भी कर सकते हैं । आगर आप देखें तो एक कर्मचारी छोटा काम करने वाला अगर चार सौ रुपये वेतन पाता है, उसको ओवरटाइम के रूप में महीने में १ हजार से अधिक मिलता है । आप देखें कि ओवरटाइम तथा टी० ए०, डी० ए० में कितना व्यय होता है । उसको बचा कर आप अधिक लोगों को नौकरी दे सकते हैं । लाइन लासेज को चेक करें और वसूली की जाय । जो पिछले दिनों में प्रभावशाली लोग थे जिनके ट्यूबवेल लाठी के जोर पर चलते थे, उनको रोक दें । तो बहुत बचत हो सकती है । यही मेरा सुझाव है । माननीय कल्पनाथ का जो संकल्प है, उसको विद्युत् मंत्री विचार करें, ध्यानपूर्वक विचार करें, जो निरीह किसान हैं उन पर से विद्युत अधिभार वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, हमारे विरोधी पक्ष के नेता जब सत्ता पक्ष के विधायकों की बात सुनते हैं तो बार-बार चुनौती देते हैं, बार-बार जनता पार्टी के कार्यक्रमों को चुनौती देते हैं । लेकिन शायद जनता पार्टी के कार्यक्रम और मैनिफेस्टो को ध्यानपूर्वक आज तक पढ़ा नहीं है । इस सदन में जितने भी संकल्प आये हैं, यद्यपि वह विरोधी पक्ष की तरफ से आने चाहिए शासन पक्ष की ओर से आये हैं । यह जनता पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली की हो या सूबे की सरकार हो, यह एक विचार की सरकार नहीं है, यह सारे लोगों को भली भांति पता है, यह कार्यक्रमों की सरकार है और कार्यक्रमों के द्वारा सारे वर्गों को प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा गया है । आज जिन कार्यक्रमों को लेकर, जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले जनता पार्टी के अन्दर हैं उनमें पूरे देश में संघर्ष चल रहा है । आज असेम्बली के अन्दर, जो जनता पार्टी के प्रतिनिधियों में जो विचारों में एकता नहीं दिखाई देता है वह इस बात को प्रतिबिम्बित करती है कि जनता पार्टी के अन्दर कार्यक्रमों को लेकर संघर्ष चल रहा है । आज एक तरफ आप देखें हम किसान की बात करते हैं, गांव की तरफ चलने की बात करते हैं । लेकिन जनता पार्टी जो लोग व्यापारियों और पूंजी परस्त लोगों की नीतियों को मानने वाले हैं, उनकी ओर से दबाव पड़ रहा है । जाने अनजाने हम किसान के प्रतिनिधि कहे जाने वाले लोग जनता पार्टी में हैं । बिक्री कर को ले लें या किसी और टैक्स को ले लें वह किसी तरह से भी उजागर होकर सदन में पेश होता है । लेकिन जब किसानों के हित की बात आती है तो उसको लेकर दो विचार जनता पार्टी के अन्दर दिखाई पड़ते हैं । आज बिजली का सवाल है । हमारे विद्युत् मंत्री जी ने तीन रुपया प्रति हार्स पावर बढ़ाया है । हमारे मंत्री जी किसान के लड़के होते हुए भी किसान के दुख दर्द का ज्ञान मंत्री होने के बाद भूल गये । किसान तीन चार महीने ट्यूबवेल चलाता है । लेकिन जब कृषि का काम नहीं होता तब भी १२ रु० प्रति हार्स पावर के हिसाब से उसको देना पड़ता है । कुछ छूट उन्होंने दी है । लेकिन आप गांव की ओर चलने का (इस समय १ बजकर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए ।) नारा देते तो उसको देखते हुए यह बढ़ोत्तरी किसान विरोधी है और नीति विरोधी है ।

१२ रुपया जो कांग्रेस के जमाने में था उसी पर इसको ले आयें। दूसरे यह कि जो किसान की दस एच० पी० की मोटर हैं उसमें जितनी सुविधा चाहे वह लगा लें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री विक्रमा राय—

हम सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए और किसानों की भावनाओं को देखते हुए मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह सदन में घोषणा करें कि इसको १२ रुपये पर लायेंगे।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला-गोरखपुर)—

मान्यवर, मुझे आश्चर्य है इस विरोधाभास को देख कर। मुख्य मंत्री जी अपने को किसान का बेटा मानते हैं और विद्युत् मन्त्री भी किसान के बेटे हैं। मान्यवर, आप भी किसानों के हिमायती हैं। हमारे मुख्य मंत्री ने दिल्ली में जो किसान रैली हुई उसमें गर्जना की थी जिसमें यह कहा कि गांव और शहरों की लड़ाई चल रही है और हम यहां गांव वालों की रक्षा के लिये एकत्रित हुए हैं। एक तरफ तो किसान, गरीब, मजदूर और सर्वहारा वर्ग की रक्षा की गर्जना करते हैं और दूसरी तरफ किसान पर बिजली की दर बढ़ाते हैं। आपने जुलाई ७८ में १२ रुपये के रेट को बढ़ाकर १५ रुपया कर दिया। हमारे मुख्य मंत्री कहते हैं कि किसान आधारशिला है, कृषि इस देश की बुनियाद है। इस देश की परवरिश के लिए, विकास के लिए लाखों करोड़ों लोगों के जीवन की आधारशिला कृषि है। कृषि के उत्पादन के लिए सिंचाई की अपनी भूमिका है। यदि सिंचाई के साधनों को महंगा किया जायगा, असुलभ किया जायगा तो निश्चित ही इसका प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ेगा। जिससे इस देश की समूची अर्थ व्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस विरोधाभास को समाप्त करें। अपनी कथनी और करनी में एक रूपता लायें। किसान पहचानता है। दिल्ली में किसान रैली हुई तो उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने भाषण किया कि यह सरकार किसान की सुविधाओं के लिए है।

मैं कहना चाहता हूं कि किसान आपके कामों को रेव्यू करता है। मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं और कहता हूं कि अगर इनके बजट में रुपये की कमी है तो विलासितापूर्ण चीजें जो हैं उन पर दाम बढ़ावें। विलासिता पूर्ण चीजों पर टैक्स बढ़ावें। हेलीकाप्टर पर कम चलिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि फिजूल खर्ची जो हो रही है उसको कम करें। कांग्रेसी मंत्रियों के जमाने में उनके कमरों की चमक-दमक जिस प्रकार की थी उसी प्रकार की चमक-दमक आज भी इन मंत्रियों की कमरों की है। उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर शपथ लेने के उपरान्त गोरखपुर गये थे तो उन्होंने कहा था कि यह सरकार फिजूल खर्ची को कम करेगी। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितनी फिजूल खर्ची कम हुई है। आप विलासिता की चीजों पर दाम बढ़ावें। खेती जो आपकी आर्थिक व्यवस्था की आधारशिला है, उस पर आप मेहरबान होइये। जिस प्रकार से आपने इस बहस के लिए एक घंटा बढ़ा दिया उसी प्रकार से जो बिजली का रेट १५ रुपये प्रति

[श्री रवीन्द्र सिंह—]

हार्स पावर लिया जा रहा है उसको कम करके १२ रुपये प्रति हार्स पावर कर दिया जाये। आपने जो रैली में गर्जना की थी उसी के अनुरूप काम भी कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव को पारित करें।

श्री अशोक वाजपेयी (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता जी, नवजवानों के लिए भी कोटा रखा करें।

श्री अधिष्ठाता—

ऐसा नहीं है। मैंने श्यामधर मिश्र को बुला लिया है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं अपनी बात ५-७ मिनट में समाप्त कर दूंगा अधिक समय नहीं लूंगा। मैं न केवल इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं बल्कि मुझे यह भी कहना है कि मैं कोई राजनैतिक बात नहीं कहूंगा। लेकिन एक बात कहनी है कि जो प्रस्ताव है कि १५ रुपये के स्थान पर १२ रुपये कर दिया जाये। वह मैं इस प्रकार कहता हूं कि वह अधिकतम हो और १२ से कम ही हो। मैं इसलिये कहता हूं कि मुझे अवसर मिला है शाही जी को आज मिला है उनको मंत्री हुए एक दो दिन हुए हैं। मैंने भारत सरकार में रह कर बिजली विभाग को देखा है। मैंने महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु को देखा है। कहीं-कहीं पर १८ रु० है, कहीं ६ रुपये है और कहीं पर ५ रुपये है और कहीं पर १२ रुपये भी है। जहां पर १८ रुपये है वहां पर सिंचाई के टाइम केवल ३-४ महीने मिनिमम हार्स पावर के हिसाब से लेते हैं। सरकार १२ रुपये १२ महीने के लेती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सरकार यह कर दे कि जितने महीने में बिजली कटौती रहे उसको कम कर दिया जाये। कल्पनाथ जी सुन लें, मैं यह कह रहा हूं कि जितनी ३० दिन में कटौती है उसका परता निकाल कर १२ रुपये से कम कर दिया जाये। तो यह बहुत ही सुन्दर प्रस्ताव है। यानी १२ रुपया भी अगर आप लें और अगर २४ घंटे में १२, १८ या ६ घंटे की बिजली दे ते हैं तो उसके अनुपात में दाम कम कर देने चाहिए। मैं यहां पर कोई नयी बात नहीं कह रहा हूं। आपके चेयरमैन या सेक्रेट्री केन्द्र में जाकर देख लें कि किसी न किसी प्रदेश में ऐसा है और अगर शाही जी कहेंगे तो मैं उनको लाकर रिपोर्ट भी दिखा दूंगा।

अभी यहां पर कहा गया कि बड़ा नुकसान है। मैं जानता हूं कि शाही जी जब उठेंगे तब कहेंगे कि बड़ा नुकसान है। इसलिये १२ रुपये से १५ रुपया कर दिया। लेकिन १२ से १५ करने से नुकसान पूरा नहीं होगा। नुकसान तो इसलिये है उत्तर प्रदेश में चाहे पुरानी नालायक सरकार रही हो या आपकी लायक सरकार हो, दोनों ने नालायकी की है। गांवों में बिजली तो पहुंचायी लेकिन लोगों को वहां पर बिजली नहीं दी। अगर गांवों में २० आदमी बिजली मांगते हैं तो आप उनको पावर नहीं दे पाते हैं तो कैसे एकोनोमिक हो। आपने कह तो दिया कि अमुक गांव को बिजली दे दी लेकिन उस गांव में केवल एक बिन्दु पर दी। हरदोई में यही हाल है कि गांव में एक बिन्दु पर बिजली दे दी, मैं नहीं समझता हूं कि यह क्या है। आप मद्रास और आंध्र में जाइये। वहां पर

७५ प्रतिशत गांव वालों को बिजली दी गयी है। अगर ऐसा यहां भी किया जाय तो यह एकोनामिक होगी। आप तो बड़े योग्य हैं। आप अपनी अयोग्यता क्यों दिखाते हैं। मुझे आपकी योग्यता को देखना है।

श्री ओमान सिंह (जिला इटावा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिजली के विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। हमारी सरकार "गांवों की ओर जाने का" बड़ा नारा दे रही है। आपने किसानों की माली हालत सुधारने का संकल्प भी लिया है लेकिन कितने उपहास की बात है कि गांवों की हालत में कोई अन्तर नहीं आया है। आज स्थिति यह है कि जब तक उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलेगा, कृषि उपकरणों और कृषि में काम आने वाली चीजों के दाम नहीं कम होंगे, कोई सुधार नहीं होने वाला है। आज किसान की उपज के दाम दिन प्रति दिन नीचे जा रहे हैं और उसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरणों, चाहे वे ट्रैक्टर हों, बिजली की दरें हों, सिंचाई के रेट हों, वे दिन प्रति दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो किसानों की दशा कैसे सुधरेगी ? गन्ने में उसकी लूट हुयी, धान (पैडी) में उसकी लूट हुयी और बिजली की दरें भी बढ़ायी जा रही हैं तो किसानों की माली हालत सुधरेगी या गिरेगी ?

माननीय विद्युत मंत्री जी ने यह कहा था कि अगर इस दर को न बढ़ाये तो ८ करोड़ रुपये का विद्युत् परिषद् को नुकसान उठाना पड़ता। मेरा तो माननीय मंत्री जी से केवल यह निवेदन है कि अगर वे अपने विभाग से केवल भ्रष्टाचार ही समाप्त कर दें तो यह ८ करोड़ रुपये का घाटा पूरा हो जायगा। घाटा ही पूरा नहीं होगा बल्कि ८ करोड़ का लाभ भी हो सकता है। आज जो स्थिति है वह यह है कि नौकरशाही पूरी तरह से बिजली विभाग के शासन पर हावी है। कोई भी अधिकारी आदेश मानने के लिए तैयार नहीं है। मान्यवर, आज लाखों कनेक्शन ऐसे पड़े हैं जिनको बिजली नहीं दी जा रही है। वे डायरेक्ट कनेक्शन लिये हुए हैं। आपके लाइन इन्सपेक्टर पैसे लेकर उन्हें बिजली का प्रयोग करने देते हैं। आज बिजली का इतना अधिक दुरुपयोग हो रहा है अगर उसी को बचा लिया तो जो बिजली की कमी है, प्रदेश में, वह उससे पूरी हो जायेगी और जो नुकसान हो रहा है, वह नहीं होगा केवल उस अनियमितता को दूर करने से। हमारे यहां मान्यवर, कई ग्रामों में कनेक्शन के लिये बिजली के खम्बे तो गड़े हैं पर ५-५ साल हो गये (व्यवधान) तार नहीं खिंचे हैं और कहीं-कहीं तार भी खिंच गये हैं पर बिजली नहीं पहुंची है। लोगों ने कनेक्शन के लिये फार्म्स भर दिये हैं, रुपया जमा कर दिया है, पर उनको कनेक्शन नहीं मिले हैं। अगर उनको आप कनेक्शन दे दें तो आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है। हो यह रहा है कि आपके बिजली विभाग के कर्मचारी डायरेक्ट तार से बिजली दे देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं। इससे लोगों को बिजली तो मिल जाती है, कर्मचारियों को भी पैसा मिलजाता है, पर घाटा विद्युत् परिषद् का होता है। (व्यवधान) इस तरह से तमाम बिजली की चोरी होती है। हमारे यहां बिधूना में इसी तरह डायरेक्ट तार से एक टूरिंग सिनेमा को बिजली दे दी गयी।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें ।

श्री ऑसान सिंह—

हमारे यहां डेढ़ वर्ष पूर्व जिन गांवों में हरिजन बस्तियों को विद्युतीकरण के लिए चुना गया था वहां आज तक बिजली नहीं पहुंच पायी है, उसके लिये कोई काम नहीं हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, अब ।

श्री ऑसान सिंह—

मंत्री जी से भी मेरी बात हुई । उन्होंने मीटिंग भी बुलायी । उनका कहना है कि वह तो स्वायत्तशासी संस्था है, वह हमसे गवर्न नहीं होते हैं । मेरा निवेदन है कि आप या तो उससे अपना रिश्ता ही खत्म कर लें, या फिर नियमों में ऐसा संशोधन करें जिससे आपका अंकुश उस पर रहे, इसके लिये भले ही आपको केन्द्रीय सरकार से मांग करना पड़े । इसके अलावा जो ८ करोड़ का घाटा है इसे सरकार को बरदास्त करना चाहिये । केन्द्र में भी तो हमारी ही सरकार है, हमें उससे कहना चाहिये । दूसरे संसाधनों को जुटा-कर घाटा पूरा करना चाहिये, पर किसानों पर यह टैक्स कम होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया अब बैठें । (व्यवधान)

श्री ऑसान सिंह—

एक और बात किसान को धान और गन्ने के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, दूसरी ओर उससे यह अधिक दाम बिजली के लिये जा रहे हैं । सरकार को यह घोषणा करनी चाहिये कि किसानों पर किसी भी कीमत पर यह रेट बढ़ाया नहीं जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला-वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका हर वह आदमी समर्थन करेगा जो किसानों का भला चाहता है और वह उसका समर्थन नहीं करेगा जो किसानों का दुश्मन है, भले ही वह किसानों का सदा नाम लेता रहा हो । आज किसान शब्द के साथ बलात्कार किया जा रहा है । कहा जाता है कि अब किसान युग आ गया है, पर जब किसानों के लिये काम करने का वक्त आता है तो आचरण किसान विरोधी किया जाता है । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर मंत्री जी ने इस संबंध में अपनी क्या नीति बनायी है । संपूर्ण क्रान्ति का नारा लगा कर आप आये । पर आज आपके आचरण में और कांग्रेस मंत्रियों के आचरण में कोई अन्तर नहीं है ।

मैं तो चाहता हूं कि जो लोग गांधी जी, दीनदयाल जी व डा० लोहिया जी की बात करते हैं, वे उसको भी कृपया पढ़ें जो वे कहा करते थे । खाली अफसरों की दी हुई फाइल

के अनुसार न काम करें नहीं तो मान्यवर, चले हो जायेंगे अफसरों के । ये आंकड़े के जंगल में भटक गये हैं । इनको रास्ता नहीं मिल रहा है । इनके विधायक, किसान कह रहा है कि टैक्स न लगाइये, पूरे अफसरों का जो गठबंधन है, यह जनता पार्टी को खा जायगा । माननीय विद्युत मंत्री को यह नीति बनानी पड़ेगी कि बिजली जितनी तैयार होती है, जितना पैसा बिजली को तैयार करने में लागत मूल्य लगता है, उसके अनुपात में कितना टैक्स लगायेंगे आप । अगर चार पैसे में एक यूनिट बिजली बनती है, तो आप ६ पैसे, ८ पैसे प्रति यूनिट टैक्स लगा लें लेकिन १० गुना, २० गुना, ४० गुना टैक्स वसूलेंगे तो यह लूट होगी । जिस तरह से कांग्रेस सरकार लूटती थी, उसी तरह से आपकी सरकार लूटेगी, तो यह जनता पार्टी की सरकार खत्म हो जायेगी । आप नीति बनाइये । नीति बनायेंगे, तो यह आपके सामने फिर दिक्कतें नहीं आयेंगी । मेरा कहना यह है कि मान्यवर, मैं कुछ ठोस सुझाव दे रहा हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को क्योंकि मैं उनकी दुविधा को समझता हूं, विद्युत् मंत्री जी की दुविधा को समझता हूं, हां, मन से जो चाहते हैं और जबान से जरूर कहते हैं किसान, किसान, किसान । इस देश में आचरण का आदर्श कुछ नहीं रह गया है । जितनी भी सरकारें आई हैं उसने कोई आदर्श नहीं रखा है । एक सुझाव देना चाहता हूं कि खाली वाह-वाह की बोली मत बोलिये, ताली बजवाने के लिए बहुत बड़ा भाषण न दीजिये । सिकन्दर भी नहीं रहा, हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे । मेरा छोटा सुझाव है, अक्ल से रिश्ता है, बिना अक्ल वाले नहीं समझ पायेंगे इसको ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव रखा है कल्पनाथ सिंह जी ने इसमें छोटा सा मेरा सुझाव है कि १० हार्स पावर के जितने नलकूप हैं या १० हार्स पावर तक की बिजली जिनको देते हैं, सबकी आप १० रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से आप पैसा लें, उससे अगर ज्यादा का हो, बड़ा किसान हो, जमींदार हो, जमींदार घर से आये हैं विद्युत् मंत्री, जमींदार भी किसान होता है लेकिन बड़ा किसान होता है । तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप । आपकी मंत्रि परिषद् ने नहीं पारित किया, आपके किसान के बेटे, मुख्य मंत्री ने नहीं कहा, तो विद्युत् मंत्री आप क्यों अपने सिर पर लेते हैं, आप क्यों किसान विरोधी बनते हैं, किसानों पर टैक्स लगाकर ? क्या किसानों पर टैक्स लगाकर किसानों के लोकप्रिय हो जायेंगे ? ऐसा मत करिए । वह चरित्र और आचरण का द्वंद मत पैदा करिए । १२ रुपया जो प्रति हार्स पावर का रेट है इसको बिना किसी लज्जा और संकोच के बिना किसी छोटे मंच से लाया, हां खुशी-खुशी स्वीकार करने की आप घोषणा कर दें । हम मान लेंगे ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी को धन्यवाद अदा करना चाहूंगा जो उन्होंनेजनभावनाओं को समझ कर ऐसा प्रस्ताव सदन के सामने लाये हैं । मान्यवर, जनता सरकार जब शासन में आई, इसका पहला नारा था कि चलें गांव की ओर । गांव की ओर जाने वाली सरकार आज किसानों के ऊपर लगाये जाने वाले विद्युत् कर को बढ़ाने जा रही है । यह कैसी विडम्बना है । आज मान्यवर, अभी विद्युत् कर्मचारियों की हड़ताल थी, मुख्य मंत्री जी ने २२ करोड़ का घाटा सह लिये । इसका जो ८ करोड़ का घाटा

[श्री अशोक बाजपेयी—]

हैं, इसको बर्दास्त करने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं। अभी उनको इस बात की शंका है कि कहीं किसान ज्यादा ट्यूबवेल न लगायें, हमारी सरकार अधिक सिंचन शक्ति बढ़ाए जा रही है। विद्युत मंत्री जी ट्यूबवेल की कमी चाहते हैं, जैसा कि अभी शतरुद्ध प्रकाश जी ने कहा कि इस पूरे विद्युत परिषद् पर भ्रष्ट अधिकारी पूरे तरीके से छाये हुए हैं, माननीय विद्युत मंत्री पूरी लाचारी महसूस कर रहे हैं, उनका कोई अंकुश इस पर नहीं है।

यहां जो विद्युत् सचिव हैं [x x] जिसके भ्रष्ट आचरण के संबंध में तत्कालीन मुख्य मंत्री, चौधरी चरण सिंह, मा० चन्द्रभानु गुप्त, सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने उनके चरित्र पंजिका में अंकित किया था कि वह भ्रष्ट अधिकारी हैं। लेकिन इस शासन ने उसको सचिव बना दिया है। मैं नहीं जानता कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को प्रमोशन क्यों दिया गया। आज करोड़ों रुपये की बिजली की चोरी होती है, माननीय मन्त्री जी उसको रोक नहीं पा रहे हैं। अगर वह केवल इस बिजली की चोरी को रोक दें तो जो यह १२ से १५ रुपये की बढ़ोत्तरी की गयी है, वह नहीं लगानी पड़ेगी और विद्युत परिषद् को घाटा नहीं होगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैंने कल एक प्रश्न पूछा था। लेकिन मेरा नम्बर नहीं आया। मैंने प्रश्न किया था कि हरदोई जनपद में जनता शासन आने के बाद कितने गांव का विद्युतीकरण किया गया ?

श्री नेम सिंह चौहान—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, उत्तर आया कि पूरे शासन में १३ गांवों का विद्युतीकरण किया गया। मान्यवर, हरदोई में ७ हजार गांव हैं। डेढ़ साल के अन्दर १३ गांवों का विद्युतीकरण किया गया इस हिसाब से एक हजार वर्ष में, इस शासन में, हरदोई के गांवों का विद्युतीकरण होगा। हम गांवों के विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ केवल १३ गांवों का विद्युतीकरण हुआ। जनता इस प्रस्ताव के समर्थन में है। जनमत इसके समर्थन में है, किसान इसके समर्थन में हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री अशोक बाजपेयी—

जनभावना को देखते हुये हमारी उदार सरकार, उदार मन्त्री इसको स्वीकार करें और १५ रुपये से घटाकर १२ रुपये करने का निर्णय लें।

नोट—[x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री नेम सिंह चौहान—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस पीठ से व्यवस्था दी जा चुकी है। जो व्यक्ति या अधिकारी इस माननीय सदन का सदस्य नहीं है, इसके ऊपर अशोक बाजपेयी जी ने नाम से आरोप लगाया है। इस पर व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता—

आपके व्यवस्था के प्रश्न से मैं सहमत हूं। माननीय बाजपेयी जी ने जो सचिव शब्द का इस्तेमाल किया है वह ठीक है लेकिन किसी का नाम लिया वह गलत है, वह निकाल दिया जायगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला-बाराबंकी)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्री कल्पनाथ सिंह जी ने प्रस्ताव उपस्थित किया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हूं। अभी हमारे माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं। इस सम्बन्ध में आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप भी उन्हीं आचरणों को करने जा रहे हैं जिन आचरणों से क्षुब्ध होकर इस देश की जनता ने कांग्रेसी शासन को खत्म करके आपको सत्ता दी। इसलिए यह जो आपने किसानों के ऊपर भार बढ़ाया है तो इस बिजली के अधिभार को कम किया जाय। इसके बारे में आपने गला फाड़-फाड़ कर, जितने लोग मन्त्रि मन्डल में हैं और सदस्य हैं, हम लोग भी कहते थे कि बिजली के रेट को कम करायेंगे। आपने कम किया। लेकिन कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलकर आपने फिर १५ रुपये कर दिया। मेरा निवेदन है कि आप प्रदेश के किसानों के हितों की दुहाई की बात करते हैं तो वह होना चाहिए। विरोध पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि सत्ता पार्टी के लोगों ने एक प्रस्ताव रखा जिसको उन्होंने वापस ले लिया। प्रस्ताव रखने का मतलब यह है कि सरकार का ध्यान प्रदेश की जनता की तरफ जाय, क्योंकि उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है और उनकी समस्यायें हल करें। इसका मतलब यह नहीं कि प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं। प्रतिपक्ष को अपने को ऐसा बनाना होगा कि वह स्वयं इस तरह के प्रस्ताव पेश करें। यदि प्रतिपक्ष में हिम्मत हो तो वह ऐसा प्रस्ताव रखें। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि माननीय सदस्य शत्रुरुद्ध प्रकाश जी ने कहा, कि १० रुपये प्रति हार्स पावर का रेट किया जाय। तो विद्युत और मुख्य मंत्री जो किसानों के हिमायती हैं मैं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आज ही इस सदन के अन्दर प्रदेश के किसानों के हितों को ध्यान में रखकर १० रुपये प्रति हार्स पावर रेट की घोषणा करें जिससे प्रदेश की जनता आपको बधाई दे और कहे कि सरकार वास्तव में जनता के हितों को पहचानती है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर समय मांगने पर)

श्री अधिष्ठाता—

अब समय कम है इसलिये विद्युत मन्त्री बोलेंगे।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला-मुरादाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और प्रस्ताव है कि इसके लिये कुछ समय बढ़ा दें।

श्री अधिष्ठाता—

नेता सदन इस सम्बन्ध में यदि प्रस्ताव करें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं समय तक बढ़ाने के लिये तैयार हूं। क्योंकि केवल २५ मिनट रह गये हैं और मन्त्री जी ४० मिनट मांग रहे हैं। इसलिये मैं कैसे आप लोगों को समय दूं। इसके लिये नेता सदन यदि प्रस्ताव कर दें तो ठीक होगा।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, सदस्यों की भावनाएं जिस तरह आ रही हैं उससे हम सभी लोग परिचित हैं। ऐसा नहीं है कि जिस मामले को लेकर हमारे सम्मानित सदस्य चिन्तित हैं उधर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार ने गांवों की ओर चलने का नारा दिया और उस तरफ वह बढ़ रही है। जिस प्रश्न पर विवाद हो रहा है, मैं समझता हूं कि जो सदस्य अपनी भावना को व्यक्त कर चुके हैं और व्यक्त करने वाले हैं, उसमें इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि अब बहुत कुछ और आगे विवाद चलने में कोई लाभ नहीं मिलने वाला है जबकि स्वयं जिस तरह के आक्षेप, आरोप या बिजली बोर्ड के सम्बन्ध में सारी बातें आयी हैं उनको हमारे विद्युत मंत्री शाही जी अच्छी तरह से आपके सामने रखेंगे और तब आप समझेंगे कि सचमुच में शासन ने किन बातों को ध्यान में रखकर उस तरफ कदम उठाया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार किसानों की है, किसानों की नीति के आधार पर चल रही है और चलेगी। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस नीति से उसे हटा सके। आप सभी की, पूरे प्रदेश की और देश की जनता की जो आशायें और आकांक्षायें जनता सरकार पर लगी थी उसी दिशा में केन्द्र और प्रदेशीय सरकार कदम बढ़ा रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का प्रस्ताव आप लाये हैं और जिस प्रकार आप चिन्तित हैं हम भी उसी प्रकार चिन्तित हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो १५ रुपये के स्थान पर १२ रुपये की बात आई है उस में सरकार अवश्य ही विचार करेगी और उसे लागू भी करेगी लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा वह मैं सदन को बता देना चाहता हूं। शेष सारे मसलों पर शाही जी विस्तृत रूप से विचार करेंगे।

(विद्युत मन्त्री को पुकारे जाने पर)

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला-आगरा)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा इस प्रस्ताव के लिये बढ़ा दिया जाय। जो कुछ मुख्य मन्त्री जी ने कहा है वह निर्मूल बातें हैं . . .

श्री अधिष्ठाता—

पालीवाल जी मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं। अब मैंने विद्युत मन्त्री जी को बुला लिया है।

विद्युत मन्त्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)—

मान्यवर . . . .

श्री मुकीमुर्रहमान—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सुबह ११ बजे मैंने अपना नाम अपके सामने पटल पर भेजा उस समय उपाध्यक्ष जी बैठे थे उनके बाद आप आ गये और मेरा नाम काट दिया गया मैं तीन बार खड़ा हुआ हूं लेकिन बोलने का मौका नहीं मिला।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह बात सही है कि आप लोग बोलना चाहते हैं लेकिन समय की बहुत बड़ी मजबूरी है। मेरे सामने ऐसी परिस्थिति है कि क्या करूं बीस मिनट में यह सब समाप्त करना है। विद्युत् मन्त्री जी के बाद एक दो मिनट आप को स्पष्टीकरण करना हो तो दे दिया जायगा।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मेरा कितना समय है, मान्यवर . .

श्री अधिष्ठाता—

आप दो बजे समाप्त कर दें।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव के माध्यम से इस पूरे सदन का और सारे प्रदेश के किसानों के सवाल की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

मान्यवर, मैं इस स्थिति को साफ कर देना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार में जो लोग बैठे हैं और उनके सहयोगी बनकर जो सभी माननीय सदस्य इधर बैठे हैं वे सामान्य उत्तरदायित्व की भूमिका निभा रहे हैं। किसानों के हित में, प्रदेश के हित में और जब कभी ऐसा प्रश्न आता है जो जन जीवन को छूने वाला होता है तो हमें भी इंकार नहीं होता कि इस प्रकार की बात कहने में उनकी जुबान बंद करें। लोकतंत्र में इतना अवश्य है कि सदन की खुली जांच हो और हम उसके लिए स्वागत करते हैं और आमंत्रित करते हैं और इसीलिये एक बार पुनः माननीय सदस्य कल्पनाथ सिंह, मैनेजर सिंह, राम मिलन सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इन प्रश्नों को उभारा है।

मान्यवर, इस सदन में किसानों की जितनी भी चर्चा की जाय वह थोड़ी है। पिछले तीस वर्षों से उसे पीछे रखा गया है। उसे आगे नहीं आने दिया गया। कुछ मुट्ठी भर लोगों पर यह सारा सदन, सरकार की नीतियां, केन्द्रित होती रहीं।

मान्यवर, आज इसके बारे में स्थिति स्पष्ट कर देना आवश्यक है। मेरे एकाध मित्रों ने शायद भावावेष में इस सरकार को किसान विरोधी बता दिया मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि यह सरकार, जनता सरकार, किसानों के लिए कृत संकल्प है। यह किसानों की सरकार है और इसलिये मान्यवर, शासन में आने के घन्टे भर बाद इस नयी सरकार ने देश के एक बहुत बड़े पूंजीपति जिसके सामने लोग ३० वर्षों से नतमस्तक होते रहे, जिन्होंने रिहन्द पर ५२ करोड़ रुपये लगाकर पूर्वांचल को पानी देने के लिए रिहन्द डैम बनाया, उसकी आधी बिजली गिरवी कर दी। लेकिन हमने उसकी बिजली काटकर

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही—]

किसानों को दे दिया । यह शपथ लेने के डेढ़ घंटे में किसानों के पक्ष में हमने फैसला लिया । तो हम किसानों के लिये हैं, यह इस बात का प्रतीक है ।

अगर हमने लाखों लोगों के लगान माफ कर दिये, तो मैं शतरुद्रध जी से कहना चाहता हूं कि क्या यह किसान विरोधी काम हुआ ? लेकिन अभी वह नौजवान हैं और अपने को डा० लोहिया का शिष्य मानते हैं । लेकिन मैं उनसे इतना निवेदन करूंगा कि डा० लोहिया पहले पढ़ते थे, सोचते थे और तब लिखते थे । मान्यवर, जिस दिन जनता सरकार आयी, इसने दो-तिहाई किसानों के लगान माफ कर दिये । तो क्या यह किसान विरोधी सरकार थी ? क्या यह किसानों के हित में उनके पक्ष में फैसला था ? क्या यह फैसला किसानों के पक्ष में नहीं है कि हम महलों के बजाय झोपड़ियों की ओर चलेंगे और बिजली का प्रकाश गांव की ओर ले जायेंगे और दो घण्टे की जगह १८ घण्टे और अगर सम्भव हुआ तो चौबीसों घंटे उनको बिजली देंगे ? यह किसान विरोधी फैसला नहीं है, उनके पक्ष में है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग यह सोच रहे हैं उनके दिमाग में यह बात आना चाहिये, यह बात पड़नी चाहिये ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के अन्दर जो पहले यहां आलू सड़ जाता था, बाजार में बिकता नहीं था, उस आलू के लिये एक वर्ष के अंदर . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय विद्युत मन्त्री जी, कृपया आप बिजली के बारे में बोलें क्योंकि समय कम है ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, बिजली पर ही बोल रहा हूं ।

तो मान्यवर, मैं बता रहा था कि जो आलू सड़ जाता था, उसको रखने के लिये एक वर्ष के अन्दर अगर क्षमता से अधिक कोल्ड स्टोरेज को बिजली दे दी गयी, तो क्या यह किसान विरोधी नीति है ? क्या क्रशर्स के लिये और राइस मिलों के लिये बिजली दी तो वह किसान विरोधी बात हुयी ? मैं इसे क्यों इंगित कर रहा हूं ? इसलिये कि यह सारे फैसले किसानों के हित के लिये । मेरे मित्र आश्चर्य न करें ये रेट्स भी किसानों के हित के लिये बढ़ाने के लिये मजबूर होना पड़ा ।

मान्यवर, इसके पीछे एक और भी बात थी और वह यह कि बिजली बोर्ड एक स्वायत्त-शासी संस्था है । बिजली बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के भी नियंत्रण में है और सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी एथारिटी, जो केन्द्र में बैठी है, वह भी अपना नियन्त्रण रखती है और आदेश करती है । गांव में बिजली देने के लिये रूरल इलेक्ट्रिक कारपोरेशन, जो गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का है, उसको भी कुछ नाम है और इसी हिसाब से वर्ल्ड बैंक से कर्ज मिलता है । हमारे सभी मित्रों को याद होगा, पिछले दिनों यह बात आयी थी कि वर्ल्ड बैंक ने जो रीडिंग्स की उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि अगर रेट्स रिवाइज नहीं हुये, तो कर्ज देने में कठिनाई होगी । हमारे कई मित्रों को याद होगा , उस पैसे को चुनाव के दिनों में दूसरी जगह

खर्च कर दिया गया तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन की तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाय --यहां तक की संस्तुति हो गयी थी।

मान्यवर, जब यह सवाल आया तो हमने फैसला किया कि रेट कहां बढ़ाये जायं ? मान्यवर, यह भी साफ कर दूं कि रेट्स के बढ़ाने और घटाने में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बोर्ड स्वयं सक्षम संस्था है इसी नाते बोर्ड ने इन सारे परिपेक्ष्य में फैसला लिया तो मेरे से केवल इतनी बात कही कि सिफारिश कर दें क्योंकि सभी रेट्स में कहीं पर २३ पैसे कहीं ४० पैसे, वेस्ट बंगाल में ४० पैसे रेट हैं। तो उन्होंने हमें बताया, हमने कहा पिछले ५ साल पहले जो टैरिफ था उसके आगे बढ़ने का सवाल नहीं है, इसलिये आप इसको कीजिए। सब आंकड़े देखें। श्रीमन्, आंकड़ों में कहा गया कि अब भी १५ रू० के टैरिफ पर भी २०० रू० प्रति हार्स पावर पर प्रति वर्ष ट्यूबवेल पर घाटा उठाकर बिजली पहुंचा रहे हैं, इस पर जो हिसाब जोड़ा गया, तो १८ प्वाइन्ट कुछ पैसे पर जायेगा और जो रास्ते का छीजन है, जब वह किसान के प्रिमसेज में पहुंचता है, उसके ट्यूबवेल पर, वह भी रू० के टैरिफ पर भी २०० रू० प्रति हार्स पावर पर प्रति वर्ष ट्यूबवेल पर घाटा उठाकर बिजली का था तो बिजली की कास्ट १४-१५ पैसा थी और आज १८ पैसा हो गयी है। कोयला मंहगा, मजदूरी मंहगी, तेल मंहगा है, इसलिए १८ पैसे पर भी वही बिजली है और जो कास्ट आफ जनरेशन है, ट्रांसमीशन की जो कास्ट है, उसको निकाल दिया गया है। ऐसी स्थिति में टैरिफ हमको बढ़ाना पड़ा।

मान्यवर, इतना ही नहीं सारे प्रदेशों के आंकड़े बढ़ाये गये और जो किसान बिजली को कंज्यूम करता है, उसके घंटे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जोड़ लिया, यदि ५ हार्स पावर का मोटर एक घंटा चलता है, तो साढ़े तीन यूनिट बिजली की खपत होती है। इस तरह से जैसे-जैसे हार्स पावर बढ़ता है, इसकी वृद्धि होती है। आमतौर पर किसान के सिंचाई का मोटर ५ से कम में नहीं चलता है, तो साढ़े तीन यूनिट बिजली लगती है। इस सारे हिसाब-किताब में एक ही बात ध्वनित हुई कि हमको यह टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। जैसा मुख्य मन्त्री जी ने संकेत किया किसानों की सरकार है या गन्ने का सवाल आधा दाम दूसरे दिये जायं, किसानों को सब्सीडाइज किया जाय। पंजाब में बिजली साढ़े १२ रू० प्रति हार्स पावर वहां की सरकार ने दिया है और जो बजट में घटाया उसको सब्सीडाइज किया है और इसमें रेट साढ़े ११ पर तें कर दें साथ-साथ जो बोर्ड का घाटा था, उसकी लंबी बहस में नहीं जाता। वह घाटा कम करने की दिशा में कदम उठायेंगे, इसके लिए काम करेंगे, लेकिन केवल यह कहकर कि घाटा फिजूलखर्ची है, भ्रष्टाचार है, इसलिए आप यह भी दे दीजिए, वह भी दे दीजिये, तो यह बात चल नहीं सकती। पिछले

(इस समय १ बजकर ५६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जन्नाथ प्रसाद पुनः पीठासीन हुए।)

साल जब हम आये तब से ५१ करोड़ का कोई न कोई कार्य-क्रम ऐसा बना जिसमें १५.१२ रू० का टैरिफ था और इसमें ८ करोड़ का घाटा गया। इस प्रकार से ५१ करोड़ रू० अतिरिक्त व्यय भार था, आमदनी तो फिक्स है। जो टैरिफ आपने बढ़ाया उसमें १६ करोड़ से ऊपर का रुपया भारत सरकार को देना है, तो आमदनी तो फिक्स है और करते करते ८ करोड़ का घाटा छोड़ गये थे और ६ करोड़ रू० वेतन पुनरीक्षण में जो सन् ७४ से नहीं किया था इसलिये देना पड़ा, अब भी इसको देना पड़ा, तेल ईंधन के दाम बढ़ गए इस-

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही—]
लिए देना है। ५१ करोड़ पिछले साल बढ़ा, तो सारे प्रदेश के विकास कार्य कैसे करेंगे। अगर हम इसको भावात्मक धरातल पर रखकर चलेंगे, तो नहीं होगा। जो नये ट्यूबवेल लगाने की बात है, उस काम में बहुत अवरोध बढ़ गया है। इस सच्चाई से सदन को आंख नहीं बन्द करनी चाहिये।

मैं मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं वर्ष १९७६-७७ में ११ हजार ट्यूबवेल लगाए गए वर्ष १९७७-७८ में २७ हजार लगाये गये इस साल ४० हजार लगाना चाहते हैं। ३०० मीटर पर छूट दी है १०० मीटर पर १२०० किसान को फायदा होता है। इस प्रकार से ३६०० मिनिमम सुविधा दी है। ११ हजार पिछले जमाने में लगे, इनका घाटा कम किया। २६ हजार लगाये तो घाटा बढ़ा, अब ४० हजार लगायेंगे तो घाटा बढ़ेगा, अब इसको कहां से लायें, आपका सोत तो सीमित ही है वह कम हो गया। ट्यूबवेल लगायेंगे ही इसलिये किसान के हित में यह फैसला लिया और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं शत्तरुद्ध को याद दिलाना चाहता हूं कि २६ हजार ट्यूबवेल लगा दिये, फिर भी कहा गया कि किसान विरोधी हैं ऐसा उधर के बैठने वालों ने कहा है। हमने ११ हजार के मुकाबले २६ हजार ट्यूबवेल लगाये। अगले वर्ष ४० हजार ट्यूबवेल लगाने की आकांक्षा है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज थे वह तो हे नाथ नारायण कर दिया। हमें नये रिसोर्सेज ढूंढने हैं। आज हमारे प्रदेश में देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले बिजली की खपत कई गुना ज्यादा है।

श्री श्यामधर मिश्र—

आप तो कहते थे कि रिहन्द को कांग्रेस ने पानी निकालने के लिए बनवाया है।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी का संकल्प है और जैसा मैंने कहा माननीय सदस्य ने इस ओर ध्यान दिलाया और पंजाब सरकार का उदाहरण सबसिडी वाला रखा। अब हम इसे कैबिनेट में रखेंगे और विचार करेंगे कि सबसिडाइज कर सकते हैं? आज इस सदन में हमारे माननीय सदस्य भावात्मक धरातल पर सोचते हैं कि हम इसकी घोषणा कर दें। कठिनाई यह है कि विद्युत परिषद् एक स्वायत्तशासी संस्था है। टैरिफ डिसीजन के बारे में डायरेक्टिव पालिसी देंगे।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मन्त्री जी धमकी दे रहे हैं। उनके ऊपर सदन के प्रस्ताव का कोई असर नहीं है। इसको आप वापस लें। यह तरीका ठीक नहीं है कि सदन के ऊपर विद्युत परिषद् है। हम सुनना नहीं चाहते कि विद्युत परिषद् सदन के ऊपर है।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

हमने कहा कि इस सदन की सर्वोच्च इच्छा है जो बातें ध्वनित हो रही हैं . . . .

श्री मैनेजर सिंह—

सदन से न आप ऊपर हैं, न मंत्रि परिषद् और विद्युत परिषद् ऊपर है। आपके सर पर विद्युत परिषद् हो सकती है लेकिन सदन के ऊपर नहीं है।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

इस सदन की इच्छा तो सर्वोपरि है। लेकिन जो फारमैलिटी है वह अपनी जगह पर है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की जैसी इच्छा है वहां से फारमैलिटीज हो जाने पर मुख्य मन्त्री जी स्वयं सक्षम हैं और सरकार यह फैसला कर लेगी कि हम सबसीडाइज कर सकें। इसमें बोर्ड को दिक्कत नहीं होगी।

श्री मैनेजर सिंह—

जब शासन सबसीडाइज करने के निर्णय लेगा तब आप छूट देंगे। इस बीच किसानों के ऊपर बोझ बढ़ाते जायें। बिजली जैसे ३० साल के कूड़े को आप ढो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सब ऊपर से है अन्दर से यह सरकार उनकी हमदर्द नहीं है।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

एक बात भाई मैनेजर सिंह ने कही। मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं। आपने जिस उद्योगपति की बात कही। उनको बिजली देने में लगभग ६ करोड़ रुपया कई वर्षों में घाटा आया है जो इधर कई वर्षों में ४० करोड़ से ऊपर हो गया है, यह बात शिवराज सिंह कर्मेली ने सन् ७२ में लिखा है। मान्यवर, इसने उनके ऊपर जो टैक्स लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी, अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें। अभी मुझे प्रस्तावक को भी समय देना है।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो बात रखी है, यह सरकार पूरी गहराई से उस पर विचार कर रही है और हम यह मानते हैं कि थोड़े दिन में या अगले सेशन के प्रारम्भ में कोई न कोई हल जरूर निकाल लेंगे जिसकी ओर आपने इंगित किया है इसको ध्यान में रखते हुये माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री रघुवर दयाल शर्मा (जिला—आगरा)—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मन्त्री ने उद्योगों को तो प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी है और किसान को हार्स पावर के हिसाब से बिजली दी है। उद्योग में बिजली बन्द रहती है तो यूनिट बन्द रहता है और उस पर कोई पैसा नहीं लगता लेकिन किसान का हार्स पावर बिजली बन्द रहने पर भी उसके सर पर बैठा रहता है। तो यह दो तरह की नीतियों से किसान का हित होगा और क्या माननीय मन्त्री जी इसे १२ रुपये प्रति हार्स पावर करने का कष्ट करेंगे?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मिनिमम चार्जेज इंडस्ट्रीज से भी लिये जाते हैं। जहां तक किसानों का मामला है यूनिट के हिसाब से चार्ज करने से वही पुरानी शिकायत फिर होगी कि मीटर तेज चल गया

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही—]

घा घट गया । पिछला झगड़ा यही था । फिर तीन लाख ट्यूबवेल इस समय हैं । मार्च तक सवा तीन लाख ट्यूबवेल हो जायेंगे । सवा तीन लाख ट्यूबवेल्स की रीडिंग ले कर बिलिंग करना कठिन है । लिहाजा हमारी दो नीति नहीं है ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

मुझे भी एक स्पष्टीकरण मांगना है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया । मैंने जानबूझकर यह प्रस्ताव रखा था । चार पैसे विद्युत बोर्ड ने सभी पर बढ़ाया था । मैंने केवल यह प्रस्ताव रखा कि किसानों का जो १५ रु० कर दिया है उसे १२ रुपया कर दिया जाय । १ जुलाई से पहले १२ रुपया ही था । मंत्री जी का भाषण मैंने सुना जो मेरे पल्ले नहीं पड़ा । कितना जनरेशन होता है, कितना डीस्ट्रीब्यूशन होता है, विश्व-बैंक क्या देता है ? मैंने दो मुद्दे उठाये थे । किसान के १५ रुपया की जगह १२ कर दिये जायें और जो घाटा पड़े उसको विद्युत परिषद की चोरी, गड़बड़ी तथा फिजूलखर्ची से पूरा किया जाय और फिर भी अगर कमी हो तो पूंजीपतियों से पूरा करने का प्रयास किया जाय ताकि किसानों पर अधिक बोझ न पड़े । उद्योगपतियों से कम पैसा तथा किसानों से ज्यादा पैसा लिया जाता है इससे ज्यादा कष्टकर बात और नहीं हो सकती । माननीय सदस्यों की भावना को मन्त्री महोदय ने तथा बड़ी कृपा करके मुख्य मन्त्री ने भी सुनने का कष्ट किया है ।

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आज मन्त्री जी को यह प्रस्ताव मानने में कठिनाई है तो क्या वह कोई ऐसी तिथि घोषित करेंगे कि अमुक तारीख तक मैं इसे लागू कर दूंगा या इस सदन के केवल पांच सदस्यों की जिसमें मेरा या माननीय मैनेजर सिंह जी का या श्री राम मिलन सिंह का नाम नहीं होगा समिति बनाकर इस मामले को सौंप देंगे । अगर इस पर तैयार हों तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले सकता हूं ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, माननीय सदस्य, श्री कल्पनाथ सिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने फिर अपने विचार व्यक्त कर और मेरा काम आसान कर दिया । मैंने उनसे कहा था कि जल्दी से जल्दी सेशन शुरू होने से पहले इसे और साफ कर देना चाहता हूं कि अधिक से अधिक जो नेक्स्ट फाइनेन्सियल इयर होगा उसका निर्णय जरूर कर लेंगे ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आना चाहिए ।

श्री राम नरेश यादव—

माननीय विद्युत मन्त्री जी ने भी बता दिया और सारी बातें आईं उनके उत्तर में भी काफी विस्तार से चर्चा की है और संकेत भी दिया है। उनके पहले भी मैंने कहा था कि १५ से १२ करने का तो आपका प्रस्ताव है जिसमें चिन्ता और वेदना लेकर सदन में विचार व्यक्त किये हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैंने पहले ही कहा था कि १५ से १२ कर दिया जायेगा। यह बात बिल्कुल निश्चित है, निश्चित यह होगा। लेकिन यह जो है इसमें कुछ प्रक्रिया हमें जरूर पूरी करनी होगी। इसलिये इस बात की तरफ बिजली मन्त्री ने भी संकेत दिया है बिना उनको पूरा किये उनको लागू नहीं किया जा सकता है।

मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी से और प्रस्तावकों से अनुरोध करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री कल्पनाथ सिंह जी आप अपना अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी के निश्चित आश्वासन के बाद इस सम्बन्ध में कोई चीज बच नहीं जाती है। मैं माननीय मित्र सेन जी से कहूंगा कि अब जरा वह अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि जिस दल के साथ वह काम करते थे वह दल ठीक है या यह सत्ता दल। मैं आपके माध्यम से सदन से अपील करूंगा कि मुझे मेरा प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री कल्पनाथ सिंह को अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस हुआ।)

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह सर्वसम्मति से हुआ, श्रीमन्।

वाराणसी जिले की तहसील ज्ञानपुर को अलग जिला बनाये जाने तथा मिर्जापुर की राबर्ट्सगंज व दुद्धी तहसीलों को मिलाकर एक अलग जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय श्यामधर जी, आप अपने दोनों प्रस्तावों को एक साथ रख दें। यह दो बजकर २० मिनट में शुरू हो रहा है और ३ बजकर ४० मिनट पर यह दोनों प्रस्ताव समाप्त कर दिये जायेंगे।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मेरा निवेदन यह है कि मुख्य मन्त्री जी उठ कर चले जा रहे हैं . . .

श्री सोहनवीर सिंह (जिला गाजियाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं मिश्रा जी का विशेष आदर करता हूं। लेकिन मान्यवर, असरकारी दिवस के लिए जो नियमों में प्राविधान है उसके अनुसार दो बजे प्रारम्भ होना चाहिए नियमों में जब तक संशोधन न किया जाये तब तक दो बजे से आरम्भ होना चाहिये। आप इसके बारे में व्यवस्था देकर इसको पीछे कर रहे हैं। तो दो बजे से पांच बजे तक इसके लिये नियमों में व्यवस्था है।

श्री उपाध्यक्ष—

आज असरकारी कार्य के लिए तीन घन्टे का समय निश्चित किया गया था तत्पश्चात् सदन ने निर्णय लिया कि एक घन्टे का टाइम और बढ़ा दिया जाय तो एक घंटे का टाइम और बढ़ा दिया गया। अब यह प्रस्ताव जो श्यामधर जी पेश कर रहे हैं, एक घंटा तक चलेगा। उसके बाद दूसरा प्रस्ताव एक घंटा चलेगा तो यह अनियमित नहीं है। आपके व्यवस्था के प्रश्न में कोई तत्व नहीं है, इसलिये उसको मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, मेरे नाम से दो प्रस्ताव हैं और आपकी आज्ञानुसार दोनों को एक साथ रख रहा हूं।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील को एक अलग जिला बनाया जाय, तथा

मिर्जापुर के राबर्ट्सगंज व दुद्धी तहसीलों को मिलाकर एक अलग जिला बनाया जाय।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं यहां के विधायकों से कहना चाहता हूं कि मैं उस एरिया का अकेला विधायक हूं और मैंने जनता पार्टी के विधायकों से राय करके इस प्रस्ताव को सदन में रखा है और मुझे आशा है कि वह भी समर्थन में बोलेंगे और उन्होंने इस तरह का कल ही दस्तखत करके मुख्य मन्त्री को दिया भी है। यह राजनैतिक नहीं एक आवश्यक प्रस्ताव है। अपने पहले प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे निवेदन यह करना है कि यह जो तहसील है यह पहले बनारस राज्य का हिस्सा था। सन् ४९ में तीन राज्य थे, टेहड़ी, रामपुर और बनारस राज्य। और यह एक जिला था टेहरी एक जिला था। और रामपुर एक जिला था। टेहड़ी और रामपुर जिला रह गये और ज्ञानपुर केवल तहसील रह गयी। चकिया वगैरह अलग रहे। तो हम लोग जो प्रतिनिधि थे उस समय, पन्त जी से मिले और उनसे कहा कि हमारा जिला बनना चाहिये, लेकिन उन्होंने कहा हम लोग इसको उप जिला बनायेंगे। उप जिला परिषद् बना दिया, उसकी पूरी ताकत दे दिया, इसको बोर्ड या सब डिवीजन

बना लिया। इसको और ललितपुर को भी सब-डिवीजन इसी तरह का बनाया गया था। लेकिन बाद में ललितपुर तो जिला बना दिया गया, लेकिन वह वहीं का वहीं पड़ा रहा। आज भदोही-ज्ञानपुर रेजीडेंशियल डिवीजन है।

यह आपको जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश में कुल १२५ करोड़ रुपये का निर्यात होता है। केवल एक तहसील भदोही-ज्ञानपुर से कालीनों का निर्यात होता है, जिसको मिर्जापुरी कालीन कहते हैं। इसमें दो लाख लोग कारोबार में लगे हुए हैं। इस ७५ करोड़ रुपये में से ४५ करोड़ रुपया जनता को मिलता है और व्यापारियों को केवल १० करोड़ रुपया मिलता है। इस ७५ करोड़ रुपये में से २ करोड़ केन्द्रीय सरकार टैक्स ले लेती है और एक तहसील से २ करोड़ रुपये का और टैक्स मिलता है। इस तरह से वहां से कुल ४ करोड़ का टैक्स मिलता है। ऐसी कोई भी तहसील प्रदेश या देश में नहीं है, जो ४ करोड़ का टैक्स देती हो। मेरे पास एक पुस्तक आर्थिक समीक्षा है, जिसके अनुसार पूरे प्रान्त की तो २५ सौ करोड़ रुपये की गत वर्ष आमदनी थी। इस पुरानी पुस्तिका में मैंने बनारस की आमदनी को भी देखा है। जितना फायदा होता है किसानों का खेती से और जितना मजदूरों को रुपया मिलता है और उद्योगपतियों को फायदा होता है, १०० करोड़ रुपया सालाना का उत्पादन होता है, एक तहसील में। २५ सौ करोड़ पूरे प्रदेश में होता है जब कि ५६ जिले हैं। उनका औसत लगाया जाय ५० करोड़ एक जिले में नहीं पड़ेगा। एक तहसील १०० करोड़ देती है और तब देती है जब सरकार कुछ नहीं करती। यहां दो मन्त्री बैठे हैं एक मन्त्री श्रीवास्तव जी गये हैं माल मन्त्री नहीं गये हैं। मैं उनको दावत देता हूं मेरी कांस्टीट्यूएंसी में न जायं, बेचू राम जी उनके बगल में बैठे हैं, उनकी कांस्टीट्यूएंसी में जायं। मैं नालायक आदमी हूं। वह लोग अच्छे हैं। चल कर देखें जहां चार करोड़ रुपया मिलता वहां यह क्या कर सकते हैं। मैं थोड़ी पिछली बात कह कह दूं। मैं ही उत्तर दे दूं। १९७६ में नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री थे। उन्होंने हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया। (व्यवधान) मेरा टाइम जा रहा है। बड़ी कृपा होगी सुन लें। श्रीमन्, आप ताज्जुब करेंगे कि उस समय डिवीजनल कान्फ्रेन्स होती थी और गाजीपुर में मीटिंग किया। उन्होंने पूरे डिवीजन के हर जिले को रुपया १६ करोड़, २० करोड़ रुपया उसमें बनारस जिले को दिया। लेकिन एक पैसा हमारी तहसील को नहीं दिया। मेरा वह पत्र फाइल में मौजूद होगा। उसको निकाल लिया जाय।

मैं कहना चाहता हूं कि उद्योग की दृष्टि से उस तहसील को आप जिला बना दें। यह मैं उस तहसील की ओर से कहता हूं और आपके विधायक कहेंगे, खड़े होकर, जो वहां पर ७५ करोड़ का उत्पादन है डेढ़ सौ करोड़ का निर्यात हो जायेगा। वहां न होटल की सुविधा है २० विदेशी व्यक्ति रोज आते हैं। कैसी सड़कें भदोही, खमरिया, माधवगंज, गोपीगंज में हैं चलकर उनकी दुर्दशा देखिए। केन्द्रीय सरकार ने बड़ी मदद की इसलिए निर्यात बढ़ा। पिछली केन्द्रीय सरकार ने बड़ी मदद की। लेकिन प्रान्तीय सरकार ने दुर्भाग्य-वश नहीं किया। आज प्रान्तीय सरकार के सामने इस सदन में निवेदन कर रहा हूं उस भू-भाग की ओर से जो समस्या है, उसको एक जिला में परिवर्तित किया जाय।

[श्री श्यामधर मिश्र—]

एक वाक्य और कह दूं। शहरों को छोड़कर कोई ऐसी तहसील है जहां २० या २५ बैंक होंगे ? केवल ज्ञानपुर तहसील है जहां २०-२५ बैंक हैं। यातायात की सुविधा न होते हुए वहां इतनी गाड़ियां हैं। लेकिन वहां टैलेक्स, टेलीफोन की सुविधा नहीं है। अगर टैलेक्स की सुविधा हो, टैलेक्स इसलिए चाहिये कि जरमनी अमेरिका से बात करनी है, अगर प्रान्त की सरकार लड़े, उसके लिए हमारे जिले का कलेक्टर लड़े लेकिन हमारे जिले का कलेक्टर बनारस में बैठा है। हमारे लिये कौन लड़ेगा ? हमारे पास ए० डी० एम० भी नहीं है। हमारी कहानी दर्दनाक है। इतना कहकर राबर्ट्सगंज की तरफ आऊंगा। मा० श्रीवास्तव और शारदा भक्त सिंह जी सुन लें। ४ हजार किलोमीटर सड़कों की बेरोजगार योजना में स्वीकृति हुई। जिसमें भदोही तहसील को केवल ३ किलोमीटर ही मिली। इसको दुरुस्त किया जाय। यह न कहकर टाला जाय कि कांग्रेस सरकार थी उस समय, मैं क्या करूं। आपकी लायक सरकार है, अब आप ठीक कीजिए। आप यह कहें कि हम ठीक नहीं करेंगे, कांग्रेस सरकार ने ठीक नहीं किया तो आप भी वही गलती करेंगे जो कांग्रेस ने की। जैसा मैंने कहा केन्द्रीय सरकार ने उस समय की केन्द्रीय सरकार ने हमारी काफी सहायता की लेकिन प्रान्तीय सरकार ने नहीं की। अगर यहां थोड़ा इलाका कम होता तो मिर्जापुर का इधर का इलाका, हंडिया का इलाका और जौनपुर का कुछ इलाका जोड़कर इसको जिला बना दिया जाय।

दूसरा प्रस्ताव यह है कि राबर्ट्सगंज और दुद्धी को जोड़कर एक जिला बना दिया जाय। कितना बड़ा अन्याय उनके साथ हो रहा है। अगर फाइल में देखा जाय, तो जो मुझे जानकारी है वह यह कि उस समय निश्चित हो गया था कांग्रेस के जमाने में कि राबर्ट्सगंज को एक जिला बनाया जायगा। पता नहीं किन कारणों से इसको रोक दिया गया। लेकिन कोई कारण नहीं है, कोई राजनैतिक कारण नहीं है। नतीजा यह है कि मिर्जापुर का इलाका पिछड़ रहा है और राबर्ट्सगंज का भी इलाका पिछड़ रहा है। राजनाथ जी सुन लें। दोनों जिले अलग-अलग हो जायं तो दोनों अच्छी प्रगति करेंगे और वह इस सरकार की क्रान्तिमय सरकार की क्रान्ति प्रेमी सरकार की विकेन्द्रित व्यवस्था की नीति में ज्ञानपुर को दो जिले होने ही चाहिए, औद्योगिक जिला ज्ञानपुर होना चाहिए और राबर्ट्गंज जिला होना ही चाहिये। कल मैंने मुख्य मन्त्री जी के कक्ष में जाकर निवेदन किया।

श्री सुन्दरलाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, राबर्ट्सगंज और दुद्धी मिलाकर एक जिला हो जाय तो न केवल उस जिले के लिए भलाई होगी बल्कि पूरे प्रान्त के लिए बहुत भलाई होगी क्योंकि बहुत सी चीजें जो भू-गर्भ में उपलब्ध नहीं वह वहां हैं। जिला मुख्यालय राबर्ट्सगंज बनावें या और कहीं बनावें, जहां पर सरकार उचित समझे वहां पर बनावें। लेकिन अगर राबर्ट्सगंज में ही बनाया जाय तो अच्छा होगा। इस ओर माननीय सदस्य अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। अगर ऐसा किया गया तो मिर्जापुर की प्रगति निश्चित है और अच्छी प्रकार से हो सकती

हैं। आप प्लानिंग कमीशन के ४ वर्ष के पत्रक को उठा कर देख लें तो मिर्जापुर जिला सबसे अग्रणी जिलों में गिना जाता है। वहां पर २-४ फैक्टरियां हैं, एक केमिकल फैक्ट्री है, हिन्डालको है उनको लेकर मिर्जापुर जिला आगे रहा है। लेकिन अगर इनको हटा दिया जाये तो यह बहुत ही पिछड़ा जिला हो जायेगा।

रावर्ट्सगंज की बात तो मैं नहीं कहता हूं लेकिन ज्ञानपुर की बात मैं जरूर कहता हूं कि अगर वह जिला बना दिया जाता है तो सरकार को बहुत कम रुपया मकानों पर खर्च करना पड़ेगा। वहां पर कलेक्टर के लिए बंगला मिल सकता है, जज के लिए बंगला मिल सकता है। यह वाराणसी राज्य का जिला रहा है और यहां पर बहुत सी बड़ी बड़ी इमारतें सरकार को मिल जावेंगी। ज्ञानपुर में अस्पताल के लिए मकान मिल सकता है, फिर क्या कमी है। इस प्रकार से आप विचार करें कि उसको एक जिला बनाया जाये।

श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, माननीय श्यामधर मिश्र ने जो अपना मूल प्रस्ताव पेश किया है उसमें मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि मूल प्रस्ताव में शब्द तहसील को' के स्थान पर शब्द "और मिर्जापुर जिले की सदर तथा चुनार तहसीलों को मिला-कर" रख दिये जायें।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आपने यह संशोधन का प्रस्ताव पहले भेजा था।

श्री राजनाथ सिंह—

जी हां, पहले ही दिया है और वह नत्थी 'क' में है। मान्यवर, मिर्जापुर जिले का जो दक्षिणांचल है उसकी ओर से बराबर यह मांग आती रही है कि उसको एक जिला बना दिया जाये। यह क्षेत्र लगभग ११ हजार वर्ग मील का है। यह जनपद सबसे बड़ा जनपद है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने संशोधन को पढ़ दें।

श्री राजनाथ सिंह—

मैंने अपने संशोधन को प्रस्तुत कर दिया है मिर्जापुर शहर की दूरी इस अंचल से लगभग २५० किलोमीटर पड़ती है। अगर कोई आदमी आना चाहता है तो उसको इतनी दूरी तय करके आनी पड़ती है। मिर्जापुर जिले को भौगोलिक दृष्टि से तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक तो मिर्जापुर में जो गंगा नदी है उसके दोनों ओर का एरिया इसको हम गंगानी भाग कह सकते हैं दूसरा विन्ध्याचल और तेंमूर की पहाड़ी का भाग इसको हम पहाड़ी भाग कह सकते हैं और तीसरा सोन नदी का हिस्सा तीसरा हिस्सा है। अगर इसको इस दृष्टि से विभाजित किया जाता है तो न्याय संगत नहीं होगा। मिर्जापुर के दक्षिणां-चल में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के कई प्रतिष्ठान हैं। इनको छोड़कर मिर्जा-पुर में आदिवासी रहते हैं जिनको तन ढकने के लिये कपड़ा नहीं है, खाने के नाम पर वह बेर खाते हैं और अपना जीवकोपार्जन करते हैं, रहने के लिए छाया नहीं मिल पाती

[श्री राजनाथ सिंह—]

हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि उनका जीवन स्तर कैसे होगा। हिन्दुस्तान को आजादी मिले लगभग ३० वर्ष हो गये हैं। लेकिन मिर्जापुर के दक्षिणांचल में जो आदिवासी हैं आज वे अपनी यथास्थिति में बने हुए हैं, उनके जीवन स्तर में कोई उन्नयन नहीं हुआ है। जो भी प्रतिनिधि मिर्जापुर से चुनकर आये हैं, उन लोगों ने सरकार से मांग की है कि मिर्जापुर तहसील और चुनार तहसील और जो मैदानी क्षेत्र है जिसको ज्ञानपुर तहसील भी कहते हैं उसके साथ जोड़ दी जाय और इन तीन तहसीलों को सम्मिलित करके हेडक्वार्टर मिर्जापुर नगर कर दिया जाय और साथ साथ राबर्ट्सगंज और दुद्धी तहसील और वाराणसी के निकट का थोड़ा हिस्सा पहाड़ी जिला बना दिया जाय जिसका हेडक्वार्टर चोपन में हो तो मैं समझता हूं कि दोनों क्षेत्रों के साथ न्यायपूर्ण निर्णय होगा और जो पहाड़ी जिला घोषित होगा उसके नागरिकों को यह सुविधा होगी जो कि अन्य पर्वतीय जिलों को सुविधायें प्राप्त होती हैं। भदोही कालीन के उद्योग में प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक स्थान रखता है। अब मिर्जापुर भी कालीन के उद्योग में पीछे नहीं रह गया है। मिर्जापुर गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगर वहां पर शहर के नजदीक एक बिज का निर्माण कर दिया जाय तो आवागमन की सुविधा हो जाय। मिर्जापुर से १० मील पर गंगा नदी के उस पार एक गांव भटौली बसा हुआ है। भटौली के दूसरी तरफ गंगा नदी पार करने पर कछुआ बाजार पड़ता है। तो यदि वहां पर एक बिज का निर्माण कराया जाता है तो मिर्जापुर और वाराणसी की दूरी जो इस समय ७० किलोमीटर है वह ४५ किलोमीटर हो जायगी। मिर्जापुर नगर के नजदीक जो बिज बना हुआ है उससे इलाहाबाद १२—१४ किलोमीटर है। मिर्जापुर सदर चुनार तहसील तथा ज्ञानपुर तहसील को मिलाकर एक जिला बना देते हैं तो निश्चित रूप से यह सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम होगा और साथ साथ कालीन उद्योग में जो मिर्जापुर उत्पाद करेगा, वह हिन्दुस्तान में एक स्थान रखेगा। अभी जो कहा गया कि ज्ञानपुर से १०० या ९५ करोड़ रुपये का कालीन निर्यात होता है तो उसमें से १५ करोड़ रुपये का कालीन अकेले मिर्जापुर तहसील से होता है। जब कभी भी मिर्जापुर के विकास की बात कही जाती है तो यही सरकार की ओर से कहा जाता है कि वहां पर तो काफी औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। मैं कहता हूं कि मिर्जापुर के दक्षिणांचल में अब भी इतने खनिज पदार्थ मौजूद हैं कि वहां और औद्योगिक प्रतिष्ठान लगाये जा सकते हैं और उन्हें लगाकर वहां का विकास किया जा सकता है।

मान्यवर, मिर्जापुर जिले की चुनार और सदर तहसीलों की सड़कों की दुर्गति वहां की करुणागाथा सदा सुनाया करती है। अगर यह हिस्सा अलग करके पृथक जिला बना दिया जाये तो इन सड़कों की दशा सुधर सकती है, वहां का और भी विकास हो सकता है। नागरिकों को अन्य सुविधायें उपलब्ध हो सकती हैं। आपने बहुत से जिलों को पर्वतीय क्षेत्र घोषित किया है, राबर्ट्सगंज का यह क्षेत्र भी पर्वतीय क्षेत्र घोषित होना चाहिये। मिर्जापुर की सदर तहसील और चुनार तथा ज्ञानपुर तहसीलों को मिलाकर पृथक जिला बनाने से ही वहां का विकास होगा और इसका हेडक्वार्टर मिर्जापुर की सदर तहसीलों में होना चाहिए। जो जिले पिछड़े जिलों में आते हैं उनमें यह मिर्जापुर भी आता है जहां के प्रति व्यक्ति की आय बहुत ही कम है, शिक्षा का प्रतिशत भी बहुत ही कम है। माननीय श्यामधर

जी का जो प्रस्ताव है और उसमें मेरा जो संशोधन है, मुझे आशा है माननीय मुख्य मन्त्री जी उसे मान लेंगे ।

श्री बेचूराम (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह ज्ञानपुर तहसील को जिला बनाये जाने की मांग बहुत पहले से होती आ रही है । जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्य श्री श्याम धर जी ने बतलाया, १९४९ में वह जिला था और काशी नरेश के राज्य में था, लेकिन बाद में वाराणसी और काशी नरेश राज्य का विलीनीकरण हुआ तो इस क्षेत्र को तहसील कर दिया गया । इस तहसील की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है । हां, यह सच है कि श्यामधर जी के काल में, जब वे कांग्रेसी शासन में भारत सरकार में मंत्री रहे, तो यहां का थोड़ा सा विकास हुआ । मैंने इस बारे में कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी से बातचीत की है । उनके साथ बातचीत से ऐसा आभास भी मुझे मिला कि शायद कुछ काम बन जायेगा । वहां की सड़कों की हालत बड़ी ही दयनीय है सिंचाई के साधन भी नाममात्र के हैं ।

मान्यवर, कालीन उद्योग से ही ज्ञानपुर तहसील से करीब ९५ करोड़ रुपये की आय सालाना होती है । इसलिये इस ज्ञानपुर तहसील को औद्योगिक जिला बनाया जाना नितान्त आवश्यक है ।

मान्यवर, वहां पर जितनी समस्यायें हैं बिना जिला बनाये वह हल नहीं होंगी । अभी तक हमारे ज्ञानपुर तहसील से राजस्व का जहां तक मैं समझता हूं १/३ भाग केवल हमारे ज्ञानपुर तहसील से ही बनारस जिले का आता है । लेकिन विकास के काम में वहां पर कुछ भी नहीं किया जाता, बहुत नाममात्र का दिया जाता है । वहां पर जिला परिषद् की जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत खराब है । सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो सड़कें जैसे भदोही, खुमरिया और जो छोटी-मोटी सड़कें हैं, उनकी भी हालत बहुत खराब है । तहसील की हालत तो ऐसी है कि वह बिलकुल उजड़ी है । ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि हर हालत में ज्ञानपुर को जिला बनाया जाय । जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ज्ञानपुर को मिर्जापुर से जोड़ दिया जाय, मैं इससे सहमत नहीं हूं । बनारस जिले में ज्ञानपुर और मिर्जापुर के बीच में गंगा नदी है और उसकी भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि ज्ञानपुर को अलग जिला बनाया जाना हर हालत में उचित होगा । किसी भी दशा में उसको मिर्जापुर में नहीं मिलाया जाना चाहिए । इतना अवश्य है कि ज्ञानपुर तहसील में जो शिवपुरी का हिस्सा है, उसको उसमें शामिल कर दिया जाय । गंगा नदी के तरफ का जो हिस्सा है वह भी ज्ञानपुर के जिले में मिला दिया जाय ।

(डा० अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप से वहां से क्या मतलब ?

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला-कानपुर)—

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा क्या मतलब है। मैं मिर्जापुर शहर से १९६७ में विधायक रहा हूं और मिर्जापुर, वाराणसी से लोक सभा का चुनाव १९७१ में लड़ चुका हूं। साथ ही १५ वर्ष जंगलों और घाटियों में मिर्जापुर में ही घूमता रहा हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जो श्री श्यामधर मिश्र जी ने प्रस्ताव यहां पर पेश किया है कि ज्ञानपुर को जिला बनाया जाय और राबर्ट्सगंज और दुद्धी को मिलाकर एक जिला बनाया जाय, जहां तक मिर्जापुर और उसके अन्तर्गत राबर्ट्सगंज और दुद्धी तहसील के पिछड़ेपन और उसकी गरीबी का सवाल है, तो उसका विकास किस तरह हो सकता है और उसके विकास का एक प्रस्ताव है, प्रस्ताव में बताया गया है और वह एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से है, हालांकि यह दुर्भाग्य है।

मान्यवर, किसी भी स्थान के विकास के लिए उसका जिला का होना आवश्यक है। यह इस बात से सूचक है कि ३० साल से गैर बराबरी इस देश में चलती रही, चाहे सुविधा और कारखाने लगाने का सवाल हो, यह तमाम बातें गैर-बराबरी के प्रशासनिक रूप से इशारा करती हैं। मान्यवर, राबर्ट्सगंज नाम किसी अंग्रेज के नाम पर रख दिया गया और वह आज तक चल रहा है। बहुत ज्यादा भ्रम है मिश्रा जी को और होना चाहिये और विपक्ष में होने के नाते ज्यादा भी याद आया करती है।

श्री श्याम धर मिश्र—

७५ में कांग्रेस सरकार को पत्र लिखा, फाइल में है। मुख्य मंत्री जी इसको निकलवा लें कि हमने लिखा है कि इसको बनना चाहिए।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, जहां तक मिर्जापुर के दक्षिणांचल का सवाल है, तो बगैर किसी संकोच के राबर्ट्सगंज को जिला बना देना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की देरी नहीं करना चाहिए। यह दुर्भाग्य रहा है कि जब लोकपति जी सिंचाई मंत्री थे, वह चाहते थे कि जहां पर उनका घर है गोपालपुर में वहां पर मुख्यालय बना दिया जाय। कुछ लोग चाहते हैं कि कहीं और इसका मुख्यालय बना दिया जाय। भाई राजनाथ सिंह और सूबेदार जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें, आप जिला बनवा लें लेकिन मुख्यालय राबर्ट्सगंज ही रहने दें तो अच्छा हो, यह मेरा सुझाव है। मान्यवर, मिर्जापुर को दक्षिणांचल में अपार खनिज संपदा भरी है। यह पूरे उत्तरी भारत की गरीबी को दूर कर सकती है। चाहे लाइम स्टोन को ले लीजिए, चाहे सीमेंट के पत्थर को ले लीजिए लेकिन मैं सूबेदार जी से कहना चाहता हूं कि जो वहां पर क्रेशर्स चल रहे हैं उनसे आने वाले १० सालों में खनिज सम्पदा के लिये संकट उत्पन्न होने जा रहा है।

मान्यवर डोलोमाइट जो खनिज है उस पर शासन ने प्रतिबन्ध लगाया है लेकिन आज जो क्रेशर्स चल रहे हैं वह डोलोमाइट से सड़क बनाने वाली गिट्टी के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है उससे गिट्टी बनाई जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास

खनिज विभाग भी है तो इस पर रोक लगायी जाय । मान्यवर, बीना में हीरे की खान मिली है और सोन नदी के पास भी मिली है। तो इस तमाम भू-गर्भ संपदा के विश्लेषण और खुदाई का काम हो रहा है। अगर वहां की खनिज सम्पदा का इस्तेमाल किया जाय तो वहां का विकास ज्यादा हो सकता है। संगमरमर और सीमेंट के पत्थर की वहां पर कोई कमी नहीं है। वहां केवल ओबरा और डाला सीमेंट फैक्टरी बन गयी है। रेणूकूट में हिंडालको लग गया है लेकिन यह ऊपरी तौर पर विकास हुआ है। जो वहां के मूल निवासी हैं और आदिवासी हैं उनकी स्थिति बहुत दुखद है। मैं कहना चाहता हूं कि डाला सीमेंट फैक्टरी के पास बगल में एक नाला बहता है। अभी पी० ए० सी० कमेटी वहां गयी थी, मैं उनसे मिला था। तो जो वह नाला बहता है, जिसमें गंदे पदार्थ बहते हैं तो उस गंदे पानी को वहां के आदिवासी पीते हैं। यही हाल ओबरा में है। ओबरा थर्मल पावर की बगल में गंदा नाला बहता है वहां के आदिवासी उसके पानी को पीते हैं वह पानी ऐसा है जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं। लेकिन वहां का बदनसीब गरीब आदमी वह पानी पी रहा है। वहां के विकास के लिये केवल जिला बना देने से काम नहीं चलेगा। वहां के आदिवासियों की भाषा, संस्कृति और वहां की समस्याओं को आगे रखना पड़ेगा। वैसे यह प्रस्ताव बड़ा अच्छा है, समर्थन के लायक है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी, इसको श्यामधर जी लाये हैं, लेकिन कभी-कभी विरोध वाले भी अच्छा काम करते हैं, उनके इस प्रस्ताव को मान लेना चाहिए और ज्ञानपुर को जिला मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

मान्यवर, वहां से करोड़ों रुपयों का निर्यात होता है लेकिन वहां पर सड़कें नहीं हैं, ठहरने का कोई साधन नहीं है। कार में भी धूल घुस जाती है ट्रैक्टर भी जाय तो किसान के मुंह पर धूल पाउडर की तरह लग जाती है। तो वहां की सड़कें बननी चाहिए ताकि वहां का विकास हो सके। उसको चाहे विधान सभा या लोक सभा का दर्जा दिया जाय लेकिन पहले आप उसको जिला मान लें और जिला मान कर वहां का विकास करें। धन्यवाद।

श्री राम कृष्ण (जिला-जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का विषय जिसको श्री श्यामधर मिश्र ने रखा वह बहुत ही पुण्य का प्रदेश के लिए विषय है। यह तीस सालों से तकाजा रहा है, इस पर बहुत पहले विचार किया गया था लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं किया गया। मुझे खुशी होगी यदि यह सरकार ज्ञानपुर को जिला बना दे क्योंकि यह क्षेत्र हमारे क्षेत्र बरसठी से मिला हुआ है। उसमें तीन-चार ब्लाक जैसे बरसठी, रामपुर, रामनगर और भदोही हैं। इनकी जनता भदोही ज्ञानपुर बाजार जाती है और जौनपुर उनको जाने का समय नहीं मिलता है। इसलिये यदि सरकार ने ज्ञानपुर को जिला बना दिया तो यह पुण्य का काम होगा। मान्यवर, ज्ञानपुर तहसील केवल नाम की है जबकि वहां सारे जिले के सिम्टम्स मौजूद हैं। वहां कलेक्टरी, खजाना, जेल मुख्यालय आदि सब चीजें हैं। सरकार को केवल कागज में घोषणा कर देना है और कुछ नहीं करना है। इसलिये यदि आज ही सदन में मुख्य मंत्री जी इसकी घोषणा कर दें तो यह पुण्य का काम होगा।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मान्यवर, मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि चूंकि मिर्जापुर की धरती मुगलों की धरती रही है इसलिये उस दक्षिणांत में जहां आज भी गरीबी की रेखा के नीचे ही नहीं वरन् संपूर्ण मिर्जापुर में १६ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से अधिक आय नहीं है। यह सही है कि जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने चुर्क, ओबरा और चुनार की वैभव को देखा और समझा लेकिन वहां जो आदिवासियों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं उनको नहीं समझा। इसलिये जनता सरकार को चाहिए था, जबकि वह ग्रामोन्मुख योजना की ओर बढ़ रही है, कि विकेन्द्रीकरण की नीति को मानती, डा० लोहिया के चौखम्भा राज की कल्पना को साकार करती, उनकी नीतियों को लागू करती और इसके पहले ही उन नीतियों को यहां घोषणा करती। चूंकि मैं जंगलों में १५ साल वहां के भटका हूं और मिश्रा जी की सरकार ने मेरे ऊपर ६—६ बार डी० आई० आर० लगाया और मिर्जापुर से निष्कासन के आदेश दिये। इसलिए मुझे उस धरती से उतना मोह है जितना कि एक बेटे को अपनी मां की गोद से होता है। ज्ञानपुर, मिर्जापुर, चुनार की धरती आल्हा-ऊदल की धरती रही है और ज्ञानपुर ज्ञान की धरती है। इसलिये ज्ञानपुर, मिर्जापुर और चुनार इन तीन तहसीलों को मिलाकर एक जिला बनाया जाय। इसके साथ ही साथ निवेदन है कि यहां एक ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय जैसा कि डा० राधा कृष्णन शिक्षा आयोग १९४८ की रिपोर्ट में है। शिक्षा मंत्री जी उस रिपोर्ट के आधार पर, जैसा श्री श्यामधर मिश्र ने कहा है, एक हजार गांव के बीच में एक ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना करें जिससे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का विकास हो सके।

मान्यवर, कई बार यहां चर्चायें होती रही हैं कि ज्ञानपुर, मिर्जापुर शहर और देहात क्षेत्र तथा ज्ञानपुर और ज्ञानपुर देहात क्षेत्र में चूंकि हम आंदोलन से लेकर अनशन आदि का कार्य करते रहे हैं इसलिये हम चाहते हैं कि इनको आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से शिक्षा की दृष्टि से यदि अलग-अलग कर दिया गया होता तो अच्छा होता और मान्यवर, इस संशोधन के साथ मेरा भी एक संशोधन आप स्वीकार कर लेते तो यह उत्तम होता और माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर ध्यान देते। ज्ञानपुर देहात और शहर को दृष्टि में रखकर किसी प्रकार इसमें सरीक कर लेते।

श्री ईश्वर प्रसाद (जिला-मिर्जापुर)—

मान्यवर, जो ज्ञानपुर तहसील को जिला बनाने का प्रस्ताव है मैं इसका विरोध करता हूं। मान्यवर, मैं राजनाथ सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, मिर्जापुर के दक्षिणांचल में दुद्धी और राबर्ट्सगंज की तहसीलों को मिला कर एक जिला बनाने की बात चल रही है इस संबंध में निवेदन करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है राबर्ट्सगंज तहसील में ८०-८५ हरिजन भाई, आदिवासी बंधु निवास करते हैं जिनके रहने के लिए कोई मकान नहीं है, उन्हें दिन भर काम करने के बाद भोजन नहीं मिलता, पहनने के लिये कपड़े नहीं मिलते, पांच-पांच किलो मीटर पीने के पानी के लिए उन्हें जाना पड़ता है। शिक्षा के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। जितने प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं सब बंद रहते हैं।

मान्यवर, इस भीषण गरीबी को देखते हुये वहां पर कुछ लोग आराम की जिन्दगी बिताते। वहां पर रेनुकूट एल्यूमिनियम फैक्टरी है और फैक्टरियां हैं, वहां के अधिकारी लोग आराम की जिन्दगी बिताते हैं। उन्हें अनेक प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं। और वहीं पर वहां के बनवासी जीवन यापन कर रहे हैं बड़े शर्म की बात है कि तीस साल तक कांग्रेस सरकार ने उसकी उपेक्षा की सौतेला व्यवहार किया और जनता सरकार ने भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया है इसके साथ ही मान्यवर, इस गरीबी को समाप्त करना है तो दुद्धी क्षेत्र को भी मिला कर एक जिला बनाया जाय जिससे उस क्षेत्र का कल्याण हो सकता है।

मान्यवर, २८०० किलो मीटर मिर्जापुर से दुद्धी क्षेत्र पड़ता है। वहां के बनवासी लोग आदिवासी बन्धु, २५० किलोमीटर चल कर मुकदमा के संबंध में ज्ञानपुर आते हैं जिससे उनका समय और पैसा खर्च होता है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि उस पिछड़े क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि रावर्ट्सगंज और दुद्धी को मिलाकर जिला बनाया जाय। वहां पर कई नदियां हैं, सोन, कनहर, रेनक, घाघरा। सड़कों की कोई सुविधा वहां पर नहीं है। उस क्षेत्र में अनेक प्रकार की औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं जैसे बीना और कोटा में। इसलिए इस दृष्टि से भी वहां पर जिला बनना आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि रावर्ट्सगंज और दुद्धी को मिला कर एक अलग जिला बनाया जाय।

राजस्व मन्त्री (श्री सारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय श्याम धर मिश्र ने रखा है और उस संबंध में मा० सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनको मैंने ध्यानपूर्वक सुना है। ज्ञानपुर के बारे में एक यह भी अमेन्डमेन्ट आया है कि उसमें चुनार और सदर तहसील मिर्जापुर को भी मिला दी जायं। इसके अतिरिक्त यह बात है कि दुद्धी और रावर्ट्सगंज को एक अलग जिला बना दिया जाय। यह सत्य है कि मिर्जापुर बहुत बड़ा जिला है। उसकी आबादी १८½ लाख है। दोनों तहसीलें मुख्यालय से बहुत दूर हैं। पिछड़ी भी हुयी हैं और वहां पर आदिवासी या जनवासी रहते हैं। पिछले दिनों में भी यह मांग होती रही है और इस संबंध में, जैसा कि माननीय श्यामधर जी ने कहा, इस औचित्य को प्रकट किया गया है। तो जो भी इस संबंध में विचार रखे गये हैं दोनों तरफ से, मैं उन सभी सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो संशोधन प्रस्ताव आते हैं, उसका पूरा परीक्षण कराऊंगा। इस संबंध में जो भी भौगोलिक या वित्तीय कठिनाइयां या वित्तीय साधन हैं और जो भी आवश्यकतायें हैं, उन पर पूरा विचार करूंगा और इन दोनों प्रस्तावों के बारे में पूरा परीक्षण करने के बाद ही निश्चय किया जा सकता है। जो भी विचार व्यक्त किये हैं, उनके प्रकाश में और वैसे भी जो प्रशासनिक आधार हैं, शासन पूरी तरह से परीक्षण करेगा और उसके बाद सारी परिस्थितियों को आ जाने के बाद सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। तो मैं प्रस्तावक महोदय से इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने जिस चीज की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उन पर पूरा ध्यानपूर्वक विचार करके वहां के निवासियों के सम्बन्ध में कितनी सुविधा दी जा सकती है, किस प्रकार से जिले का निर्माण करना संभव है, हम

[श्री शारदा भक्त सिंह—]

इस पर परीक्षण करायेंगे और आपके प्रस्ताव पर पूरी तरह से विचार करेंगे जैसा कि मैंने पहले कहा, सरकार सहानुभूतिपूर्वक इस प्रस्ताव पर विचार करेगी । लेकिन जब तक विचार न कर लिया जाय, परीक्षण न कर लिया जाय, तब तक एकाएक यह कह दें कि इन प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं, आप भी समझ सकते हैं, सम्भव नहीं है । इसलिये आपसे आग्रह करता हूं कि आपने जिस ओर ध्यान आकर्षित किया है, सरकार उस पर विचार करेगी और परीक्षण करेगी और सम्भावनाओं को देखने के बाद निर्णय लेंगे ।

इसलिये निवेदन है कि आप इस मामले को अब सरकार पर छोड़ दें और अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजनाथ सिंह जी, क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं ?

श्री राजनाथ सिंह (जिला-मिर्जापुर)—

मान्यवर, माननीय श्याम धर मिश्र के मूल प्रस्ताव में जो मैंने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, चूंकि माननीय राजस्व मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, इसलिये मैं उसको वापस लेता हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला-वाराणसी)—

मान्यवर, मैं तो केवल माननीय राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं और इसलिये कि जब उन्होंने स्वयं सभी बातों को स्वीकार किया है तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं लेकिन एक शब्द कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने वित्तीय कठिनाई की बात कह दी उसमें आप देखेंगे कि आप कोई साधारण सा जिला ले लें यहां तक कि वाराणसी जिला जिसमें कि ज्ञानपुर है, ले लें, अगर उसमें केवल ज्ञानपुर अकेले स्वतः आत्मनिर्भर न हो, तो न बनायें लेकिन आप देखेंगे कि टैक्स में और इन सभी चीजों में वह स्वतः आत्मनिर्भर है । साथ ही साथ आपने कह दिया कि जांच करायेंगे । बड़ी कृपा की आपने । उसमें मैं केवल इतना ही माननीय मुख्य मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से और मंत्रिमंडल से आशा करता हूं कि समयबद्ध जांच करायें यह नहीं कि जांच करने के पुराने तरीके पर छोड़ दें कि जांच कराते रहेंगे । आप तीन महीने के अंदर जांच करा लें । इन शब्दों के साथ मैं सदन की आज्ञा चाहूंगा कि यह संकल्प वापस लिया जाय

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय राजनाथ सिंह जी को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(सदन की अनुमति से संशोधन प्रस्ताव वापस हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

तो, माननीय श्याम धर जी, आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र—

तो, मान्यवर, मैं उसे वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय श्यामधर मिश्र को अपना पहला प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री श्यामधर को अपना दूसरा प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।)

शाह जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध अतिशीघ्र कठोर कार्यवाही करने का प्रस्ताव

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन सिफारिश करता है कि भारत सरकार शाह जांच आयोग के रिपोर्ट के आधार पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध अतिशीघ्र कठोर कार्यवाही करें ।

मान्यवर, जितना मुझे अपनी बात को कहने का अधिकार है, उतना ही मेरा यह भी कर्तव्य है कि दूसरे की बात सुनूं और यही लोकतंत्र की आत्मा है, यह लोकतंत्र की बुनियाद है । दुनिया में हलांकि आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं बन पायी, जो पूरी लोकतांत्रिक हो और पूरी तरह अहिंसक हो और हिन्दुस्तान में भी मान्यवर, जितनी सरकारें आज तक बनी हैं, उनमें से सारी सरकारों ने जो छोटे-छोटे दाग लोकतंत्र की चादर पर लगाये हैं, लेकिन एक ऐसी सरकार हुई जिसने लोकतंत्र की सारी परम्पराओं को लोकतंत्र के सारे मूल्यों को अपनी सुविधाओं के बलिवेदी पर चढ़ा दिया और जैसा कि शाह जांच आयोग की रपट है, उन रपटों में यह स्पष्ट किया गया है कि २५ जून, १९७५ को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो तत्काल प्रधान मंत्री थी, जो आंतरिक आपातस्थिति की घोषणा की, वह केवल अपने लिये, अपनी कुर्सी के लिए की और जिस तरीके से मान्यवर, आपातस्थिति की घोषणा की गयी, वह भी जनतांत्रिक नहीं रहा । २५ जून को घोषणा हुई और फिर २६ जून को मंत्रिमंडल की बैठक में जिस तरह फैसला किया गया, वह बेमिसाल है । ३ मिनट मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें पहला मिनट लगा दस्तखत करने में दूसरा मिनट लगा प्रधान मंत्री को सलाम करने में और तीसरा मिनट सदस्यों को जाने में लगा और उसके बाद सारे देश में सारे के सारे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर दिया गया । नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया, जबरदस्ती नसबंदी कराई

[श्री शत्रुरुद्र प्रकाश—]

गयी और मान्यवर, सौन्दर्यीकरण के नाम पर आदमियों के घरों को उजाड़ा गया। मान्यवर, आपातस्थिति में जो कुछ हुआ, मैं उसकी कहानी को यहां दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपके जरिये से निवेदन करना चाहूंगा। कुछ उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी इसमें देखने को मिले।

हिन्दोस्तान में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। बगैर कारण बताये मीसा के अंदर, गलत-गलत मुकदमें चलाकर डी० आई० आर० के अंदर लोगों को जेलों में ठूंसा गया। एक तरह का साइक्लोस्टाइल एफ० आई० आर० सभी थानों पर दे दिया गया। आदमी तो घरों में सो रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गयी, चौराहे पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, मान्यवर, इससे बड़ी चीज और कोई नहीं। साफ तौर से मीसा में ६९५६ गिरफ्तारियां हुई हैं। शाह जांच आयोग की रपट के आधार पर और डी० आई० आर० में २४,७८१ गिरफ्तारियां हुई हैं और इस तरह से कुल मिलाकर ३१,७३७ गिरफ्तारियां मीसा और डी० आई० आर० में उत्तर प्रदेश में हुई। उनको कोई कसूर नहीं बताया गया, कोई सही इलजाम नहीं लगाया गया। चूंकि इंदिरा गांधी के विरोधी थे, लोकतंत्र की दोहाई देने वाली और इस देश को अपने नाम से जोड़ने वाली तत्कालीन प्रधान मंत्री के आदेश पर ऐसा हुआ। जिसमें २० पत्रकार थे, १८० अध्यापक थे और ३६ डाक्टर थे।

इतना ही नहीं गिरफ्तारी के बारे में कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। दुनिया में शायद इस तरह से गिरफ्तारी कहीं भी नहीं की गयी होगी। नसबंदी बड़े पैमाने पर की गयी। इस देश की जन संख्या को घटाने के लिए इतने घृणित और गंदे तरीके से आपातकालीन स्थिति में लोगों के साथ बर्ताव किया गया है कि उसकी तुलना हिन्दुस्तान तो क्या दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। नसबंदी के बारे में सन् ७५-७६ में केन्द्रीय सरकार ने सूबे की सरकार को एक लाख ७५ हजार नसबंदी करने को दिया। लेकिन सूबे की सरकार ने केवल एक लाख २८ हजार ही किया। जिसके कारण संजय गांधी और इंदिरा गांधी चिढ़ गये और उनके चिढ़ने के बाद श्री प्रभु नारायण सिंह और नारायण दत्त तिवारी को डांटा गया और कहा गया कि नसबंदी बढ़ाओ नहीं तो संजय गांधी नाराज हो जायेंगे। सन् ७५-७६ में एक लाख २८ हजार नसबंदी हुई और सन् ७६-७७ में ८ लाख ३७ हजार नसबंदी हुई। इतने से ही काम नहीं चला। फिर संजय गांधी की डांट पड़ी तो मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया कि १५ लाख लोगों की नसबन्दी की जायगी। हरेक का कोटा बांट दिया गया। शिक्षा मंत्री से कहा गया कि ५ लाख लाओ, स्वास्थ्य मंत्री ५ लाख लायें और सारे विभागों के बड़े अधिकारियों को कहा गया कि नसबंदी करके लाओ नहीं लावोगे तो मुश्किल में पड़ जावोगे। मान्यवर, इंदिरा गांधी और संजय गांधी के नाम पर बड़े पैमाने पर नसबंदी की गयी।

मान्यवर, इतना ही नहीं जिन लोगों ने नसबन्दी से इन्कार किया उनको गोली का निशाना बनाया गया। सन् ७६ में अगस्त और दिसम्बर के बीच कम से कम उत्तर प्रदेश में ८ बार गोली चली। सुलतानपुर में २७ अगस्त, ७६ को गोरखपुर में १६ अक्तूबर को, मुजफ्फरनगर में १९ अक्टूबर को रामपुर में २८ अक्टूबर को, बरेली में ३० अक्टूबर तथा

७ दिसम्बर, प्रतापगढ़ में ३१ दिसम्बर और गोरखपुर में ३१ दिसम्बर, १९७६ और इस तरह से मान्यवर, करीब १२ लोग मारे गये। सेहरा जी यह सरकारी आंकड़े हैं मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं।

मान्यवर, इतना ही नहीं बल्कि नसबंदी का विरोध करने में इस सूबे में ६२ लोगों को मीसा में बन्द किया गया और डी० आई० आर० में १,१५९ लोग बन्द हुए। कुल १५ सौ से ज्यादा लोगों को बंद किया गया। यह इसलिये कि उन्होंने नसबंदी नहीं कराई। यह केवल ४३ जिले की रिपोर्ट हैं जो शाह आयोग को भेजी गयी हैं। १३ जिलों की रिपोर्ट अभी तक आयोग को नहीं मिली हैं। मान्यवर, नसबन्दी किस तरह से हुई यह भी देखने लायक बात हैं। ११,४३४ ऐसे लोगों की नसबंदी की गयी जिनके दो से भी कम बच्चे थे, दो से कम बच्चे वाले बाप की नसबंदी की गयी। १६४ ऐसे लोगों की नसबंदी की गयी जिनकी शादी हो नहीं हुई थी। ९६ ऐसे लोगों की नसबंदी हुई जिनकी आयु ५५ साल से ज्यादा थी। यह सब संजय गांधी और उस समय की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए किया गया। इतना ही नहीं, सौन्दर्यीकरण के नाम पर जबरदस्त तोड़फोड़ हुआ, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर में हुआ और लखनऊ में हुआ और इतना ही नहीं मान्यवर, युवराज को यह सुन्दर देश नजर नहीं आ रहा था उसको सुन्दरता लखनऊ, बनारस तथा कानपुर में नजर नहीं आई। नारायण दत्त तिवारी ने अमौसी हवाई अड्डे से लेकर राज भवन तक सड़क चौड़ी करने के लिये ३१ लाख रुपया दे दिया क्योंकि संजय गांधी को उस सड़क से आना था। बनारस के गरीबों की झोपड़ियों तथा दूकानों को तोड़-फोड़ कर उसे सुन्दर बनाया गया। आगरा में संजय गांधी के कहने पर सुन्दरीकरण के लिये ७१ लाख ८७ हजार रुपये खर्च किये गये। एक ताज महल बना था शाहजहां के चाहने पर दूसरा ताजमहल संजय गांधी बनाना चाहते थे (व्यवधान)

आगरा में सुन्दरीकरण जब किया गया तो कोई नोटिस नहीं दी गयी, कोई जानकारी नहीं दी गयी। बुलडोजर चला दिये गये। जो सामने आया उसे जेल में बंद कर दिया। डी० आई० आर०, मीसा, नसबंदी तथा बुलडोजर यह सब एमरजेंसी में हुआ। सेहरा जी आपातकाल में नसबंदी उस राज्य का राजतिलक था, मीसा उस राज्य की विष कन्या थी, समाचार उस राज्य की कूटनी थी और बुलडोजर उस राज्य की सलामी थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी को माफ कर दो। क्योंकि वह हार गयीं और उनके बेटे की जमानत जब्त हो गयी। मैं पूछता हूं क्या बुनियादी अधिकारों को खत्म करने वालों के लिये सत्ता से हट जाना ही पर्याप्त दंड हैं? नहीं ऐसा नहीं हैं। सवाल इंदिरा गांधी का नहीं हैं, सवाल किसी प्रधान मंत्री का नहीं हैं, सवाल एक महिला का नहीं हैं। यह सवाल प्रजातांत्रिक मूल्यों तथा मौलिक अधिकारों का हैं। यह सवाल पूरा का पूरा सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ हैं। उन तमाम लोगों का यह सवाल हैं जो बेकसूर थे, जिनका कोई अपराध नहीं था। उन लोगों का यह सवाल हैं जिनको बेकसूर जेल में बंद कर दिया गया था और जो जेल में शहीद हो गये तथा जिन्दा वापस नहीं आये। इन सारे सवालों के ऊपर एक और सवाल हैं अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं होती हैं तो कहीं ऐसा न हो कि इस देश में किसी दूसरे प्रधान

[श्री शत्रुरुद्र प्रकाश—]

मंत्री का भी दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाय और वह आपातस्थिति लागू कर दें। इसलिए उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय।

इंदिरा गांधी को सजा देने के लिये शाह आयोग बैठा है। अगर इंदिरा गांधी को सजा के नाम से गुलाब सहरा तथा नारायण दत्त तिवारी को बुरा लगता है तो वह आयोग की रपट के आधार पर तो फिर विशेष अदालतों का गठन हो जाय, अपने को बेकसूर साबित कर दें, विशेष अदालतों से वह क्यों भागते हैं ? यह कह सकते हैं कि पहले क्यों सजा नहीं दी। यह जनता पार्टी की सरकार है। बिना जांच किये, बिना तथ्यों के, बिना सबूत के सजा दे दी तब यह कहा जाता और फिर हमारे और आप में फर्क क्या रह जाता ? यह फर्ज जनतंत्र चलाने का है। जिस तरह से राष्ट्रपति ने संविधान की धारा १४३ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी और सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी राय दी कि भारत सरकार विशेष अदालतों का गठन कर सकती है तो इसमें किसी तरह की रहम की भावना नहीं होनी चाहिये। देश व समाज को कभी-कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। इसके लिये मैं मिसाल देना चाहूंगा ब्रिटेन के राजा चार्ल्स प्रथम को कठोर दण्ड न दिया होता तो ब्रिटेन आज भी गुलाम होता, लोकतंत्र वहां विकसित न हो पाता। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने शायद कोई जायज काम किया ही नहीं। वह हमेशा नाजायज काम करती आई हैं। इसलिये हिन्दी शब्द "ज" से उनका इत्तफाक नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हिन्दी का जो "ज" शब्द है उसमें श्री जयप्रकाश नारायण का "ज", जगमोहन लाल सिनहा का "ज" जून १२ और २५ का फैसला, जनवरी ७७ में चुनाव की घोषणा, जगजीवन राम का कांग्रेस छोड़ना, जनता पार्टी का बनना यह सब "ज" से शुरू होते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

जाहिल जनता पार्टी।

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश—

केवल जनता पार्टी ही नहीं बल्कि एक और आखिरी "ज" आयेगा वह है जे० सी० शाह कमीशन। तो फिर कहां रास आयेगा। मेरा तो यही कहना है कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है इस प्रस्ताव को तमाम कारणों को देखते हुये और इन सारे "ज" से भागने के लिए केवल एक "ज" बचा हुआ है वह "जेल" है। इसलिये मैं अपने प्रस्ताव को पेश करता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाय।

(श्री श्यामधर मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला-इलाहाबाद)—

मान्यवर, आपने श्री मिश्रा जी को बुलाया है अपना प्रस्ताव रखने के लिए मेरी उसमें आपत्ति है और एक तथ्य की जानकारी कराना चाहता हूं। माननीय मिश्रा जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें उनका अनुरोध है कि यह सदन सिफारिश करता है कि "भारत सरकार शाह आयोग के पश्चात् . . . रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी को निर्दोष घोषित कर दिया जाय।" मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में यह

है कि भारत सरकार ने जो शाह आयोग की संस्तुति है उसको स्वीकार कर लिया है और स्वीकार ही नहीं किया है बल्कि इसके संबंध में १५ तारीख को प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने लोक सभा को बताया कि आयोग द्वारा सरकार को पेश की गई दोनों अंतरिम रिपोर्ट और उनमें दिये गये निष्कर्ष, राय और सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है और दोनों रिपोर्ट उन्होंने लोक सभा में प्रस्तुत कर दी ।

मान्यवर, मिश्रा जी का जो संशोधन है वह इस बात के लिए है कि भारत सरकार शाह आयोग की जो अंतरिम रिपोर्ट है उसको अस्वीकार कर दे । तो मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने तो शाह आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और स्वीकार करने के बाद प्रधान मंत्री जी ने इसकी घोषणा भी कर दी है । इसलिए मिश्रा जी ने जो संशोधन रखा है उस पर विचार नहीं हो सकता है, वह नहीं रखा जा सकता है क्योंकि जो चीज भारत सरकार स्वीकार कर चुकी है उसको अस्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

दूसरी मेरे संशोधन के संबंध में एक शाब्दिक आपत्ति है ।इसलिये भी मेरा अनुरोध है कि माननीय मिश्रा जी को यह संशोधन न रखने दिया जाय । संशोधन में यह कहा है कि रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुये श्रीमती इंदिरा गांधी को निर्दोष घोषित कर दिया जाय । ऊपर लिखा है कि यह सदन सिफारिश करता है . . . बीच का नहीं पढ़ूंगा . . . घोषित कर दे । इसमें शाब्दिक त्रुटि है । जो यह संशोधन रखा है उस हिसाब से इस संशोधन पर विचार ही नहीं कर सकते हैं । इसमें संशोधन नहीं रख सकते । इसलिये माननीय शतरुद्र प्रकाश जी का जो प्रस्ताव है उस पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर आपको क्या कहना है ?

श्री श्यामधर मिश्र—

मेरा प्रस्ताव तो स्वीकार हो ही चुका है, ग्राह्य हुआ है । उसे मैं पढ़ता हूं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मेरी उसी पर आपत्ति है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

आपने उसे स्वीकार किया है । क्यों स्वीकार किया है इस पर आप तर्क चाहते हैं तो मैं तर्क देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो माननीय मालवीय जी ने आपत्ति की है उस पर बोलें (व्यवधान) मालवीय जी की आपत्ति पर बोलने के लिए मैंने कहा है ।

अभी आप केवल आपत्ति के ऊपर बोलें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह संशोधन को पढ़ नहीं सकते हैं, जब तक हमारी आपत्ति का जवाब न दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मिश्र जी, इस पर आपको कुछ कहना है।

श्री श्यामधर मिश्र—

कहना है और यह कहना है कि मैं मालवीय जी की बुद्धिमत्ता को कभी चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन आश्चर्य होता है कि क्या उन्होंने मूल प्रस्ताव को पढ़ा नहीं। जो मूल प्रस्ताव शत्रुरुद्ध प्रकाश जी ने रखा है, उसमें यह है कि "रपट के आधार पर भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध अतिशीघ्र कठोर कार्यवाही करें।" इसमें हमने कह दिया—"रपट को अस्वीकार करते हुए श्रीमती इन्दिरा गांधी को निर्दोष घोषित कर दिया जाय।" रपट के सम्बन्ध में विचार होना है। हम कह रहे हैं कि भारत सरकार उस पर विचार करके उनको निर्दोष साबित कर दे। मैं तो कह रहा हूं कि यहां पर विचार हो। मैं पूरी रपट साथ ले आया हूं, मैं तीनों रिपोर्टें ले आया हूं। वह उनको पढ़ेंगे और मालवीय जी ने पढ़ी होगी। उस रपट के सम्बन्ध में अब अलग-अलग इसके नतीजे हो सकते हैं, उसके सम्बन्ध में आप सुन लें कि क्यों निर्दोष घोषित किया जाय। इसीलिये मैंने किया और आपने उसे स्वीकार किया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मेरी आपत्ति केवल यह है कि जो संशोधन मिश्र जी रखना चाहते हैं, उसे वह रख नहीं सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मालवीय जी ने जो आपत्ति रखी है मिश्र जी के संशोधन पर, इस सम्बन्ध में पहले ही निर्णय किया जा चुका है। इस सदन में एक गैर सरकारी प्रस्ताव है, जिस पर सदन को एक सिफारिश केवल करना है। इसलिए श्यामधर जी ने जो संशोधन किया है, वह अनियमित नहीं है और मालवीय जी की आपत्ति को मैं अग्राह्य करता हूं। इसमें जो शाब्दिक त्रुटि है उसको देखते हुए आप "दिया जाय" के स्थान पर शब्द "दे" कर दें।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि श्री शत्रुरुद्ध प्रकाश के प्रस्ताव में शब्द "रपट के आधार पर भूतपूर्व प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के विरुद्ध अतिशीघ्र कठोर कार्यवाही करें" के स्थान पर शब्द "रपट को अस्वीकार करते हुए श्रीमती इन्दिरा गांधी को निर्दोष घोषित कर दें" रख दिए जायं।

श्रीमन्, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जब कोई भी बात कहूंगा, तो तमाम प्रयास यह करूंगा कि उन बातों के सम्बन्ध में बात करूंगा राजनीतिक हैं और शाह आयोग की बातें हैं। मैं कोई ऐसी बात कहने की चेष्टा नहीं करूंगा, जिससे कोई कटुता मालूम हो। हमारे पास तीनों—प्रथम, द्वितीय व तृतीय रपटें हैं, जिन्हें हमें किसी ने दिया नहीं है। यह केवल केन्द्र सरकार को दी गई हैं। हमें हमारी लाइब्रेरी से मिली हैं, सदन में नहीं आई हैं। सदन में आई होती तो मंत्री, मुख्य मंत्री और मंत्रिपरिषद्

की थोड़ी सी जिम्मेदारी होती। वह जिम्मेदारी लेती कि उसके बारे में अपनी भावना भारत सरकार को बतावे या इस सम्बन्ध में अपनी राय रखें। यह केन्द्र की रिपोर्ट है और केन्द्र उस पर विचार करेगा, जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है। मुझे यहां की लाइब्रेरी से मिली है। सदन के पटल पर नहीं रखी गयी है।

दूसरी बात यह है कि आप स्वयं देख रहे हैं, माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी जब कह रहे थे, मैं सचमुच आशा करता था, जितना यह कहे वह तो उस समय की बात कह रहे थे जो कमीशन की नियुक्ति के पहले हुआ, उसका तर्क कर रहे थे कि उसके लिए कमीशन की नियुक्ति हो। मैं आशा यह करता था कि वह तो नियुक्ति हो गयी है, अब तर्क यह होगा कि जो कमीशन ने कहा है उस पर कैसे क्रिया हो। इस पर कोई रोशनी नहीं डाली। बड़ी मोटी किताबें हैं। लेकिन गुलाबी किताब में, तृतीय प्रतिवेदन के २५४ पृष्ठ से आगे समरी दी हुई है, जिसकी सूक्ष्म रूप से समरी, "सामान्य टिप्पणियां", जो लाइब्रेरी में है, दी हुई है। वह यह है—"इस सन्दर्भ में आयोग यह बात दोहराना चाहता है कि वह अपने काम की उपलब्धि का मूल्यांकन इस बात से नहीं करेगा कि जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया उसके विरुद्ध कितनी संख्या में कितनी गम्भीरता से दंडात्मक कार्यवाही की जाती है, बल्कि इस बात से करेगा कि आयोग द्वारा किये गये श्रम के परिणामस्वरूप क्या और किस सीमा तक उपचार और सुधार की कार्यवाई की जाती है।" यह है समरी। यही बात २४० पृष्ठ से लेकर आगे कही गयी है। यह पुस्तक मालवीय जी के सामने है। यह बात मैं मानता हूं, कौन कहता है कि १९ महीने में दुरुपयोग नहीं हुआ, थोड़ा हुआ (व्यवधान) अच्छा ज्यादा हुआ। आप खुश हों। मैं तब बोलूंगा जब आप शान्त करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

माननीय मिश्रा जी से एक आग्रह करना चाहता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं इतना चाहूंगा कि जितना समय इंटरप्ट करने में लगे उतना समय मेरे समय से निकाल दें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, आपातकाल के पूर्व माननीय मिश्रा जी भारतीय लोक दल में थे, शाह आयोग की रिपोर्ट पर इन्दिरा गांधी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का जो प्रस्ताव है उसमें उन्होंने संशोधन पेश किया है कि उनको बरी कर दिया जाय। कृपया उन तथ्यों पर प्रकाश डालें जिनके कारण वह भारतीय लोक दल को छोड़कर उनको इमर्जेन्सी के समय में कांग्रेस में क्यों जाना पड़ा ?

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं नौजवान नहीं हूं जो भावना से बात करूं। हम तो तर्क देना चाहते हैं। हमारे तर्क सुनें, उनको समझने की चेष्टा करें। मालवीय जी के पास किताब रखी है २५३ पन्ने से शुरू होते हैं आब्जर्वेशन आफ दि कमीशन, उसकी समरी है।

श्री उपाध्यक्ष—

समय का ख्याल रखें । माननीय सेहरा बोलेंगे । उनको समय देना होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

इस पर हमें भी बोलना है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

जो हमने पढ़ा है इस किताब को उसमें एक बात आपको निश्चय करना है कि जो बदले की राजनीति है, जिसे पालिटिक्स आफ वेंजिएन्स कहते हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शान्ति से सुनिये । जब शत्रुघ्न प्रकाश जी बोल रहे थे तब उधर से कोई आवाज नहीं आयी ।

श्री श्यामधर मिश्र—

आप कितनी बार सजा देंगे । मैं इसमें पढ़ कर दिखा सकता हूं । शाह कमीशन ने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वह शब्द है "ईक्वीजीटोरियल" । इसके मायने क्या हैं । शत्रुघ्न प्रकाश जी मुझसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी जानते हैं और हिन्दी भी जानते हैं । मालवीय जी भी मुझसे ज्यादा जानते हैं । वह जान जायेंगे कि इसके मायने क्या हैं । इसके मायने यह हुए कि खाली जानना है कि इसके पीछे बातें क्या हैं । शाह कमीशन ने पता लगा लिया है कि सचमुच बातें क्या हैं और भविष्य में ऐसा न हो इसके बारे में उन्होंने लिखा है । शाह आयोग न कोई क्रिमिनल कोर्ट थी और न सिविल कोर्ट था । न उन्होंने कोई एवीडेंस ही ली । ऐसी सूरत में यह जो विन्डिक्टिव पालिटिक्स है वह हमारी समझ से आपके हित में नहीं है । जनता पार्टी के हित में नहीं है । इनको तो यहां आना है । फिर कान्ति भाई का मामला, चौधरी साहब का मामला लेकर, राजेन्द्र सिंह का मामला लेकर अगर जेल में आयें तो क्या होगा । हम पालिटिक्स आफ वेन्जीनियेन्स नहीं चाहते । जो राजनीति में सजा होती है आप देखें वह सजा क्या है ।

(व्यवधान)

आप बोलने नहीं दे रहे हैं । आप विरोधी दल वालों को बोलने भी नहीं देते । कम से कम कांग्रेस के जमाने में विरोध पक्ष को बोलने तो दिया जाता था ।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

यह झूठे आरोप लगा रहे हैं । इनको कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री श्यामधर मिश्र—

तो यह जो रखा है, सजा किस बात के लिए होगी । जो गाइडलाइन्स शाह आयोग ने दी है वह रिपोर्ट में है । समय अगर दें तो मैं उनको बतलाऊं । लेकिन समय नहीं है । इसलिए अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि पालिटिक्स आफ वेन्जीनियन्स, बदले की राजनीति को बन्द कीजिये ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

यह जो प्रस्ताव हमारे साथी वाराणसी के विद्वान सदस्य ने रखा है यह नियमानुकूल नहीं है। शाह कमीशन भारत सरकार ने बनाया और उसकी रिपोर्ट संसद में देने की बात थी। उस पर यहां विचार करना मैं समझता हूं संविधान के अनुसार प्रदेश के अधिकार सीमा के बाहर है। मुझे याद है इसी तरह का प्रस्ताव परिषद में रखा गया था जिसको अस्वीकार कर दिया गया। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। भाई शतरुद्ध प्रकाश जी ने मीसा की बात कही। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन आयोगों ने जिन लोगों के विरुद्ध अपनी फाइन्डिंग्स दे दी वह आज जनता पार्टी में मौजूद हैं। श्रीमन्, पहला उदाहरण [xx] जो इनके यहां इस्पात मंत्री हैं। उनके खिलाफ आयोग ने यह फाइंडिंग दे दी कि १९६२ के चाइनीज एग्रेशन में उस वक्त की कलिंगा एयरलाइन्स में जो सामान सैनिकों को फ्रन्टियर पर मिलना चाहिए था वह कलकत्ता के बाजारों में बेच दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

सेहरा जी पहले आप प्रस्ताव को देख लें। उसी तक सीमित रखें।

श्री गुलाब सेहरा—

प्रस्ताव यह है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को कठोर दण्ड दिया जाय। मेरा कहना है कि जिनके खिलाफ आयोग की फाइंडिंग्स हो गयी [xx] जो चीफ मिनिस्टर हैं, पंजाब में उनके खिलाफ फाइंडिंग हुई।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं। मैंने उनको पहले ही मना कर दिया है। जो मुख्य प्रश्न है उसी पर चर्चा करें।

श्री रमाशंकर कौशिक—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जो माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं हैं वह लोक सभा के सदस्य हैं और [xxx] पंजाब विधान सभा के सदस्य हैं उनके बारे में बात की जा रही है तो यह कार्यवाही से निकालने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पहले ही कह चुका हूं कि वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री गुलाब सेहरा—

[xx] आज जनता पार्टी में मंत्री हैं।...

श्री उपाध्यक्ष—

आपने इस सम्बन्ध में तो कोई प्रस्ताव दिया नहीं है। श्री शतरुद्ध प्रकाश जी ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर आप बोलें।

नोट—[xx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गुलाब सेहरा—

आयोग की रिपोर्ट की बात मैं कह रहा हूं। जो पं० जवाहर लाल नेहरू के समय भ्रष्टाचार के लिए मुक्त कर दिए गये थे वह जनता पार्टी में आज खजाने के मालिक हैं। आयोग की फाइन्डिंग्स के बाद भी वह मौजूद हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

सेहरा जी आप अपने को प्रस्ताव तक सीमित रखें।

श्री गुलाब सेहरा—

शत्रुरुद्ध प्रकाश जी ने जिक्र किया, जिसने मीसा लगाया और उसने आए लोगों को बन्द कर दिया। वह हेमवती नन्दन बहुगुणा आपके साथ हैं। लोक सभा में इमरजेन्सी के क्या लाभ हैं उसको बताने वाले जगजीवन राम भी आपके साथ हैं। वह ६ घन्टे तक बोले थे दो दिन तक बहस की। वह भी आपके साथ हैं। श्रीमन्, ताज्जुब यह है कि आयोग ने जिनके विरुद्ध फाइन्डिंग्स दी थी वह आपके साथ हैं। मैं शाह कमीशन का आखिरी अंश पढ़ रहा हूं। शाह कमीशन की नियुक्ति इसलिये की गयी थी कि दन्ड वाली बात पर ज्यादा गौर न करते हुए आगे भविष्य में इस तरह की परम्परा का क्या उपाय किया जा सकता है।

श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर दूसरे मंत्रियों के नाम लिए जा रहे हैं जिनका इस सदन से कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि उनको इस कार्यवाही से निकाल दिया जाये। श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा का नाम लिया गया। वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं। इस अंश को भी इस कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

मीसा पर चर्चा हो रही है। उस समय श्री बहुगुणा जी यहां पर मुख्य मंत्री थे। तो उनका नाम लेना गलत नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा—

मेरा कहना यह है कि अब एक बात यह कही गयी कि आपातकाल जब लागू किया गया तो मंत्रिमंडल से बाद में पूछा गया। यह शत्रुरुद्ध प्रकाश जी ने कहा। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि शाह कमीशन जिनको रोकना चाहता है वह जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं। प्रधान मंत्री मोरार जी देसाई ने बिना कैबिनेट से पूछे विदेश नीति के बारे में वाशिंगटन में यह कह दिया कि आटोमिक एनरजी का जो बिस्फोट है वह हम बन्द कर रहे हैं। इतना बड़ा फैसला उन्होंने वाशिंगटन में ले लिया।[××]

श्री उपाध्यक्ष—

ये जो आपके शब्द हैं ये कार्यवाही के अंश नहीं बनेंगे। आप अपने को इस प्रस्ताव तक ही सीमित रखें।

नोट—[××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गुलाब सेंहरा—

मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो इससे सम्बन्धित न हो। मैं यह कह रहा हूं कि शाह आयोग की जो नियुक्ति हुई थी उसका आशय यह था कि जो हुआ है उसकी पुनरावृत्ति न हो।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है ? जहां वे विषयान्तर होते हैं मैं उनको टोक देता हूं।

श्री विद्या शंकर—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं।

श्री विद्या शंकर—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे सुन तो लें। यहां पर किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र करना जो यहां का सदस्य न हो या किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के बारे में यहां पर कुछ कहना कहां तक उचित होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने टोक दिया था और उसे कार्यवाही से निकाल देने के लिए कह दिया था।

श्री गुलाब सेंहरा—

मान्यवर, जो कुछ मैं कह रहा हूं प्रस्ताव में उसकी आलोचना हो चुकी है। चौधरी चरण सिंह के परिवार और संजय के दोस्तों ने सत्ता पक्ष से बड़ा लाभ उठाया यह कहा गया।

मान्यवर, शाह कमीशन की क्या भावना थी . . . .

(अत्यधिक शोर)

श्रीमन्, अगर हमको नहीं सुना जायगा तो हम भी ऐसा ही करेंगे। शाह कमीशन की नियुक्ति में यह भावना निहित थी।

(श्री हरी सिंह के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप धैर्य रखिये। उनकी बात सुनिये। जहां वे ऐसे शब्द कहेंगे, मैं उनको टोक दूंगा। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बड़े धैर्य से उनका भाषण सुना।

श्री गुलाब सेहरा—

विरोध पक्ष का काम तो आपकी गल्ती को इंगित करना है। बदले की राजनीति की परम्परा अगर इस देश में पड़ती है तो वह इस देश का दुर्भाग्य होगा। शाह कमीशन का मार्गदर्शन यह है कि १९ महीने में जो कुछ हुआ वह आगे नहीं होना चाहिए लेकिन श्रीमन्, आज लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले संसद में और विशेषकर राज्य सभा में उठाये गये [xxx] लेकिन कुछ नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप फिर वही चीजें दुहराने लगे जिनको मैंने मना किया था ?

श्री गुलाब सेहरा—

आयोगों की फाइंडिंग्स जितनी भी संसद में पेश हुयीं उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहां पर भाई शत्रुघ्न प्रकाश जी ने कहा कि इनके जमाने में केसेज वापस लिये गये लेकिन जनता पार्टी के जमाने में भी केसेज वापस लिये जा रहे हैं। जब हम जनता के सामने गये, हमने जो किया था, उसका नतीजा हमको मिला लेकिन आप भी वही १९ महीनों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

यह सरकार और जनता पार्टी लोकतंत्र की बड़ी दुहाई देती है, ऐसा लगता है कि जैसे लोकतंत्र इनकी जेब में रखा है जिसे इन्होंने आते ही जेब से निकाल कर स्थापित कर दिया हो। (व्यवधान) २० सूत्री कार्यक्रम के बारे में बहुत कुछ कहा गया, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से यहां ऐसे माननीय सदस्य हैं जिनको मैंने पैरोल पर छुड़वाया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें। (शोर)

श्री गुलाब सेहरा—

मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर बदले की राजनीति की बुनियाद आपने डाल दी तो यह इस देश के लिये, जनतंत्र के लिये एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मेरा विरोध उन पंक्तियों से है जहां अभी सेहरा जी ने केन्द्रीय मंत्रियों के बारे में आक्षेप किया है क्योंकि केन्द्रीय मंत्रियों के आचरणों पर यहां विवाद नहीं हो सकता (व्यवधान), यहां के मंत्रियों के विषय में तो कहा जा सकता है, वहां के नहीं। इस प्रकार की व्यवस्थायें पिछले अध्यक्षों की हो चुकी हैं। मेरा निवेदन है कि माननीय गुलाब सेहरा जी ने जो कुछ केन्द्रीय मंत्रियों के बारे में कहा है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

वह मैं पहले ही कह चुका हूं, जो निकालने वाला अंश होगा वह निकाल दिया जायेगा।

नोट:—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गुलाब सेहरा—

जो फाइन्डिंग्स शाह आयोग की हैं और जो संसद में पास हो चुकी हैं क्या उनको निकाला जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो निकालने वाला अंश होगा वह मैं निकाल दूंगा।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय—

जो प्रस्ताव मान्यवर, इस समय विचारार्थ है और जिस पर यह सदन विचार कर रहा है उसका संबंध न केवल उत्तर प्रदेश से है, बल्कि सारे देश, सारे विश्व और लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं से उसका संबंध है। यह मान्यवर, पहला ऐसा उदाहरण है कि किसी देश का प्रधान मंत्री जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत देश का प्रधान मंत्री बनता है तो किस तरह से ऐसे-ऐसे काम करता है कि जिसके विरुद्ध एक न्यायालय ऐसा निर्णय लेता है कि उसे ६ साल तक न केवल चुनाव न लड़ने दिया जाये बल्कि उसका चुनाव भी अवैध करार दे दिया जाये। आपने देखा कि किस तरह से आपातकाल में संविधान में परिवर्तन किया गया, अयोग्यता वाली चीज को किस तरह से निरस्त किया गया, और क्या क्या हुआ वह सबके सामने है।

इस शाह आयोग की रिपोर्ट से मैं कुछ मुख्य उदाहरण ही आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उसमें स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान की धाराओं का दुरुपयोग किया ताकि येन-केन प्रकारेण वे सत्ता में बनी रहें और अगर मौका मिले तो संजय गांधी भी सत्ता में आ जायें। यह भी कहा है कि जिस प्रकार से मंत्रि परिषद् में निर्णय लिये जाने चाहिये थे वे नहीं लिये गये। यह भी कहा है कि संविधान की धाराओं का उल्लंघन करके लोगों को जेलों में भर दिया आदि आदि। मेरे दोस्त श्री शत्रुघ्न प्रकाश ने सारी बातों पर अभी प्रकाश डाल दिया है, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा पर माननीय श्यामधर मिश्र जी व इस सदन का ध्यान कुछ खास बातों की ओर आकर्षित करूंगा। मान्यवर, माननीय श्यामधर मिश्र ने यह कहा कि शाह आयोग ने गवाही नहीं ली। इसमें लिखा है कि विद्याचरण शुक्ल,, सिद्धार्थ शंकर रे की गवाही हुई है। उसमें शाह कमीशन ने निश्चित रूप से यह कहा है कि—

> Smt. Indira Gandhi did not consult the Cabinet even though she had plenty of time to do so. There is enough evidence to show that Smt. Indira Gandhi planned the imposition of the emergency at least as early as June 22. She had also shared the thought with some of her political confidants as early as morning of June 25.
>
> In the absence of any explanation which would warrant the declaration of an emergency, the inference is inevitable that a political decision was taken by an interested Prime Minister in a desperate endeavour to save herself from the legitimate compulsion of a judicial verdict against her.
>
> The nation owes it to the present and the succeeding generations to ensure that the administrative set up is not subverted in future in the manner it was done to serve the personal ends of any one individual or a group of individuals in or near the Government.

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसका हिन्दी रूपान्तर कर दें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, कमीशन का अंग्रेजी में है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, पुराने सदस्य हैं हिन्दी नहीं जानते हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, इसके माने यह हुआ कि श्रीमती इंदिरागांधी ने, उनके जो मंत्रिपरिषद् के सहयोगी थे, उनसे सलाह मशविरा नहीं लिया, हालांकि उन्होंने अपना दिमाग बना लिया था २२ जून को कि इस देश में आपत्तिकाल स्थिति लगा दी जाय । मान्यवर, शाह आयोग ने निश्चित रूप से लिखा है । चूंकि वह चुनाव हार चुकी थीं, इसलिए उन्होंने यह धारणा बना ली थी कि वह सत्ता में बनी रहें और उनके बाद उनका लड़का संजय गांधी बना रहे ।

लोकनायक जयप्रकाश जी ने सारे देश को एक संदेश दिया था । उनका संदेश इस प्रकार का था—तीन वर्षों का इतिहास सरकारी दमन और राष्ट्रीय अपमान का इतिहास है, इस बात का इतिहास है कि किस तरह सत्ता के नशे में चूर एक व्यक्ति और उसके पिछलग्गू एक सवतंत्र देश की जनता के अधिकारों को छीन सकते हैं । न्यायालय को पंगु बना सकते हैं, संविधान को फाड़कर फेंक सकते हैं और देखते-देखते लोकतंत्र को समाप्त कर तानाशाही थोप सकते हैं और यह सब वह व्यक्ति कर सकता है जो हमारा प्रधान मंत्री है, वे लोग कर सकते हैं जिन्हें वोट देकर हमने अपना प्रतिनिधि बनाया था । इतिहास की यह एक अनोखी घटना है ।. .

मान्यवर, हमारा सदन से निवेदन है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधान मंत्री थी, श्री नारायण दत्त तिवारी इस सारे प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, मैं उधर बैठा करता था, उस समय मैंने १० दिसम्बर, १९७६ को एक संशोधन पेश किया था कि हो सकता है कि प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार जायं और दूसरी लोक सभा इसको न माने । मैंने संभावना व्यक्त की थी इस देश की जनता ने सत्यता को स्वीकार किया । इस सारे मसले को राजनैतिक दृष्टि से न देखें, क्योंकि देश में भविष्य में कोई भी प्रधान मंत्री कानून की धाराओं का दुरुपयोग न करें । श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध हमारे देश की संसद या जो विधान सभा है, इस प्रकार का कदम उठावे कि उनको कठोरतम सजा दी जाय ।

मुख्यमंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, कुछ सदस्य और बोलना चाहते हैं ऐसा दिखाई पड़ता है, इसलिए आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय, केवल इस विषय पर ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस विषय पर चर्चा हेतु आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रस्ताव का समय बहस के लिये ४ बजकर ३० मिनट तक रहेगी ।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प आया है, जब माननीय विधान सभा में आ ही गया तो मुझे अपनी बात कहनी पड़ रही है । माननीय गुलाब सेहरा जी ने और माननीय श्यामधर जी ने और विरोधी पक्ष के लोगों की बातों को मैं सुन रहा हूं । लेकिन मैं, ३ बातों का जवाब आपसे पूछना चाहता हूं । नंबर एक मान्यवर १९ महीने इस देश में काली रात रही । साढ़े ४२ करोड़ आदमी एक तरह से जेलखाने में बंद कर दिये गये । सारा देश काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक जेलखाना बन गया था । यह बात गलत हो तो बता दें । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्र इस तरीके से नष्ट किया जा सकता है ? इसी सदन में उस समय मैं इस सदन का सदस्य नहीं था । भारत के भूतपूर्व गृह मंत्री उस समय के नेता विरोधी दल साढ़े चार घंटे इस सदन में बोले । उनका ऐतिहासिक भाषण था । सुबह अखबारों में क्या लिखा कि चौधरी चरण सिंह भी बोले । नारायण दत्त तिवारी जी भी बीस मिनट बोले, तीन पेज रंगे हुये हैं । तो यह आपका लोकतंत्र । मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं इन बातों को मैं माफ कर सकता हूं लेकिन जार्ज फर्नांडीज जी क्रान्तिकारी नेता हैं उनका नाम सबने सुना है उद्योग मंत्री हैं । उनका प्रश्न था कि देश को लोकतंत्र के अनुसार चलावें । आपने उनको वारंट दिया । मैं पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कोई बाहर का नाम न लें ।

श्री राधे श्याम शर्मा—

मैं नाम नहीं लूंगा । माननीय उद्योग मंत्री जी का प्रश्न है । उनको पकड़ने की बात थी । सारी बातें अगर मैं बताऊंगा तो इस सदन में हाहाकार मच जायगा । मान्यवर, सात दिन तक उनके भाई लारेंस को मारा गया, बर्फ की सिल्ली पर सुलाया गया । उनका कान फट गया । टांग टूट गयी और उनको पेरालिसिस हो गयी । उनसे पूछा गया कि जार्ज फर्नांडीज कहां हैं । मैं इसको भी माफ कर सकता हूं । लेकिन इस बात को माफ नहीं कर सकता, २८ तारीख की रात को लारेंस से कहा गया कि अगर आप अपने भाई को नहीं बतायेंगे कि कहां हैं तो कल जेल के भीतर आपकी बूढ़ी मां को बुलाया जायगा और आपको (लारेंस को) उनके साथ बलात्कार करने के लिये प्रेरित किया जायगा ।

(शेम शेम की आवाजें)

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इससे ज्यादा कौन सी बुरी बात है । मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के सारे कसूर माफ कर सकता हूं लेकिन ऐसी बात नहीं माफ कर सकता ।

[श्री राधे श्याम शर्मा—]

अभी माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने बताया कि कैसे-कैसे लोगों को नसबंदी की गयी डी० आई० आर० मीसा लगाया । मैं कहना चाहता हूं कि इतना बाबर ने कहीं नहीं किया, औरंगजेब ने नहीं किया, और न चेंगेज खां ने किया । इसलिए मेरा निवेदन है कि बदले की भावना से नहीं बल्कि आगे आने वाला भावी प्रधान मंत्री हिंदुस्तान को जेलखाना न बनाये, कोई गलत काम न करे इसलिये मैं जोरदार तरीके से मांग करता हूं कि कानून के अंदर जो सख्त सजा हो वह मिलनी चाहिये । जिससे आगे भविष्य सही रहे और किसी तानाशाह की हिम्मत हिंदुस्तान की जनता के साथ खिलवाड़ करने की न हो । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात इस प्रेरणा के साथ समाप्त करता हूं कि जनतंत्र में सारे के सारे लोग सही चलेंगे और लोकतंत्र चलेगा ।

श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सारी दुनिया जानती है कि हमारे देश में आदि काल से प्रजातंत्र रहा है । लेकिन २५ जून, १९७५ की वह काली रात आई कि हमारे देश के संविधान को सत्यानाश कर दिया । संविधान की नसबन्दी की और उसके साथ बलात्कार किया गया । उसको उन्होंने किया जो आज भी कहते हैं कि हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं । जबकि डेढ़ लाख लोगों को उन्होंने जेल में बन्द कर दिया और लड़कों को बाप से तथा बाप को अपने लड़कों से अलग कर दिया । लोगों को बिना वारन्ट गिरफ्तार किया गया और बिना कारण गिरफ्तार किया गया ।

मैं साढ़े ९ बजे समाचार पत्र पढ़ रहा था मुझसे कहा गया कि तुमको डी० एस० पी० श्री रावत बुला रहे हैं । वह मेरे परिचित थे । मैं वहां गया तो मुझको रोक लिया और बिना कारण बताये मेरे हथकड़ी डालकर सड़की जेल में भेज दिया । मेरे ऊपर डी०आई० आर० का केस था मैं इसलिये जमानत पर रिहा किया गया । उसके बाद मुझे मीसा में बन्द किया गया और हथकड़ी पहनाकर सहारनपुर के जेल में बंद किया गया और कोई कारण नहीं बताया गया । तो जिनके कार्यकाल में इस प्रकार के अत्याचार हुये हों और वह लोकतंत्र की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक वेश्या के मुंह से सती सावित्री की बात की जा रही हो अथवा एक बिल्ली से दूध की रखवाली की बात की जा रही हो । तो वह काली रात जिसमें लाखों लोगों को बन्द किया गया और फिर बार-बार उदाहरण दिया जाता है कि बिटेन के आधार पर हमारा संविधान है । बिटेन में वहां की रानी के पति पर ७५ पौंड जुर्माना हुआ, उनके लड़के चार्ल्स पर जुर्माना हुआ जिसको मैजिस्ट्रेट ने किया, लार्ड माउन्टबेटन पर ७५ पौंड का जुर्माना हुआ जिसको एक मैजिस्ट्रेट ने किया ट्राफिक रूल्स के उल्लंघन पर जुर्माना किया गया । यदि उस जनतंत्र को हम देखें और इंदिरा गांधी के जनतंत्र को देखें तो कितना बड़ा अन्तर मिलेगा । लेकिन जब गुलाब सेहरा जी भाषण दे रहे थे तो मैं उनको सुन रहा था । उस समय उनकी भाव भंगिमा को भी मैं देख रहा था तो वह विषयान्तर हो रहे थे । तो मैं पूंछना चाहता हूं कि क्या उनके पास शाह कमीशन की रिपोर्ट पर बोलने के लिये सामग्री नहीं थी ? क्या इंदिरा गांधी के अत्याचार पर बोलने का साहस नहीं था और इसलिये वह विषयान्तर हो रहे थे । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सुझाव देता हूं कि [xxx] इंदिरा गांधी को आज ही संविधान के उल्लंघन में गिरफ्तार किया जाय और फांसी की सजा दी जाये ।

नोट—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो शब्द उन्होंने कहे हैं उनकी कार्यवाही से निकाले जाने का मैं निर्देश देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, जो प्रस्ताव उपस्थित हुआ है उस पर मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा देश गरिमा का देश था, यह महान देश था और जब यह प्रस्ताव आते थे जैसे कि चीन को हराने का पाकिस्तान को हराने का और देश में बड़ी-बड़ी योजनाओं बनाने पर प्रस्ताव आते थे । उस पर हमारे नेता दिलचस्पी लेते थे और डिसकस करते थे लेकिन आज संकीर्ण विचारधारा वाले लोग रह गये हैं । हमारी ६६ करोड़ जनता सब देख रही है । एक ही प्रस्ताव हमारे देश की असम्बलियों में, हमारे देश के कोने-कोने में जिला परिषदों में लाया जा रहा है । हमारे सरकारी पक्ष के नेताओं में कोई उचित अनुचित का विचार नहीं रह गया है । विपक्ष के लोगों की बात सुनने की हिम्मत उनमें नहीं रह गयी है । मैं देख रहा हूं कि दो तीन दर्जन वकील हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं कि फर्जी कानून बना कर किस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी को फंसायें, उनको फांसी हो जाय । ग्राम सभा से लेकर विकास खंड, जिले तथा प्रदेश में जितने लोग बैठे हैं, जितने अधिकारी हैं यदि सबके कामों पर निगरानी रखी जाय तो सब फंस जायेंगे एक वही महिला है जिसका आज तक किसी भी विषय पर हाथ नहीं था, उसे आज तक कोई बंदी नहीं बना सका । फर्जी कानून बना कर उन्हें जेल में रखा । इसे सारी जनता देख रही है । देश की जनता इसे बर्दास्त नहीं करेगी । बदले की भावना से काम किया जा रहा है ।

श्रीमती इंदिरा गांधी को चिकमंगलूर की जनता ने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिये भेजा कि गरीब किसानों, मजदूरों की आवाज पार्लियामेंट में उठायेंगी लेकिन आपने उनको किसानों की आवाज उठाने से वंचित कर दिया । आपने लोक सभा की सदस्यता से उनको वंचित करने का एलान किया है । क्या वह देश की आवाज उठाने के काबिल नहीं रह गयीं हैं । चिकमंगलूर की जनता ने उनको पार्लियामेन्ट में अपना प्रतिनिधि बना कर भेजा और आज आपने उनको सजा दी है । आप उन्हें पार्लियामेन्ट से निकाल रहे हैं । सारी की सारी ज्यादतियां हो रही हैं । इसलिए मैं श्री श्याम धर जी का जो संशोधन है उसका समर्थन करता हूं और जो यह प्रस्ताव रखा है कि श्रीमती गांधी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय उसकी मैं ही नहीं सारे देश की जनता घोर निन्दा करती है ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—

आपकी आज्ञा से एक व्यवस्था का प्रश्न है । जो व्यवस्था का प्रश्न मैं उठाने जा रहा हूं मैं समझता हूं कि उसे आप एप्रिसियेट करेंगे । वैधानिक प्रश्न यह है कि जांच पड़ताल द्वारा शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर भिन्न भिन्न आरोप भूतपूर्व प्रधान मंत्री पर लगाये गये और उनके विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं । मेरा

[श्री वीरेन्द्र पाल यादव—]

प्रश्न यह है कि क्या आप उन्हीं आरोपों के लिए दूसरी इनक्वीस्टिगेशन कर सकते हैं जब शाह कमीशन की रिपोर्ट पर विभिन्न खानों में भिन्न आरोपों का इन्दराज किया गया है। दूसरी बात यह है कि . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायें। मेरा निर्णय सुन लें। आपने यह आपत्ति करने में काफी देर कर दी। अब तो सदन के सामने प्रस्ताव आ गया और कार्य-मंत्रणा समिति ने समय निश्चित कर दिया इसलिये आपकी बात अग्राह्य है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं भी प्रस्तावक हूं। आप इस गम्भीर प्रश्न पर विचार कर रहे हैं इसमें सदन की स्पष्ट राय होनी चाहिये। आज हमारे सामने यह गम्भीर प्रश्न उपस्थित हो गया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश और लोकतंत्र के साथ जो अन्याय किया, लोक सभा और संसद के साथ जो अन्याय किया, जनता के साथ जो अन्याय किया उसके लिये इस देश में एक मिशाल कायम कर देना चाहिये कि चाहे कोई भी प्रधान मंत्री हो, चाहे मोरारजी देशाई हो या चाहे चौधरी साहब ही क्यों न हों, इस महान देश के साथ इस देश की महान जनता के साथ अन्याय न कर सकें। इसीलिये इस प्रस्ताव का समर्थन जरूरी है।

मान्यवर, श्रीमती इन्दिरा गांधी के पूज्यनीय पति श्री फिरोज गांधी का एक प्रेस एक्ट था, जो सभी जगह से पास हुआ था जिसमें लोक सभा, संसद और विधान मण्डलों की पूरी कार्यवाही छापने का प्रेस को अधिकार मिला था, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस अधिकार को भी समाप्त कर दिया था। प्रेस इनकी प्रोसीडिंग्स को नहीं छाप सकते थे। इस प्रकार श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने पति की पवित्र आत्मा की भी हत्या की।

मान्यवर, मैं अपनी बात नहीं कहना चाहता था लेकिन मुझे यह कहने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है कि मुझे प्लेन्ड क्लाथ्ड लोगों में गिरफ्तार किया था और आज भी मुझे पता नहीं है कि मैं कहां गिरफ्तार था। मैं ९ दिनों तक कस्टडी में रहा। मैं नहीं जान सका कि मैं कहां था तीन दिन और तीन रात सोने नहीं दिया। यह भी कहा गया कि तुम्हारी पत्नी और लड़की को पकड़ा जायेगा। तुम्हारे लड़कों को पकड़ा जायेगा। मैं कहता हूं कि मान लें मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया था और श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ आन्दोलन में शरीक था, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने क्या पाप किया था ? इसलिये, मान्यवर हमको यह प्रस्ताव इसलिये नहीं पास करना है कि हमसे श्रीमती गांधी से कोई नफरत है, बल्कि इसलिये पास करना है कि यह हमेशा के लिये निश्चित हो जाय कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यह प्रस्ताव हमें इसलिये पास करना है कि लोकतंत्र की रक्षा हो।

मान्यवर, माननीय गुलाब सेहरा ने कहा है कि श्री पटनायक के खिलाफ हमारे समय में कमीशन बैठा था। लेकिन, मान्यवर उसमें चार्जेज सिद्ध हुये थे। लेकिन चार्जेज सिद्ध हुये, तो उस समय की सरकार को उस समय उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये थी लेकिन नहीं किया। ३० साल तक कमीशन बैठते रहे, आरोप भी सिद्ध होते रहे लेकिन

उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया । इसलिये मैं अपनी केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं कि कम से कम अब जो जांच में आरोप सिद्ध पाये जायं, तो उन आरोपों के अनुसार दण्ड मिलना चाहिये ।

इसलिये मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राम आसरे वर्मा जी, आप केवल तीन मिनट बोल लें क्योंकि उसके बाद और भी माननीय सदस्य अनुरोध करेंगे और लोग मुख्य मन्त्री जी को भी सुनना चाहेंगे ।

श्री राम आधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं भी प्रस्तावक हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि ५/६ प्रस्तावक हैं अब एक माननीय सदस्य ने जिन्होंने पेश किया, उन्होंने उसके ऊपर १७/१८ मिनट बोल लिया अब सभी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इसमें दस्तखत किया है, अगर मौका दिया जायेगा, तो काफी समय लग जायेगा । इसलिये आप कृपया अनुरोध न करें ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मुझको भी समय दें ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, हमारे यहां देश के कानून में इस बात की व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करे तो फांसी की सजा दी जाय या आजीवन कारावास की सजा दी जाय । लेकिन इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है कि उस व्यक्ति को क्या सजा दी जाय जिसने उन मान्यताओं की हत्या कर दी है जिन मान्यताओं को पाने के लिए अनगिनत लोगों ने अपनी कुरबानियां दी हैं, अपने जीवन स्वाहा किये हैं । हमारे देश के इतिहास में यह बदकिस्मत अध्याय हमारे देश की भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमतीइंदिरा गांधी ने जोड़ा । आपातकालीन स्थिति घोषित की और इतना ही नहीं बल्कि आपातकालीन स्थिति की आड़ में जो जघन्य अपराध उन्होंने किये हैं, वह दुनिया के इतिहास में बेमिशाल हैं ।

एक ओर लोकतांत्रिक मान्यताओं की हत्या है, दूसरी ओर सारे देश में लूटपाट और हत्याओं का बाजार गर्म किया । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि अगर फांसी से बढ़कर कोई सजा हो सकती है, तो इंदिरा गांधी को उसी दिन मिलनी चाहिए थी, जिस दिन जनता पार्टी शासन में आयी थी । ऐसा न करने पर मैं समझता हूं . . . . (व्यवधान) ऐसा न करके जनता पार्टी के शासन ने भारत की जनता की भावनाओं की कद्र नहीं की है । मान्यवर, माननीय मिश्रा जी ने एक प्रस्ताव रखा, उल्टा । उसे देख कर ताज्जुब होता है अगर ये शाह आयोग की रिपोर्ट पढ़े होते तो शायद जान लेते, खुद जो शाह आयोग ने फाइंडिंग की है, उसके शिकार रहे हैं लोकदल से कांग्रेस में पहुंचे गये ।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

वर्मा जी इधर भी देख लें, आपका समय समाप्त हो गया

श्री राम आसरे वर्मा—

और कांग्रेस में आने पर देखा कि जनता ने आपातकालीन स्थिति को ठुकराया है तो यहां आकर दूसरे से मिलने की बात कर रहे हैं। आज दिन में दो जगहों से मिले एक तो गुलाब सेहरा से दूसरे उनसे मिले, इन्होंने अब केवल मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

इन्दिरा को सजा मिलनी चाहिए, जितनी सख्त सजा हो सकती है वह मिले। अभी तो जेल में भेजा है। उनको तो इस बात का भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि हिन्दुस्तान की धरती पर वह रहें, उनके नागरिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठिये। अब मैं किसी को इसके ऊपर इजाजत नहीं देता।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, हमारे दल की एक नीति है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप दो मिनट में बोल दें। टाइम के अंदर समाप्त करना है। जितनी देर में हल्ला मचा रहे हैं, उतनी देर में कह दीजिये।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, विरोधी दल के नहीं हैं, जनता पार्टी के हैं।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, कुछ और भी सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं क्योंकि कुछ ऐसा विषय है, जिसके भुक्तभोगी लोग हैं, तो इसलिए आधा घंटा बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या सदन की यह राय है कि इस प्रस्ताव पर बहस के लिए आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, दुख इस बात का है कि यह संशोधन श्यामधर जी ने रखा, अगर इसका गुलाब संहरा जी रखते तो अधिक अच्छा होता। मान्यवर, इस बात पर न तो शाह आयोग की और न सायुन की जरूरत है तानाशाही हुकूमत के अंदर फासिस्ट और अर्ध फासिस्ट एक ही बात है।

हुकूमत कायम करने इन्दिरा जा रही थीं जिसका जबरदस्त विरोध किया गया। सारे देश की जनता उसे सजा देने के पक्ष में थी और यही कारण है कि सारे देश की जनता ने सजा देने के लिए इतने बड़े बहुमत से आपको जिताया है। श्री गुलाब संहरा चिकमंगलूर की बात करते हैं। मैं इस्तीफा देता हूं और इन्दिरा को लड़ा दीजिए देखें कैसे जीत जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

भगवती प्रसाद सिंह जी आप यह कहा करें कि इस्तीफा दे सकता हूं। इस्तीफा देता हूं यह न कहा करें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

वही भाव हुआ, मान्यवर। जो अभी हमारे माननीय सदस्यों ने कहा और श्री राम आसरे वर्मा ने कहा। मैं तो कहता हूं कि बड़े दुख की बात है और यह सरकार निकम्मी है जो दो साल से गवाही पेश कर रही है। मान्यवर, मैं सबूत हूं। अपने घर का अकेला व्यक्ति हूं। मेरे पांच महरूम भाइयों की बेटियां रोती रहीं। उन्हें न तो मिलने दिया गया और न चिट्ठी भेजने की अनुमति थी। मैं चार बजे गिरफ्तार हुआ और साढ़े आठ बजे का समय दिखाया गया २७ तारीख को। मेरा वारन्ट था और फैजाबाद कृषि विश्व-विद्यालय की मीटिंग में आया था।

मैं बहरूपा जी से मिला और मैं कह सकता हूं कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो दिल से महसूस कर रहा था कि इन्दिरा तानाशाह हैं और देश को खतम कर रही हैं। देश में प्रजातंत्र की हत्या कर रही हैं। कहते हैं तीन दिन इन्दिरा जेल में रही। भूकम्प आ गया और बड़ा तूफान मचा हुआ है और कहते हैं इस बात का चैलेंज है कि इन्दिरा को बहुमत मिल रहा है। कतई बहुमत नहीं मिल रहा है। सिर्फ यह मोरारजी और मुख्य मंत्री की सरकार की वजह से वे फायदा उठा रही हैं और यह सजा देने में देर कर रहे हैं। वरना दुनिया में ऐसी तमाम मिसालें मौजूद हैं जहां फासिस्ट और तानाशाह को, हिटलर को छोड़ दीजिए, सजा देने के लिए विशेष न्यायालय बैठा है। हमारी पार्टी ने पहले ही मोरार जी की सरकार से मांग किया था कि विशेष न्यायालय बैठाना चाहिए और उन्हें बड़ी से बड़ी सजा अर्थात् फांसी देना चाहिए जिसने देश के अन्दर हजारों लोगों की हत्याएं करवाई हैं।

[श्री भगवती प्रसाद सिंह—]

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि यह सरकार उदासीनता बरत रही है और आज चौराहों पर कांग्रेस (आई०) के लोगों से गुन्डई करवा रही है और अपनी कमजोरी का सबूत दे रही है। मान्यवर, मैं बंगाल से २६ की सुबह आया हूं। वहां पर यह लोग गुन्डई करना चाहते थे लेकिन मेरी पार्टी के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। वैसे मान्यवर, मैं आज तक इस निकम्मी सरकार का विरोध करता आ रहा हूं। मेरे क्षेत्र में हाफिजपुर है जिसमें मुस्लिम और हरिजन रहते हैं। वहां पर उस समय एक दारोगा राय था। उसने २६ हरिजनों और मुसलमानों के ऊपर केस चलाया और हाथ में हथकड़ी लगाया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

यही नहीं प्रधान तो मारा गया और उसकी बेटी से थानेदार ने कहा कि अगर नसबन्दी का विरोध किया तो इसी रिवालर की शक्ल का बच्चा पैदा करूंगा। उनके खिलाफ डेपुटेशन भी गया लेकिन उस थानेदार की तरक्की मुख्य मंत्री जी ने किया है।

अन्तिम बात मैं माननीय सेहरा जी से कहना चाहता हूं कि इन्द्रा जी अब सत्ता में नहीं आने पायेंगी। . .

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य अब आगे बोलेंगे तो लिखा नहीं जायगा।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

[xxx]

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला-आगरा)—

मान्यवर, शत्रुघ्न प्रकाश जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो कुछ भावनायें माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में अब तक व्यक्त की हैं वे बहुत कम हैं। माननीय सेहरा जी आगरा के रहने वाले हैं। जब महात्मा गांधी सड़क को चौड़ा किया जा रहा था और न जाने कितने लोगों को बेघरबार कर दिया गया यह सेहरा जी को नहीं मालूम है। सेहरा जी को यह भी नहीं मालूम है कि जिस कानून को संसद तथा विधान सभा ने पास किया था और देश की जनता जिसका आदर करती थी उस कानून की प्रधान मंत्री ने धज्जियां उड़ा दी और उसकी अवहेलना करके आपातकाल की घोषणा कर दी और सैकड़ों नर-नारियों का संहार करवाया। [xxx]

श्री उपाध्यक्ष—

इस शब्द [xxx] को कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा।

नोट—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गुलाब सेहरा—

जरा इनका बोलने का स्तर देखिये ?

श्री राम आसरे वर्मा—

उसके कारनामें ही ऐसे थे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

आपातकाल के दौरान जिस तरह से हमको सताया गया, जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया, जिस तरह से मैनपुर के एक किसान को जेल में उसके घर से पकड़ कर ले जाया गया, उसके परिवार के लोग उससे मिलने को तरस गये और जेल में ही उसकी मौत हो गयी यह हमारे सेहरा जी को नहीं मालूम है । यह भी सेहरा जी को नहीं मालूम है कि कितने लफंगे और गुंडों को लेकर लोग घूमते थे, ८० साल के आदमी को घर से पकड़ कर ले गये और जेल में बन्द कर दिया गया । जय प्रकाश जी ने कौन सा अपराध किया था । जिस लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करने के लिये देश भर में आन्दोलन चले और उस आन्दोलन के कारण ही इन्द्रा गांधी को शासन छोड़ना पड़ा उस लोकतंत्र की परम्पराओं को इन्द्रा गांधी ने चकनाचूर किया, धराशायी किया । विधान सभा में क्वेश्चन आवर नहीं हो सकता था । कोई सवाल नहीं पूछ सकता था । लोकतंत्र की मर्यादा को खत्म करने वाली इन्द्रा गांधी के लिये आज सेहरा जी कहते हैं उनको माफ कर दिया जाय यह बड़े क्षोभ की बात है, लज्जा की बात है । श्याम धर जी कहते हैं [xxx] को माफ कर दिया जाय तो यह बात समझ में नहीं आती ।

श्री श्यामधर मिश्र—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जरा मेरे मित्र को संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना तो सिखा दें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

जनता पार्टी ने इसीलिये अपने घोषणा पत्र के मुताबिक लोकतंत्र की मर्यादा के मुताबिक शाह आयोग की स्थापना की जिसने इन्द्रा गांधी को प्रताड़ित किया । यह कार्य कोई बदले की भावना से नहीं किया गया । इसीलिये हमने एक आयोग की स्थापना की । उसमें इन्द्रा गांधी को पूरा मौका दिया, अपने गवाह पेश करने का मौका दिया ताकि पूरी तरह से छानबीन करने कानून के तहत उनको सजा दी जाय । यह काम जनता पार्टी की हुकूमत ने किया है । जब कि इन्द्रा गांधी की सरकार थी तब क्या हुआ था ? हम लोग जेल में बन्द थे । तब साक्ष्य देने से रोक दिया गया था और अदालतों में जबान बन्द कर दी गयी थी ।

आप कहते हैं कि इंदिरा गांधी को विशेष अदालत के मातहत सजा देना बदले की भावना होगी यह बिलकुल असत्य है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय शतरुद्ध

नोट—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाया ।

[श्री रघुबर दयाल वर्मा—]
प्रकाश जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत सुन्दर प्रस्ताव है और सारे सदन के लोग एकमत से इस प्रस्ताव को पारित करेंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी को सजा दी जाय।

श्री विश्वनाथ पांडेय (जिला-बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी के प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि प्रजातंत्र की सबसे बड़ी देन विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है और इंदिरा गांधी के राज्य में इमरजेन्सी के दौरान हमारी उस स्वतंत्रता को छीन लिया गया था यह हम सब को पता है। इंदिरा गांधी जेल में कितने दिन रही, कब उनको वारन्ट मिला और किस तरह से उन्होंने जेल का समय काटा इसकी सूचना सबको प्राप्त होती रही। लेकिन यह भी सब को मालूम है कि जब हमारे नेता जेल में गये तो लोगों को मालूम नहीं था कि हमारे नेता किस जेल में हैं, अच्छे हैं या बीमार हैं या वह मर चुके हैं इसकी जानकारी देश को क्या उनके परिवार तक को भी नहीं होती थी। इसके बाद भी इंदिरा गांधी को सजा न दी जाय इसके बारे में माननीय सदस्य विचार प्रकट करते हैं।

२० सूत्री प्रोग्राम इनके जमाने में दुधारी तलवार हो गई थी उस समय अगर किसी संभ्रान्त व्यक्ति को जेल में बन्द करना था तो कह दिया गया कि २० सूत्री कार्यक्रम का विरोधी है और अगर किसी जुर्म करने वाले को छोड़ना हुआ तो अधिकारियों ने लिख दिया कि इन्होंने २० सूत्री प्रोग्राम का समर्थन किया है। मान्यवर दोनों प्रकार से इस २० सूत्री प्रोग्राम का प्रचार चल रहा था। इस कार्यक्रम को चलाने में जितना रुपया खर्च नहीं होता था उससे ज्यादा रुपया मैं समझता हूं कि इसके प्रचार में खर्च किया जा रहा था। मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी सजा दी गई है वह कम है। इन्हें अगर सजा नहीं दी जायेगी तो हिन्दुस्तान में जो जनतंत्रीय देश है एक गलत परम्परा बनेगी और अगर इन्हें सजा दी गई तो एक अच्छी परम्परा बनेगी। देश में जो भी प्रधान मंत्री भविष्य में होगा उसके भी मन में तानाशाही अंकुर जागेगा इस नाते तानाशाही रास्ते पर देश को ले जाने वाले को यदि कोई सजा नहीं दी गई तो आगे आने वाली संतान हमें बक्सेगी नहीं। इसलिए इस मामले में जो भी सजा देने की बात सोची जा रही है या दिये जाने का प्रस्ताव है वह भविष्य के लिए थोड़ी है। जहां तक चुनाव जीतने और हारने का सवाल है और यह कहना कि वह चुनी हुई थी उन्हें वापस कर दिया गया तो कितने ऐसे सदस्य थे जो लखनऊ जेल में बन्द थे वह भी चुने हुए थे। माननीय सुब्रमन्यम स्वामी निरपराध थे जिनको संसद से निकाल दिया गया। कितने ही एम० एल० एज, एम० पी० डेढ़ साल तक जेल में बन्द रहे वह भी जनता के चुने हुए थे उनको लोक सभा में या विधान सभाओं में विचार प्रकट करने का मौका नहीं दिया। इस प्रकार की कसूरवार को सजा न दी जाय इसके बारे में अपनी तकरीर करना महान दुख की बात है।

मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और मांग करता हूं कि देश के अन्दर अच्छी परम्परा कायम करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को सख्त से सख्त सजा देने की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री मानसिंह आजाद (जिला-लखनऊ)—

उपाध्यक्ष जी, कभी-कभी इधर भी नजर डाल दीजिये। आप हरिजनों को गौर नहीं करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

पीछे जो माननीय सदस्य हैं उनका भी ध्यान रखना होता है।

(व्यवधान)

अब केवल मुकन्दी सिंह तीन मिनट बोलेंगे और ज्यादा समय हमारे पास नहीं है।

श्री मानसिंह आजाद—

मेरी बात आप सुन लीजिए, आपकी अत्यन्त कृपा है। आज इस विधान सभा में वह जनतंत्र का हरण कर लिया था . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाएं। आपको मैंने इजाजत नहीं दी। यह जो सदस्य हैं, यह भी हरिजन हैं, आप इन्हें नहीं जानते हैं, आप इनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री मानसिंह आजाद—

यह हमारा विषय था, आप हमें बोलने दें।

(व्यवधान)

श्री मुकन्दी सिंह (जिला-बिजनौर)—

उपाध्यक्ष जी, मैं श्री शत्रुरुद्ध प्रकाश जी के प्रस्ताव का प्रबल समर्थन करता हूं, माननीय सदस्यों ने भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने जो ज्यादतियां की थीं, उनका वर्णन किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इंसान गलती करता है, उससे गलती हो सकती है, लेकिन उसे मान लें तो उसे भुलाया जा सकता है, लेकिन वह यदि मानने को तैयार न हो तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। सारी बात का आधार यही मुद्दा है। यदि गलती स्वीकार कर ले तो कोई झगड़ा होने वाला नहीं है, यही बुनियाद है कि वह भयंकर गलती करने के बाद भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और इसीलिए सारे देश में उनके प्रति आक्रोश है।

हमारे देश में तीन हठ मशहूर हैं— राज हठ, तिरिया हठ और बाल हठ। एक हठ ही किसी देश को, जिले को और तहसील को बर्बाद कर देने के लिए काफी है, उसका नाश कर देने के लिए काफी है और यहां देश का दुर्भाग्य यह था कि तीनों हठ यहां इमरजेंसी में इकट्ठे हो गये थे। महारानी इन्दिरा देश की सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान थी, बाल हठ उनके साथ-साथ लगा हुआ था और वह महिला जाति की खुद थीं। तो जहां तीनों हठ एक साथ हो जाएं, वहां देश के, प्रदेश के विनाश की, जान माल के नुकसान की कल्पना नहीं

[श्री मुकन्दी सिंह—]

की जा सकती है। इनसे नाश और महा विनाश का दृश्य उपस्थित हो जाता है। उस समय अनुशासन, पक्का इरादा और दूर दृष्टि के नारों से दीवालें रंगी हुई थी। महारानी इंदिरा देश की जनता को सम्बोधित कर रही थीं कि तुम अनुशासन में रहना, मैंने दूर दृष्टि से सोच लिया है कि मैं अपने पुत्र को देश की राजगद्दी दूंगी। सारे देश की जनता रामायण की कथा को जानती है, महारानी कैकई ने हठ कर लिया था, उनकी भावना थी कि राम बन जाएं और भरत को सिंहासन मिले, चाहे रामचन्द्र का कुछ हो, दशरथ मरें या रहें और देश का चाहे कुछ हो। यही महारानी इन्दिरा गांधी का हठ था कि चाहे देश बर्बाद हो जाए, चाहे जितने लोगों के प्राण जाएं, लेकिन हमारे संजय को गद्दी मिलनी चाहिए। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि चाहे जो भी हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा अवश्य और शीघ्र मिलनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मानसिंह आजाद—

हम लोग गुलामी के समय में देश की आजादी के लिए लड़े थे और अंग्रेजों को भगाया था और हमारे देश में जो इमरजेंसी लगाई गई, देश की हत्या की गई और उन अमर शहीदों के चिराग को गुल करने की कोशिश की गई आज हिन्दुस्तान की जनता ने बुलेट से नहीं बैलेट से उस सरकार को बदल दिया। मोरार जी देसाई इस देश की रक्षा के लिये संविधान की रक्षा के लिए पारलियामेन्ट में प्रस्ताव लाये। यह प्रदेश वह प्रदेश है जिसमें लाल पैदा हुए हैं, चन्द्रशेखर आजाद अशफाक उल्ला खां जैसे सपूत पैदा हुए हैं। शत्रुघ्न प्रकाश जी ने जो प्रस्ताव रखा है इंदिरा गांधी के खिलाफ, डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए उसका मैं स्वागत करता हूं। हमारे जैसे लोग जनतंत्र की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो बगावत करेंगे। धन्यवाद।

(शोर)

श्री रामनरेश यादव—

मान्यवर, जो सदन में प्रस्ताव आया है और जिस प्रकार सम्मानित सदस्यों ने बहुत गम्भीरतापूर्वक इसे महत्वपूर्ण समझते हुए विचार किया है, अपनी भावनाओं को जिस प्रकार रखा है वह आज के लिए बिलकुल सामयिक और उपयुक्त है। लेकिन शासन की तरफ उसका समर्थन किया जाना या उसका विरोध किया जाना इस समय में इसको उपयुक्त नहीं समझता। लेकिन एक बात जरूर है जिस प्रकार मिश्रा जी ने और सेहरा जी ने विशेष रूप से विरोध के स्वर में बोलते हुए जो इस प्रकार की चर्चा की और यह कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो भूतपूर्व प्रधान मंत्री हो चुकी हैं, उन्होंने आपात स्थिति को लागू करके एक महत्वपूर्ण काम किया था मैं समझता हूं कि जनता पार्टी की सरकार आपात स्थिति को कभी लाने पर विचार नहीं कर सकती है न उस रास्ते पर जा सकती है जिसकी चर्चा वे कर रहे थे क्योंकि जिस प्रकार लोकतंत्र की मान्यताओं और परम्पराओं का, मर्यादा का हनन किया गया था, इतना ही नहीं भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर जिस प्रकार कुठाराघात किया गया था, पिछले इतिहास में, उसमें उसका उदाहरण नहीं मिलता है और इसीलिये देश की जनता अब जेलों में घुटन महसूस कर रही थी, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस सरकार ने जो शाह कमीशन की नियुक्ति की मैं समझता

है कि यह एक ऐसा लोकतंत्र की परम्परा और आधारशिला को मजबूत करने का मार्ग रहा है जिसे की मिश्रा जी और सोहरा जी को भी स्वीकार करना चाहिए क्योंकि रूल आफ ला हम चाहते हैं। जो रूल आफ ला चाहते हैं, जो विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं, कोई बड़ा से बड़ा अपराधी हो, हम नहीं चाहते कि कोई निरंकुश होकर, संविधान की मर्यादाओं को तिलांजलि देकर विधि के विपरीत जाकर काम करे, उसे किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाना चाहिए। शाह आयोग की जो संस्तुतियां हैं उन पर कठोर से कठोर कार्यवाही करने की बात होती है तो गुलाब सोहरा जी को और मिश्रा जी को स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र की आस्था में विश्वास करने और आस्था रखने का जो रास्ता है जिस पर पूरे देश की जनता चलना चाहती है इस रास्ते पर चलने से कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आगे बढ़ने से रोक सके। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सचमुच जिस प्रकार से इमरजेन्सी के लागू करने के सम्बन्ध में सफाई दी गयी वह बिल्कुल ही विधान के विपरीत, लोकतंत्र के विपरीत और जो मौलिक अधिकार हम सब को देना चाहते हैं उनके विपरीत है। इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि यह सदन का अधिकार है और सदन के माननीय सदस्यों ने इस पर अच्छी तरह से विचार किया है। जो विचार आये हैं वह विशेष कर इधर बैठे हुए और उधर के भी कुछ माननीय सदस्यों की पीड़ा के परिणाम हैं।

मार्च, १९७७ में जो अहिंसात्मक क्रान्ति हुई उससे उस सत्ता का सफाया हो गया, और सूबों में भी हो गया। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस पर मत होता है तो हमारे जो शासन के सदस्य हैं वह इस पर व्यक्तिगत रूप से मत देने के लिए स्वतंत्र हैं। उनका शासन की ओर से मत नहीं होगा, व्यक्तिगत मत होगा यह भी सदन को बताना चाहता हूं। यह केन्द्र की सरकार से सम्बन्धित प्रश्न है, राजनीतिक भी है इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए सदन की भावना से केन्द्र को अवश्य अवगत कराऊंगा, यह सदन को बताना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मिश्र जी, आप अपना संशोधन वापस लेते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

कदापि नहीं, श्रीमन्। एक शब्द में कहना चाहता हूं, अगर आप आज्ञा दें। मैं आशा करता था कि मुख्य मंत्री जी इतने सजग हैं कि वे धीमे स्वर में मधुर ढंग से कुछ ऐसी बात कहेंगे। जैसा उन्होंने कहा कि उनके मंत्रिगण भाग नहीं लेंगे. . .

एक सदस्य—

ऐसा कहां कहा।

श्री श्यामधर मिश्र—

दूसरी ओर उन्होंने भाषण दिया जिसमें कहा कि यह प्रस्ताव सामयिक है। यह परस्पर विरोधी बातें हैं और हम ऐसी बातों में शरीक नहीं हो सकते। जब तक ऐसी बातें चल रही हैं हम बाहर जाते हैं।

(श्री श्यामधर मिश्र अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री गुलाब सेहरा—

जो मुख्य मंत्री जी के विचार आये हैं उनसे स्पष्ट है कि बदले की भावना से प्रेरित होकर, रिजेन्स फुल होकर, लोकतंत्र को ताक पर रख कर वह बदले की राजनीति की परंपरा डालना चाहते हैं। इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। इसके विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

(श्री गुलाब सेहरा अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला-वाराणसी)—

मान्यवर, मैं बहुत ध्यान से समस्त माननीय सदस्यों को सुन रहा था। मैंने खास तौर पर विपक्षी सदस्यों को भी सुना। मुझे ऐसा लगा कि जैसे अपनी गलती को छिपाने के लिए कुछ कुतर्क पेश किये जा रहे हों। जब बात शाह जांच आयोग की आयी तो गुलाब सेहरा ने दूसरी बातें रख दीं। श्यामधर मिश्र जी, जो यहां नहीं हैं, मुझे ऐसा लगा कि वे सारे के सारे प्रस्ताव को तकनीकी प्रक्रिया में उलझा कर खत्म कर देना चाहते थे। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं कि हिन्दुस्तान में ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जो पूरे तौर पर लोकतांत्रिक रही हो। लेकिन इन्दिरा गांधी की सरकार ने १९ महीने में जो किया उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अगर किसी भी सरकार की तुलना उस समय की परिस्थिति से की जाय तो मैं समझता हूं कि यह राजनीतिक अपरिपक्वता होगी। . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस पर अपना लम्बा भाषण कर चुके हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

२ मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि सवाल उनको माफ करने का नहीं है। हमारे सारे लोगों का विचार है कि जो व्यक्ति जितने बड़े पद पर होता है उसकी उतनी ही अधिक जिम्मेदारी हो जाती है और अगर वह अपनी जिम्मेदारी से हटता है तो उसको कठोर दन्ड मिलना चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश के प्रति गलत काम किया और इस देश के नागरिकों के साथ गलत काम किया है और जिसको माफ करना अब दूसरे लोगों की गलती होगी तो मैं यह चाहूंगा कि आप इस प्रस्ताव को पास करें और केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करें कि शाह आयोग की जांच रिपोर्ट के आधार पर विशेष न्यायालयों का गठन करें और जल्दी से जल्दी कठोर कार्यवाही की जाय और मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करें और इन्दिरा गांधी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही हो।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं श्री श्यामधर मिश्र के संशोधन पर प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला-बलिया)—

वह मौजूद नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री शतरुद्ध प्रकाश के प्रस्ताव में शब्द "रपट के आधार पर भूतपूर्व प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के विरुद्ध अतिशीघ्र कठोर कार्यवाही करे" के स्थान पर शब्द "रपट को अस्वीकार करते हुए श्रीमती इन्दिरा गांधी को निर्दोष घोषित कर दे" रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन सिफारिश करता है कि भारत सरकार शाह जांच आयोग के रपट के आधार पर भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध अतिशीघ्र कठोर कार्यवाही करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शिक्षा मन्त्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

अब मेरे पास दो विशेषाधिकार के प्रश्न हैं। एक श्री बिन्दू लाल, श्री अशफाक अहमद खान, श्री त्रिवेनी सिंह तथा श्री विष्णु प्रताप सिंह ने माननीय शिक्षा मंत्री के विरुद्ध १५ दिसम्बर, १९७८ को विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी।

माननीय सदस्यगण का कहना है कि माननीय शिक्षा मंत्री ने विधान सभा के दिनांक ६ दिसम्बर, १९७८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ का गलत उत्तर देकर सदन को गुमराह किया है और सदन के विशेषाधिकार को भंग किया है। माननीय सदस्यगण का कहना है कि प्रश्न का जो यह उत्तर दिया गया है कि श्री सिद्दीकी की नियुक्ति इन सर्विस ट्रेनिंग में जाने से पूर्व एल० टी० वेतनक्रम के २/३ में नहीं थी और ट्रेनिंग के उपरान्त उन्हें एल० टी० वेतनमान में नियुक्त नहीं किया गया, गलत है। एल० टी० ट्रेनिंग के बाद श्री सिद्दीकी की २/३ एल० टी० ग्रेड का नियुक्ति पत्र मिला जो सूचनाकर्ता सदस्यों में से किसी एक सदस्य कदाचित श्री बिन्दू लाल के पास मौजूद है।

माननीय श्री बिन्दू लाल आदि सदस्यगण की सूचना का आधार श्री सिद्दीकी का नियुक्ति पत्र है जिसकी कोई प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न नहीं की गयी है और सूचना की केवल एक प्रतिलिपि भेजी गयी है जबकि नियम ६४ के परन्तुक के अनुसार वह दो प्रतियों में होनी चाहिए थी। अतः यह सूचना नियमानुसार नहीं है। फिर भी मैंने इस सूचना को माननीय शिक्षा मंत्री के पास वस्तु स्थिति की जानकारी हेतु भेजा। माननीय शिक्षा मंत्री का कहना है कि ६ नवम्बर १९७८ के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ का उत्तर तथ्यों के आधार पर शिक्षा निदेशालय तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, गोंडा से प्राप्त सूचना के आधार पर ही दिया गया था। माननीय शिक्षा मंत्री ने इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशालय से प्राप्त विस्तृत विवरण भी मेरे पास भेजा है। उक्त विवरण के साथ श्री एस० आर० सिद्दीकी की नियुक्ति पत्र की जो प्रतिलिपि संलग्न है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वे इन्टर सी० टी० के २/३ वेतन-क्रम में नियुक्त किए गये थे और यही बात उपर्युक्त

[श्री उपाध्यक्ष—]

प्रश्न के उत्तर में कही गयी है। प्रश्न के उत्तर में जिला विद्यालय निरीक्षक, गोंडा के स्वीकृतार्थ प्रपत्र "अ" में जे० टी० सी० का उल्लेख है जो अनुमोदित भी किया गया था। अतः माननीय शिक्षा मंत्री से इस सम्बन्ध में भी वस्तुस्थिति बताने को कहा था। माननीय शिक्षा मंत्री ने इस सम्बन्ध में कहा कि चूंकि प्रबन्धक द्वारा श्री सिद्दीकी का नियुक्ति पत्र सी० टी० वेतन-क्रम २/३ के लिये दिया गया था अतः उन्हें सी० टी० २/३ के वेतन-क्रम में माना गया और चूंकि जिला विद्यालय निरीक्षक, गोंडा के अनुमोदनार्थ प्रपत्र (अ) में जे० टी० सी० का उल्लेख था और अनुमोदित भी किया गया था इसलिये यह अतिरिक्त सूचना भी उत्तर में दी गयी थी।

इसके अतिरिक्त किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न तब तक अन्तर्ग्रस्त नहीं होता जब तक उन्होंने जानबूझकर सदन को गुमराह करने की नियत से असत्य भाषण न किया हो। माननीय सदस्य ने इस सूचना में यह आरोप भी नहीं लगाया है कि शिक्षा मन्त्री ने जानबूझकर कोई असत्य भाषण किया है और न ऐसे कोई तथ्य ही प्रस्तुत किए हैं जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि माननीय शिक्षा मंत्री ने जानबूझकर और सदन को गुमराह करने के लिए कोई असत्य भाषण किया है। इसके विपरीत माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि प्रश्न का उत्तर प्राप्त सूचना के आधार पर दिया गया था और उन्होंने श्री सिद्दीकी के नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि भी मेरे पास भिजवाई है।

उपर्युक्त कारणों से मैं इस सूचना को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

सिंचाई मन्त्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

अब दूसरा माननीय श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने २७ दिसम्बर, १९९८ को माननीय सिंचाई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना दी थी। माननीय सदस्य का कहना है कि १२ अक्तूबर, १९९० के तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर में माननीय सिंचाई मंत्री ने कहा था कि "उद्यम कर्ता संघ के सदस्यों जिसमें बेरोजगार इंजीनियर एवं कृषि स्नातक हैं, वरीयता के आधार पर विभागीय पदों पर वे कार्य दिए जा सकते हैं जिनकी मात्रा की माप हो सके। कम्पैक्शन कार्य इस श्रेणी में नहीं आता क्योंकि इसकी माप नहीं हो सकती।"

इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य, श्री राम आसरे वर्मा द्वारा पूछे गये तृतीय सत्र १९९८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर में माननीय सिंचाई मंत्री ने कहा कि मिट्टी की छंटाई हेतु किराये पर लगाये गये ट्रैक्टरों का भुगतान ट्रैक्टरों द्वारा चलित घंटों के आधार पर अनुबंधित दर के अनुसार किया गया।

माननीय श्री राम आसरे वर्मा का कहना है कि सिंचाई मंत्री ने एक ही प्रश्न का उत्तर एक जगह माप पर आधारित किया है और दूसरी जगह घंटों पर।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने और कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें जरा मेरा निर्णय तो सुन लें ?

श्री राम आसरे वर्मा (जिला-हरदोई)—

जब आपका निर्णय हो जायगा तो फिर कहने से क्या फायदा होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जब से यह सदन शुरू हुआ है तब से आज तक जितने भी विशेषाधिकार के प्रस्ताव आये हैं, अगर उनकी छंटनी की जाय तो विदित होगा कि अधिकतर वे सिंचाई मंत्री जी के ही विरुद्ध हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए । मैं एक निर्णय दे रहा हूं आपको बीच में नहीं टोकना चाहिए । आप तो नियमों के ज्ञाता हैं ।

इससे यह साबित होता है कि मंत्री जी ने सदन को गलत सूचना देकर गुमराह करने का प्रयास किया है ।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की सूचना को माननीय सिंचाई मंत्री को वस्तुस्थिति जानने के लिए भेजा था ।

माननीय सिंचाई मंत्री का कहना है कि १२ अक्टूबर, १९९९ के तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर में और ६ दिसम्बर, १९९८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है । १२ अक्टूबर, १९९९ के प्रश्न संख्या २ के उत्तर में कहा गया था कि कम्पेक्शन कार्य उन कार्यों की श्रेणी में नहीं आते जिनकी माप हो सके । तृतीय सत्र १९९८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर में यह कहा गया था कि किराये पर लगाये गये ट्रैक्टरों का भुगतान चलित घंटों के अनुसार किया गया । किसी ट्रैक्टर के चलित घंटों से यह पता नहीं लग सकता कि इन चलित घंटों में ट्रैक्टरों में कितना कम्पेक्शन का कार्य किया । कार्य की माप का अर्थ होता है कि किये गये कार्य की लम्बाई चौड़ाई व मोटाई की अलग-अलग माप की जा सके, जब कि चलित घंटों का अर्थ केवल यह है कि ट्रैक्टर कितने घंटे चला ।

माननीय मंत्री के उत्तर को देखते हुये इस सूचना में प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं होता । अतः मैं इसे विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५१ की ४ सूचनायें मेरे पास आयी हैं—एक श्री अशोक बाजपेयी की है—प्रदेश के कई जिले में कमलाकीट के कारण फसल की क्षति । दूसरा श्री श्रीनारायण की है—

[श्री उपाध्यक्ष—]

देवरिया के विकास खण्ड खड्डा के १६ ग्रामों की स्थिति बड़ी गंडक नदी की बाढ़ से प्रभावित होने के सम्बन्ध में, तीसरा है—श्री नरेश चन्द्र वर्मा का, मनोहर कहानियों का दिसम्बर, १९७८ के अंक के जब्त होने के सम्बन्ध में, चौथा है—श्री जगदीश प्रसाद द्विवेदी का—कानपुर और गोरखपुर के समाचार पत्र उद्योगों के कर्मचारियों पर दमन चक्र के सम्बन्ध में, इन चारों को मैंने अस्वीकार किया है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९७७*

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

श्रीमन, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९७७ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।"

इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, हो सकता है कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्य इस प्रस्ताव की भावना से सहमत न हों, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे विचार सुनने के बाद वे भी इससे सहमत हो जायेंगे। इस सदन में हम लोगों के द्वारा ही सारे कानून आदि बनते हैं। हम लोग ही इस देश के भाग्य के निर्माण करने वालों में हैं। हम ही अपने विधेयकों के द्वारा कानून बनाते हैं। हम जो भी निर्णय लेते हैं या कानून बनाते हैं वह सारे राष्ट्र, सारे विश्व और जनतंत्र की सम्पत्ति होती है।

हमारा प्रत्येक निर्णय ऐसा होना चाहिये जिससे कि हम यह बता सकें दूसरों के सामने कि हमने अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया है। सार्वजनिक जीवन में कार्य करने में बड़ी कठिनाइयां भी आती हैं। इस सदन में हमारे अधिकांश माननीय सदस्य, दोनों पक्ष के, ऐसे हैं जो जेल की यातनाओं से गुजर कर आते हैं। अभी पहले वाले प्रस्ताव पर हमारे साथियों ने विचार व्यक्त किया था कि

(इस समय ५ बजकर १३ मिनट पर अधिष्ठाता श्री राधेश्याम शर्मा पुनः पीठासीन हुए।)

१८-१८, २०-२० महीने लोग जेल काट कर आये। इसके पहले कांग्रेस के लोग भी आये थे। इससे उन्हें आर्थिक कठिनाई भी होती है। हम ऐसे देश के रहने वाले हैं जिसकी यदि कोई सम्पत्ति इस देश के पास है, दुनिया में अगर कोई चीज हमारे पास है, वह यह है कि हम मूल्यों का सौदा, थाती से नहीं करते।

हमारा यह जो सदन शुरू हुआ, उस समय १९२५ में, तब उस समय किसी विधायक को पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। कोई वेतन किसी भी विधायक को नहीं मिलता था। १९४६ में २०० रु० वेतन निश्चित हुआ। १९४६से १९६४ तक केवल कुछ सुविधायें चिकित्सा की बढ़ायी गयीं। १९४५ से ६४ तक कोई भी वेतन नहीं बढ़ाया गया। यह प्रक्रिया तनख्वाह बढ़ाने की हमारे सार्वजनिक मूल्यों के गिरने से बढ़ाई जाती है। मान्यवर,

---

नोट—१२ सितम्बर, १९७७ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उसके बाद वेतन बराबर कई बार बढ़ाया गया और बढ़ते-बढ़ते हम लोग आज एक हजार रुपये पाते हैं और हमें फर्स्ट क्लास के कूपन मिलते हैं और रोडवेज की यात्रा मुफ्त है। मान्यवर, मैं यह कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि सुविधायें मान्यवर, १९६२ में जो मिलती थीं, उस समय यहां के मूल्य के अनुसार २५२ था और २७२ अब आज है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम १५ की ओर आकर्षित कर रहा हूं। मान्यवर, १५ मिनट समय बढ़ाया गया और अब वह समय समाप्त हो गया, तो अब यह समाप्त हो जाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं-नहीं वह अमेंड हो गया। आपकी पुरानी बात है।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर—

इस बीच में हमारी उपलब्धियां बढ़ीं और इन उपलब्धियों के बढ़ने में जो सबसे भारी होध रहा है वह कांग्रेस के आपत्तिकाल के समय में सबसे पहले हमारे सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्ट प्रणाली प्रारम्भ हुई लोक सभा में अमेंडमेंट करके, उसके टर्म को ९ साल बढ़ाया गया। सारी विधान सभाओं में पेंशन के लिये एक बिल पास किया गया।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में हम लोग अगर अकेले वेतनधारी कार्यकर्त्ता के रूप में कार्य करते, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन हम सुबह से शाम तक मूल्यों को स्थापित करने के लिये आये हैं, अगर इसके लिये हम लोग आये हैं, तो हमारी कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिये। हमारे मोरार जी भाई हमारे नेता हैं। हम लोग आपत्तिकालीन समय में यह घर-घर कहते रहे कि आपत्ति कालीन स्थिति से लाभ उठा कर विधायकों को खरीदने के लिए कांग्रेस ने विधेयक पास किया, आखिर कोई जीतकर नहीं आयेंगे, इनके खाने का क्या होगा। दुनिया के इतिहास में हमारा यह गरीब ऐसा देश है जिसमें यह एक अनोखा प्राविजन है। दुनियां में पेंशन्स हैं और जगह कहीं ऐसा नहीं है, जो राष्ट्र के ऊपर भार हो।

मान्यवर, इंग्लैंड के अन्दर यह व्यवस्था है कि ४ वर्ष लगातार वालू सभा का सदस्य रहे, वह पेंशन का भागीदार होगा, लेकिन उसकी आयु ६५ वर्ष होनी चाहिये मान्यवर, कनाडा में भी पेंशन की व्यवस्था है लेकिन वही आदमी उसका भागीदार होगा जो ८ महीने तक लगातार सदस्य रहा हो और उसकी उम्र ६० साल हो। आस्ट्रेलिया में पेंशन की व्यवस्था है। वहां पर भी लगातार ८ महीने सदस्य रहा हो और उसकी उम्र ६० साल हो। लेकिन मान्यवर, वह जो पेंशन दी जाती है वह कांट्रीब्यूटरी फंड से दी जाती है। १२ से लेकर ५ परसेन्ट तक कांट्रीब्यूटरी फण्ड में तन्ख्वाह से जमा किया जाता है। जापान में, इंगलैंड में, जरमनी में सब जगहों पर पेंशन की व्यवस्था है लेकिन ५ परसेंट से लेकर १२ परसेंट अपनी तन्ख्वाह को काट कर वह कांट्रीब्यूटरी फण्ड को कांसालीडेंट करते हैं और उससे पेंशन दी जाती है।

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर—]

मैं आपको बताऊं कि इतनी सुविधायें कहीं नहीं मिलती हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर को रहने के लिये घर नहीं मिलता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी कैबिनेट मेंबर को घर नहीं मिलता सिर्फ चांसलर आफ एक्सचेकर, फारेन मिनिस्टर और प्राइमिनिस्टर को घर मिलता है। लेकिन उनके घर छोटे होते हैं। हमारे यहां राज्य सभा, लोक सभा, विधान सभा के सदस्यों को बिजली फ्री, पानी फ्री, रहने के लिये घर फ्री और हमको एक हजार रुपये मन्थली मिलती है। बस और रेलों में यात्रा करने की सुविधा है। इसका भार नेशनल एक्सचेकर पर पड़ता है। हम कहते हैं कि हमको नये मूल्य स्थापित करने हैं, तो सड़क पर चलने वाले जो कहते हैं, उसको सुनकर गर्दन झुक जाती है। बस की सीट पर जो लिखा होता है कि विधायक के लिये, वह देखकर लोग हंसते हैं। जब हम नये मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं तो हमें कुछ करना चाहिये। माननीय श्यामधर जी बतायेंगे, वह कानून और व्यवस्था के ज्ञाता हैं। हम लोग ५ साल के लिए चुनकर आते हैं। मेरे साथियों ने बड़ी तपस्या की लेकिन मेरी तो कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है। मेरे एप्वाइंट करने वाले जो एलेक्टोरेट हैं वह ५ साल के लिये हमको भेजते हैं और अगर ५ साल बाद वह हमको अस्वीकार कर देते हैं तो सारी जिन्दगी ढाई सौ रुपये पेंशन बनी रहेगी। समाज पर, टैक्स पेयर पर हम भार रहेंगे। वह अधिकार हमें कहां से प्राप्त है कि जब हमारे एप्वाइंट करने वाले हमको डिसमिस कर दें और हमें ढाई सौ रुपये पेंशन देते रहें। पेंशन तो जब ३० वर्ष तक कोई मेहनत करता है तब उसको रिटायरमेंट के बाद मिलती है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां इस प्रकार से पेंशन की व्यवस्था हो। तो मेरा निवेदन है कि जो हमारे बचन हैं, जो हम ललकार करते हैं, सिंहनाद करते हैं उसकी प्रतिक्रिया समाज में होती है जहां से हम चुनकर आते हैं। तो नये मूल्यों को स्थापित करने के लिये जरूरी है कि हम इन चीजों को आत्मसात करें और देखें कि हम क्या करते हैं।

मैं एक बात जरूर कहूंगा कि विधायक के कर्तव्य का पालन करने के लिए सुविधायें मिलनी चाहिये। विधायक के कर्तव्य करने के संबंध में सुविधायें काफी नहीं हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि मान लीजिए हमें किसी मिनिस्टर से बात करनी है तो उसके लिये टेलीफोन की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं मना नहीं करूंगा कि स्टेनो की व्यवस्था हो, क्योंकि हमें अपने प्रश्न टाइप कराने होते हैं। अगर कोई विधायक काम करते हुए मर जाय तो अगर वर्किंग में उसकी डेथ होती है तो उसके परिवार को पेंशन मिलनी चाहिए। जैसे कि दूसरे देशों में परिवार वालों को पेंशन दी जाती है। मैं तो कहता हूं कि यह एक ऐसा विस्तृत प्रश्न है जिसमें अकेले पेंशन देकर हमारी सारी परेशानियां दूर नहीं होंगी। इसलिये सारी परिस्थितियों को देखना चाहिये। चुनने के बाद हमें यह सारी सुविधायें दी जानी चाहिये जिससे हम जनता की सेवा कायदे से कर सकें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रस्ताव रखा है उसे इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिससे वह सारे आस्पेक्ट्स पर विचार करे और उसके बाद एक नीति निर्धारित करें जिससे हम बाहर के लोगों का उपहास न बन सकें। हमें सुविधायें देने के संबंध में ब्रिटेन और डेनमार्क के प्राइज इंडेक्स को भी देखना चाहिये। क्या-क्या सुविधायें दी हैं। उनको हम देखें तो हमारे विधायक वहां से अच्छी तंख्वाह पाते हैं, हमारी हालत को देखते हुए। सुविधाओं को देखें

तो सारे विश्व में किसी को ही शायद यहां जैसी सुविधायें मिलती हों और फिर भी चीत्कार करते रहते हैं कि हमारे भत्ते बढ़ाये जायं। इसलिये इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए मेरा निवेदन है कि इसे इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और वह सारे विषयों पर विस्तार पूर्वक विचार करें।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९९९ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन् जब मैं माननीय तोमर जी को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि यह भ्रमित कैसे हो गये ? क्योंकि मैं इनसे आशा करता था कि जो इनकी दिमाग में है वह बात करेंगे लेकिन उन्होंने बात वह किया जो उनके दिमाग में नहीं थी। इन्होंने बिल पेश किया स्वतः तो विचार के लिये नहीं लाये। स्वतः यह भूल गये कि जब विचार के लिये लेंगे तो वह एक पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी में विचार नहीं हुआ है, मैं नहीं जानता कि पार्टी की क्या राय है, ये नहीं जानते कि उस पार्टी की इक्ज्यूटिव की क्या राय है।

श्री अधिष्ठाता—

मिश्र जी यह गैर सरकारी दिवस है। इसलिये उनको इसमें बोलने की आजादी है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं गैर सरकारी रूप से ही बोल रहा हूं और ठीक बोल रहा हूं। तो मैं आशा करता था कि अगर यह बिल लाते हैं तो तमाम उन बातों को इस परिधि में ले आयेंगे जो आज जनता पार्टी की ओर से लगभग डेढ़ सौ माननीय विधायकों ने दस्तखत करके माननीय वित्त मंत्री को दिया है और मैं समझता हूं कि जिसकी माननीय तोमर जी को जानकारी है। मुझे तो है। जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उठेंगे तो कहेंगे कि उनको दिया गया है। मेरी जानकारी है दिया गया है। उन बातों में क्या-क्या है। आज दिक्कतें क्या हैं। दिक्कत केवल यह नहीं है कि पेंशन मिल रही है, नहीं मिल रही है। जो उन्होंने माननीय मन्त्री जी को लिख कर दिया है वह यह है कि यहां पर माननीय सदस्य कोई समिति के सदस्य हैं, सदन की समिति के सदस्य हैं। वह दो बार आते हैं। कोई दो बार आ नहीं पाते, चार बार आते हैं तो वह दो बार इस समिति के सदस्य रहते हैं। कूपन की पन्द्रह हजार की सीमा है बाहर यात्रा के लिये। पन्द्रह हजार में पूरा करना पड़ेगा। यह लिखकर दिया है। लिखकर दिया है १२५ लोगों ने १ विरोधी दल के भी १०-१५ लोग हो सकते हैं क्योंकि १५० तो विरोधी दल के हो नहीं सकते। और क्या लिख कर दिया है। ऐसी एनाउन्स बनना चाहिये। हो सकता है तोमर जी हमसे सहमत न हों।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय श्यामधर जी, मैं आपकी सहायता करूं, यह पेंशन बढ़ाने के सम्बन्ध में है।

श्री श्यामधर मिश्र—

इसीलिए परिधि बढ़ाने की बात कर रहा हूं । मैं आपकी सहायता कर रहा हूं । प्रस्ताव यह किया है कि विधेयक को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । मैंने की है विधान मण्डल की बात । दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को दिया जाय । एक बात कही है । मैंने दूसरी बात कही है, मैंने काटा नहीं है कि परिधि बढ़ाई जाय और परिधि में तमाम बातें आयेंगी, बढ़ाने की घटाने की,वह बात भी जो माननीय मंत्री जी को दी गई है या जो माननीय मन्त्री जी के विचार में हो या जो माननीय तोमर जी के विचार में होगी या जो मेरे विचार में होगी, माननीय वर्मा जी के विचार में होगी । इसलिये मैंने यह प्रस्ताव किया है कि संयुक्त प्रवर समिति दोनों सदनों की मान लें । और मेरा निवेदन दोनों सज्जनों से है । तोमर जी भी जरूर मान लें । केवल उनके मानने से तो पास होने वाला नहीं है ।

श्रीमन्, संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि समय आ गया है कि या तो इसके संबंध में बिल पास करायेंगे लेकिन आपको समय नहीं है या इस सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन हो जायं । १०-१५ हम लोग हो जायेंगे और १०-५ आदमी वहां के हो जायेंगे और जो संस्तुतियां करें उन पर आपका विचार हो । मैं नहीं कहता कि पेंशन न रहे । मैं उसका विरोधी नहीं हूं । मेरी निजी राय अगर आप समझना चाहें तो मैं कहता हूं कि पेंशन रहनी चाहिये । रिकर्ड के लिए लिखा रहा हूं । लेकिन अगर आप न चाहें तो मत रखिए । यह एक तर्क की बात है । यहीं नहीं केन्द्र में मिल रही है और जगहों में मिल रही है । लेकिन यह मत समझिये कि मैं अपने लिए कह रहा हूं । मैं तो अभी भूतपूर्व भी नहीं हुआ हूं न आप भूतपूर्व हुये हैं . . .

एक सदस्य—

भगवान न करे कि भूतपूर्व हो जायं ।

श्री श्यामधर मिश्र—

भगवान न करे कि भूतपूर्व हो जायं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं और कह कर बैठ जाऊंगा । श्री ओम प्रकाश जी तो मंत्रिमंडल में हैं जरा ला विभाग और सचिवालय सन् ५२ के, ५७ के, ६२ के, ६७ के, ७१ के असेम्बलियों के चुनाव के स्टेटमेन्ट आपके सामने ले आयेंगे और संसदीय कार्य मन्त्री जी जानते होंगे कि जितने पुराने सदस्य थे, उसमें ५० से लेकर ६० परसेन्ट तक तो भूतपूर्व हो ही जाते हैं । यह हवा की बात नहीं कि कभी इन्दिरा गांधी की हवा तो कभी आपकी हवा । लेकिन ६० परसेन्ट तो विधायक अपने आप बदल जाते हैं, यह इतिहास है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला बस्ती) —

लेकिन भगवान न करे आप भूतपूर्व हो जायं ।

श्री श्यामधर मिश्र—

माननीय ओम प्रकाश जी ने कह दिया कि मैं भी भूतपूर्व हो जाऊंगा तो मेरा कहना है कि ६० परसेंट में आप भी भूतपूर्व हो सकते हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मेरे कहने का यह मतलब नहीं । मेरा कहना था कि भगवान न करे कभी आप भी भूतपूर्व हों । आप हमेशा वर्तमान रहें । यह मेरे कहने का मतलब था ।

श्री श्यामधर मिश्र—

तो क्षमा करें, मैंने सुना नहीं । यहां अपनी बात नहीं, यहां आने वाले जमाने के लिए कानून गा रहे हैं । वैसे भगवान करे कि हम और आप दोनों रहें, कभी इस सदन में रहें कभी उस सदन में रहें । लेकिन पता नहीं कौन रहेगा । भविष्य को किसने देखा है ? इतिहास को किसने देखा है ? कल को किसने देखा है ? लेकिन जो सही बात है, सही ढंग से होनी चाहिये । मैं यही कहूंगा कि माननीय तोमर जी हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करें और मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करें और ३-४ महीने के अन्दर जितनी बातें हैं, वे स्वीकार हो जायें और माननीय सदस्यों की जितनी गड़बड़ियां हैं, जितनी द्वेषपूर्ण बातें हैं, जो गलत होती हैं, वे ठीक हो जायें । अब अंतिम बात कह कर बैठता हूं ।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री श्याम धर मिश्र—

माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । कृपया उसको कह लेने दें, तो उसके बाद अपनी व्यवस्था का प्रश्न उठायें ।

मान्यवर, मैं जवाहर लाल नेहरू के जमाने में केन्द्र में था । उस समय में भी था । उस समय बहुत सारे बिल इस सम्बन्ध में आते थे । जवाहर लाल जी के जमाने में भी पार्लियामेन्ट के सदस्यों की सुविधाओं के सम्बन्ध में जब कभी ऐसे विधेयक आते थे, तो मंत्रीगण बहुत हस्तक्षेप नहीं करते थे लेकिन यह भी नहीं कि बहुत लिबरल हो जाते थे, यह भी मेरा मतलब नहीं । लेकिन आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि हम और तोमर जी मिल कर गल्तियां करेंगे । भाई तोमर जी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो मेरे पास हैं ही नहीं । उन्होंने कहा कि कर्त्तव्य का पालन, मूल्यों का अंकन । हमें उम्मीद थी कि कुछ ऐसे शब्दों को कह कर हमको कुछ दिशा देंगे । मैं चाहता हूं कि चारों तरफ ऐसे लोग जायें और समितियों में जाकर आपको सलाह देंगे और अपनी सिफारिश कर सकेंगे, तो कार्य पूरे हो सकेंगे । तो इन शब्दों के साथ मैंने जो संशोधन रखा है, मैं समझता हूं यह उचित है और माननीय तोमर जी और माननीय मंत्री जी, दोनों ही उसे मानने की कृपा करेंगे ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं अधिक वक्त नहीं लूंगा और न ही मेरा कोई इरादा बोलने का था लेकिन बड़े भाई तोमर जी की बात सुनकर लगा और मेरे मन ने कुछ ऐसा कहा कि जरूर कुछ कहना चाहिये और यही कारण था कि जब इधर-उधर करवट बदल रहा था तो उनको पता नहीं क्यों वेदना हो रही

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट—]

थी । लेकिन मुझको उनसे किसी प्रकार का विद्वेष नहीं है । वे एक पढ़े-लिखे साथी हैं । मुझको उनसे अपेक्षा थी कि वह ऐसी बात कहेंगे जो नौजवानों, पढ़े-लिखे लोगों और राजनैतिक जीवन में कार्यरत लोगों को दिशा देगी । लेकिन मुझको लगा कि उन्होंने जो कुछ कहा, वह इस माननीय सदन में केवल चर्चा के लिये ही कहा है ताकि, दर्शक गैलरी के लोग और प्रेस गैलरी के जो लोग हैं, वह समझ सकें कि कोई जन प्रतिनिधि ऐसे हैं जो इस बात को सोचते हैं । मैं पार्टीकुलरली किसी पर आक्षेप नहीं करता लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि यह माननीय तोमर जी एक षणयंत्र का शिकार ही हैं ताकि जो सदस्य सदन में आये हैं, वे इक्सपोज हों । लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं कि प्रेस या दर्शक गैलरी में बैठे हुये लोग क्या कहेंगे और यह सोचेंगे कि गौरीशंकर जैसा नवजवान आदमी भी इस बात का पक्षधर है कि भूतपूर्व विधायकों को पेंशन मिले पुराने लोग हैं जिनको जीवन में बड़ा कष्ट उठाना पड़ा है । इसलिए उनको पुरानी सेवाओं के बदले कुछ न कुछ मिलना चाहिये जिससे कि अधिक से अधिक समय तक जिन्दा रहें और समाज को अपने अनुभवों से लाभान्वित कर सकें । मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आप गरीबी का अन्दाजा कैसे लगाते हैं । गरीबी का अन्दाज तो उनको भी है जो एयरकन्डीशन बंगलों में रहते हैं और रात में अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करता है और रात में बिजली कौंध का भी उसे ज्ञान नहीं रहता और जब सुबह उठता है तो कहता है कि क्या रात में पानी बरसा था और वह गरीबी का अन्दाजा मुन्शी प्रेम चन्द की सूलिया की कहानी पढ़कर भी लगाया जा सकता है और एक गरीबी का अनुभव इस तरह से भी किया जाता है कि घसीटे और मटरू सावन-भादों की काली रातों में वृष्टि होते हुए भी फावड़ा लेकर अपने खेत पर मिट्टी चढ़ा रहा है । दिसम्बर और जनवरी के महीने में नालियों में पानी में घंटों खड़ा रहता है । ऐसा आदमी ही जब सदन में आयेगा जो स्वयं उस स्थिति से गुजर चुका है तो वही समाज का सही चित्रण कर सकेगा और गरीबी का सही चित्रण कर सकेगा ।

यदि हमारे बड़े भाई तोमर जी उस कोटि में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है । लेकिन केवल मुंशी प्रेम चन्द की कहानी को पढ़ कर ही गरीबी का अन्दाजा लगाने वाला अपने को गरीबों का प्रतिनिधि कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है । इस तरह से गरीबों को बदनाम करने का अधिकार ऐसे लोगों को नहीं है । आपको बड़ा कष्ट होता है बसों में विधायक सीट लिखा देखकर । लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सही माने में गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति सरकारी बस में ही चलेगा । ऐसे लोग जो टाटा, बाटा, बिड़ला और जुग्गीलाल कमलापति सिंहानियां की एम्बैसेडर कार में चलते हैं और अपनी जेबें गरम करते हैं उन्हें गरीबों का प्रतिनिधि कहलाने का कोई हक नहीं है । मुझे तकलीफ हो रही है कि हमारे भाईजान ने सारी चीजों को इस रूप में प्रस्तुत किया ।

मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे बड़े भाई को संकल्प एक निश्चित रूप में लाना चाहिये था और एक प्रैक्टिकल शेप में लाना चाहिये था । यदि सरकारी नौकरियों में रहते हुए पी० सी० एस० या आई० ए० एस० को ५८ वर्ष की आयु में रहते सेवा निवृत्त होने पर हजार डेढ़ हजार रुपया पेंशन मिलती है तो यदि विधायक ने पुरानी सेवा की है और पांच वर्ष की सेवा के बदले उसे तीन सौ रुपया दिये जाने की व्यवस्था है तो

कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसने भी सेवा की है। मैं कहना चाहूंगा कि गरीबी की परिभाषा मोटी किताबों को पढ़ने से नहीं मिल सकती है। मैं तो अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं और हमारे माननीय सदस्यों को अनुभव होगा कि हमारे गांव और जिले से आज ऐसी समस्याएं लेकर लोग आते हैं कि जिनका सम्बन्ध कलेक्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक होता है। हमें कोई बता दे जो अपने को एक अच्छा कार्यकर्ता होने का दावा करता है क्या यह सही नहीं है कि उसे २४ घंटे में मुश्किल से ४ घंटे भी सोने का अवसर नहीं मलता है मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि अगर बाथरूम में दरवाजा न बन्द कर दिया जाय तो जनता वहां भी हमें न छोड़े। यह प्रैक्टिकल बात है और निश्चित रूप से आपको इस पर ध्यान देना होगा। आपके संकल्प के बाद गौरीशंकर जैसा सदस्य इस माननीय सदन में चुनकर नहीं आयेगा।

मैंने गोबर ढोकर गरीबी का अनुभव किया है केवल किताबों से ज्ञानार्जन नहीं किया है कि गरीबी क्या है ? अगर जन प्रतिनिधि के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं होती जिससे कि उसका दो वक्त का भोजन चले तो उसे दो वक्त की रोटी जुटाने की ही चिन्ता रहेगी। इसलिए जन प्रतिनिधि को जितना निश्चिन्त कर दें, उनके पास बीबी बच्चों की समस्या न रहे तभी वह एक जन प्रतिनिधि के रूप में गरीबों की सेवा की बात कर सकता है। यदि वह निचिंत रहेगा तो निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करेगा और इमानदारी से चल सकता है। हां, अगर हमारे भाईजन तोमर साहब की भगवान के यहां कुछ ऐसी शक्ति हो कि वे ऐसा करा दें कि जो प्रतिनिधि चुनकर आयेंगे उनके न बीबी होगी और न बच्चे होंगे अगर होंगे तो मर जायेंगे और यदि जिन्दा रहेंगे तो उन्हें भूख प्यास न लगेगी, तो उन्हें कोई चिन्ता न रहेगी और अगर इस तरह करा देते तो मैं निश्चित रूप से उनकी बात की सिफारिश करता। उन्हें मालूम होगा कि इंग्लैंड में भी जन-प्रतिनिधि काउन्टी में रहता है तो एक कांउन्टी का मुकाबिला आप हिन्दुस्तान के गांव से करते हैं। रहते हिन्दुस्तान में हैं और बात करते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, स्विटजरलैंड की। वहां का प्रेसीडेंट बस में चलता है। यह उत्तर प्रदेश दुनिया का ७ वां देश है और जिस स्विटजरलैंड की आप बात करते हैं वह मिर्जापुर के बराबर है। मैं इन शब्दों के साथ इस संकल्प का विरोध करता हूं और श्यामधर जी ने जो कहा है उसका समर्थन करता हूं। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं वह सुनकर आपकी बात से गुमराह न हों इसलिए कह रहा हूं कि गरीब समाज से जो आते हैं न इस सदन में बैठकर यह गरीब समाज की अगुआई करें, गरीब समाज का प्रतिनिधित्व कर सकें तो इसके लिए कोई व्यवस्था भी होनी चाहिये। और जैसा तोमर जी ने कहा वैसा हुआ तो तमाम राजनीतिज्ञ और जन-प्रतिनिधि बड़े-बड़े लोगों की जेबों में चले जायेंगे और इस गरीब समाज की सच्ची और सही तसबीर पेश नहीं हो सकेगी।

एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं—

जोगन की भोगन की विफलविपोगन की
जग में न जागती जमातें रह जायंगी
कहत रत्नाकर न सुख के रहे जो दिन

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट—]

तो यह दुख द्वन्द्व की न रातें रह जायंगी

प्रेम नेम छाड़ ज्ञान क्षेप जो बतावत हो

मीत ही नहीं जो का छातें रह जायंगी

घातें रह जायंगी न कान की कृपातें इते

ऊधव बस कहिबे की बातें रह जायंगी ।

इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध है कि तोमर जी अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे क्योंकि वापस न लेने पर यह उक्ति होगी और उन्हें भी इस तरह की सामन्ती साजिश के शिकार हुए जन प्रतिनिधि के रूप में इतिहास में याद किया जायगा । तोमर जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं—

बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है ।

बन गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है ।

चाहे जितनी ही बड़ी हो चाहे कितनी ही कठिन हो,

हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है ॥

आप जैसी चट्टान को जन प्रतिनिधियों के प्रवाह के आगे चकनाचूर होना पड़ेगा । वक्त को समझाना चाहिये और आपको ऐसा कोई काम न करना चाहिये जो वक्त के अनुरूप न हो । जनता के चुने हुए जन प्रतिनिधि इस माननीय सदन में आये हैं जिनमें पुराने राजनैतिक कार्यकर्ता भी हैं । चर्चा लम्बी है इसलिये मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अगले सत्र में लिया जाय इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री हरी सिंह का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मुझे कुछ स्पष्टीकरण देना है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने हरी सिंह को बुला लिया है ।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में एक महान नेता ऐसे पधारे हैं जिन्होंने इस सदन के आदर को मटियामेट कर दिया । यह दुख की बात है कि ऐसे भी सदस्य यहां मौजूद हैं। दुनिया भर के गलत से गलत काम करके, दुनिया को लूट खसोट करके इस आदरणीय सदन में आकर जन प्रतिनिधि होने का ढोंग रचते हैं लेकिन ईमानदारी से काम करने वाला जन प्रतिनिधि अगर पेंशन पाये तो उसका विरोध करते हैं । इसलिये इन्दिरा जी का मैं आभार मानता हूं ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मैं नहीं चलने दूंगा। मैं यहां किसी [x x x] की बात सुनने को नहीं बैठा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप उनको बोलने दें। आप बहुत समझदार हैं। (व्यवधान)

श्री हरी सिंह—

हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमें इंदिरा जी का इसमें थोड़ा सा आभार मानते हैं और जो कुछ किया वह किया लेकिन उन्होंने सदन की मर्यादा कायम की और माननीय सदस्यों की पेंशन ईमानदारी के साथ दी। इसमें किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है। हमारे किसी लीडर ने आज तक विरोध नहीं किया इसलिए जब किसी लीडर ने विरोध नहीं किया तो इस सदन के सदस्यों को भी विरोध नहीं करना चाहिये। श्रीमन्, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक सदस्य हमें देखने को मिले और कोई नहीं मिला। जो वकील हैं इधर उधर वकालत करते हैं वकीलों की भाषा आप जानते हैं।(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप सोहन वीर जी बैठें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

जो वकील हैं इधर-उधर वकालतें करते हैं वकीलों की भाषा आप जानते हैं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप सोहन वीर जी बैठें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मैं इस तरह की गलत बातें और भाषण सुनने के लिए नहीं तैयार हूं। मान्यवर, हरी सिंह जी मेरे बड़े आदरणीय और महान् मित्र हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं मृत्यु लोक का पतित प्राणी हूं, गया गुजरा हूं। लेकिन उन्होंने दो लांच्छन लगाये तो मैं चुप रहा। मैंने जो प्रस्ताव रखा उसमें अपनी राय जाहिर की इसकी प्रेरणा मैंने चौधरी चरण सिंह जैसे लीडर से ली उनके बयान सुना दूंगा। हरी सिंह जी को तो नजर नहीं आता। उन्होंने कहा मैं लुटेरा वकील हूं मैं लूट करता हूं। तो किसी भी बेइमान को, किसी भी लुटेरे को सदन का मेम्बर होने का अधिकार नहीं है। माननीय हरी सिंह मेरे व्यक्तिगत जीवन की एक भी मिसाल बता देंगे तो मैं सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। माननीय हरी सिंह जी इस लांच्छन को स्पष्ट बतायें।

श्री अधिष्ठाता—

आपने अपनी बात कही यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय हरीसिंह जी को सुनें जब उत्तर देने का मौका मिलेगा उस समय बतायेंगे।

नोट—[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हरी सिंह—

मैं तोमर साहब के बिलकुल खिलाफ नहीं हूं वे पुराने राजनीतिज्ञ हैं । वकीलों की आदत है वकालत करेंगे । अधिष्ठाता महोदय, पेंशन जो है वह ऐसी चीज है कि जो जनता के कार्य करते हैं उनको थोड़ी सुविधायें मिल जाती हैं जब किसी प्रकार का साधन नहीं होता है तो आप बतायें कि वह कैसे जनता का कार्य कर सकते हैं या तो वह गलत कार्य करेंगे या कोई और काम करेंगे जिससे पार्टी की बदनामी होगी । यह किसी एक पार्टी का प्रश्न नहीं है । जो इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं उन सबको मालूम है । मेरा तोमर जी से नम्र निवेदन है कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें । हर एक माननीय सदस्य की पेंशन होनी चाहिये । मैं एक दोस्त के नाते प्रार्थना करता हूं कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो पुराने नेता हैं उनको कुछ सहायता होगी ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री हरी सिंह—

जो वह प्रस्ताव लाये हैं उसे वापस लें और पेंशन रहेगी इससे बेइमानी और करप्शन बंद होगा यदि यह चीज हटा दी गई तो उससे बदनामी होगी इसलिए पेंशन रखी जाय ।

श्री अशफाक अहमद खान (जिला गोंडा)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब माननीय सदस्य हरी सिंह बोल रहे थे तो माननीय तोमर जी ने कहा मैं [× ×] की बात नहीं सुनना चाहता हूं । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उसे कार्यवाही देख कर निकाल दें ।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने सुना नहीं अगर ऐसा होगा तो निकलवा दूंगा ।

श्री बाबूराम वर्मा (जिला-बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय तोमर जी के इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं माननीय तोमर जी ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय एक बहुत लम्बी चौड़ी नैतिकता की बात की ।

वह वास्तव में एक अच्छी बात है । यदि तोमर जी जिन्दगी के प्रथम चरण से ही, नीचे से ही राजनीति करके आये होते तो कदाचित यह न कहते, ऐसी बातें न करते कि एम० एल० ए० या एम० पी० ५ साल में हो जाता है । यहां बहुत से सदस्य ऐसे बैठे हैं, जिन्होंने ३०-३० साल से अपने घर का दर्शन नहीं किया है । तब जाकर वे मेम्बर हुए हैं और अब कब तक मेम्बर रहेंगे, उसका कोई कहना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है । हो सकता है कि अगली बार से ही न रहें । गौरी शंकर जी ने अपने भाषण में अवश्य एक अच्छा खाका नक्शा पेश किया है, वह जो सारी बात उन्होंने कही है, वे

नोट —[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आदर्श बातें हैं, अब वह आदर्श कितना कार्य रूप में परिणत किया जाता है वह अपने स्थान पर है।

पेंशन की बात जहां तक है, यह उन्हें मिलनी चाहिये। हम उसमें केवल इतना और जोड़ देना चाहते हैं कि उसमें उम्र की सीमा होनी चाहिये। ५० साल की उम्र की सीमा को उसमें रख दिया जाये। ५० साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को कोई भी सरकारी पेंशन पाने का अधिकार नहीं होना चाहिये। ५० साल से ऊपर वाले को पेंशन लेने का हक है, चाहे वह राजनीति करते हों या सरकारी नौकरी करते हों। इतना ही नहीं, हम लोग तो इस पक्ष में भी हैं कि किसान और मजदूर, जो सरकार को कुछ नहीं देता है, उसको भी बुढ़ौती की पेंशन मिलनी चाहिये। तोमर जी ने कहा है कि हम डाक्टर लोहिया की बात मानने वाले लोग हैं। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि सरकारी कर्मचारी सरकार से पैसा लेता है और कृषक, मजदूर जो जिन्दगी भर सेवा करता रहता है, उसके लिये भी बुढ़ौती में पेंशन की व्यवस्था होना चाहिए। अगर यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये यानी इस पर पुर्नविचार किया जाए तो हम लोगों को इस पर पुनः सोचना पड़ेगा। पेंशन हर बुजुर्ग को पाने का अधिकार है, यह उसका मौलिक अधिकार है। उन्होंने इसी तरह से अनेक मुल्कों के लोगों के उदाहरण दिए हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ को छोड़कर ३-४ जगह बंगले भी नहीं मिले हैं।

तो मैं कहना चाहता हूं कि उन जगह पर बंगले हैं नहीं और उनकी आवश्यकता भी उनको नहीं है। वह इतने पास में हैं कि प्रतिदिन अपने घर से आते जाते हैं इसमें उन्हें समय और खर्च की या अन्य कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन हमारे भारत जैसे विशाल देश में परिस्थिति दूसरी है, हम उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मिर्जापुर क्षेत्र में यदि कोई विधायक अपनी जनता से कोई जन-सम्पर्क स्थापित करना चाहे और अपने निजी माध्यम से जाना चाहे तो उसे इस कार्य में महीनों लग जायेंगे। लेकिन उन मुल्कों में वे एक घंटा में अपने मुल्क का दर्शन कर लेते हैं।

जहां तक विधायकों को एक हजार देने का सवाल है, उन्होंने कहा है कि बहुत अधिक है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह ऐसे लोगों के लिये अधिक है, जिन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है और जिनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं हैं। जो ऊपर ही ऊपर हैं या अलग से जिन्हें कहीं से धन मिलता है—चाहे वकालत से मिलता हो या लम्बा कारोबार हो। इस एक हजार की छोटी सी धनराशि को यदि वह साधारणतया खर्च करना चाहें तो इस एक हजार में से आखिर तारीखों में उसके पास एक पैसा नहीं रहेगा।

मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह विधेयक ऐसी परिस्थिति में लाया गया है कि जिसे लोग समझ लें कि यह विधायक त्यागी और तपस्वी लोग हैं, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अन्त में मैं इस विधेयक का जोरदार विरोध करता हूं।

श्री जयराम (जिला-गाजीपुर)—

मान्यवर, हमारे तोमर जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है और जैसा कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने उनके इस प्रस्ताव के पेश करने की कला के बारे में कुछ कहा वह

[श्री अयराम—]

अपनी जगह पर सत्य हैं । लेकिन मान्यवर, इस देश में हम राजनीतिक लोग, जो आजादी के बाद राजनीति कर रहे हैं, सही माने में, अपने दिल पर हाथ रख कर देखें कि सदन में जो हम नीति निर्धारण करने की बात करते हैं और जो हमको करना चाहिए सही माने में, हमारी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है ।

मान्यवर, यह बात सही है कि हम कई कार्यकर्ता तीस-पैंतीस वर्ष अपनी पूरी राजनीतिक जिन्दगी में काम करते हुए और आज मुझे विधायक बनने का मौका मिला है । यह जो मुझे मौका मिला है इसलिए नहीं मिला है कि हमने जो त्याग किया है हम उसका भोग कर लें । मान्यवर, आज इस देश के लोग का जीवन स्तर क्या है किस तरीके से उनका जीवन यापन चलता है । अभी बिजली के बारे में जो हमारे सदस्य बिल लाये थे, उस पर चर्चा करते समय १५ और १२ पर चर्चा होती रही लेकिन इस देश में अरबों खरबों रुपये बैंकों में रखने वाले अरबपति और खरबपति बने हुए लोगों को बिजली किस दाम पर दी जाती है, वह लेने के लिये सरकार को किस तरह से मजबूर करते हैं यह हमारी सरकार कम सोच पायी । उसी तरीके से आज हमको एक हजार रुपया तनख्वाह मिल रही है । अगर हम देखें तो हमारे ही साथी जो अपनी पूरी जिन्दगी राजनीति में बिता देते हैं, उनको विधायक बनने का अवसर नहीं मिलता, उन राजनीतिक लोगों के, जो विधायक बने हुए हैं चरित्र, उनके चरित्र से लाखों गुना उज्जवल है । लेकिन उनके बच्चे भूखों तड़प-तड़प कर मर जाते हैं और उनकी पूरी जिन्दगी किस तरह से कटती है इसे कई माननीय सदस्य जानते हैं ।

यह बात सही है कि आज जो हमारे माननीय सदस्यों को जन-प्रतिनिधि होने के कारण सुविधा दी गयी है यह आप अपने दिलों पर हाथ रख कर देखें तो कहेंगे कि इस देश के कई करोड़ गरीब जनता के साथ अन्याय किये हुए हैं । लेकिन दूसरी तरफ यहां पर इस मुल्क में कुछ भी न करने वाले लोग आज जो अरबपति और खरबपति बने हुए हैं, आज उनकी सुख सुविधाओं की उनसे तुलना करें । मैं तोमर साहब से कहना चाहता हूं कि दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों की सस्ती लोकप्रियता मत लीजिए । अगर आपके पास हिम्मत है सचमुच जो तीस वर्ष तक कांग्रेस की सरकार ने कुकर्म किया है और उन कुकर्मों के गली में डूब कर वह कराहने लगे, तो जाकर आज उस समग्र क्रान्ति करने वाले लोगों के साथ, जो लोग कहते थे कि समग्र क्रान्ति करते हैं, उनमें भी आज उनका बहुमत हो गया है इसलिये आप सिर्फ पेंशन का विरोध करके और इस देश में खुशहाली की बात करते हैं ।

(इस समय ६ बजे उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पुनः पीठासीन हुए ।)

तो चाहे वह शब्द संसदीय न हो लेकिन यह आप जनता के साथ अन्याय और अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं । मान्यवर मेरा अपना बिलकुल ही निश्चित मत है कि हम विधायकों को जो सुविधायें मिल रही हैं यह बहुत काफी हैं इन गरीबों की जिन्दगी को देखते हुए जो इस मुल्क में आज झोपड़ियों में रहते हैं, सिसकते हैं । मैं खुद अपने बारे में बतलाता हूं । मुझे करीब १८/१९ महीने विधायक बने हो गये । मान्यवर, जो मुझे सुविधाएं मिलती हैं, मुझे कभी-कभी अपने पर तरस आता है कि क्या मैं अपने परिवार के लोगों के साथ, हिन्दुस्तान की गरीब जनता के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा हूं । इन

सुविधाओं का उपभोग करते हुए मेरा एक बार दिल मसोस जाता है। मेरा यह निश्चित मत है कि अगर हिन्दुस्तान की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा करना है तो विधायकों की सुविधाओं के साथ-साथ इस देश में जो अरबपति-खरबपति बने हुए हैं जिनकी आमदनी की कोई सीमा नहीं है अगर हिम्मत है जनता पार्टी की सरकार के अन्दर और अगर सचमुच लोहिया जी और जय प्रकाश जी के चेले हैं तो विधायकों को पेंशन विधायक बनने पर दे दीजिए। अगर देनी है तो राजनीतिक जीवन बिताता हुआ बूढ़ा हो गया हो, चाहे सीमा पचास वर्ष रख दें, उनके संगठनों से नाम मंगा कर उनको दें।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९७७ को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव तथा कार्यसूची के मद १२ से १७ तक के स्थगन का प्रस्ताव

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब श्री तोमर के प्रस्ताव पर बहस स्थगित की जाय और कार्य सूची की मद संख्या १९ व २० के वक्तव्य के अतिरिक्त शेष मदें आगामी सत्र में ली जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री राहिनवीर सिंह तोमर का जो प्रस्ताव है वह अगले सत्र में रखा जाय और कार्यसूची की मद संख्या ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७ अगले सत्र में ली जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कांग्रेस (आई०) के सत्याग्रहियों को जेल से रिहा किये जाने के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

जैसाकि मैंने प्रारम्भ में बताया था कि २८ दिसम्बर को अध्यक्ष जी ने कहा था . . . . . ।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला-बस्ती)—

कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सेहरा जी आप क्या कह रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, २८ दिसम्बर को माननीय अध्यक्ष जी ने यह निर्देश दिया था कि सत्याग्रह वापस हो गया तो माननीय मुख्य मंत्री जी अपना बयान देंगे। उन्होंने अपना बयान नहीं दिया तो माननीय गृह मंत्री जी से दिलायें। स्वायत्तशासी संस्थाओं का चुनाव होने वाला है।

श्री राम जी (जिला-आजमगढ़)—

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा है कि सत्याग्रह जारी रहेगा और माननीय सदस्य ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं।

श्री गुलाब संहरा—

आपको मालूम नहीं है ।

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)—

कानपुर से ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संहरा जी ने जो कहा उसके संबंध में आपको क्या कहना है ?

श्री राम सिंह—

माननीय संहरा जी की ओर से ही स्थिति स्पष्ट नहीं है । श्रीमती मोहसिना किदवई कहती हैं कि आन्दोलन वापस हो गया है और श्रीमती इंदिरा गांधी कहती हैं कि सत्याग्रह चलता रहेगा । तो पहले स्थिति स्पष्ट हो जाय ।

श्री गुलाब संहरा—

मान्यवर, मैंने मुख्य मंत्री जी को जानकारी दी है और दिल्ली के कई समाचार पत्रों में टाइम्स आफ इंडिया आदि में यह सूचना छपी है । इस समय ४० हजार के लगभग कांग्रेस लोग बंदी हैं और सरकार स्वायत्तशासी संस्थाओं के ६ से ११ तक चुनाव कराने जा रही है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एक पक्षीय चुनाव करा रही है । शासन की इस संबंध में क्या नीति है मैं यह जानना चाहता हूं ।

एक सदस्य—

क्या इनके पास इंदिरा गांधी का पत्र आ गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि आपकी ओर से स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए । उसके बाद सरकार निर्णय करेगी ।

श्री गुलाब संहरा—

स्थिति तो स्पष्ट कर दी । माननीय मुख्य मंत्री को प्रेस नोट दे दिया है । २-३ अखबार भी दे दिए गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है अब वे विचार कर लेंगे ।

श्री गुलाब संहरा—

मान्यवर, आज सत्र का अंतिम दिन है । जब सत्र प्रारम्भ हुआ था मैंने तभी माननीय मुख्य मंत्री से भी कहा था । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी तैयार नहीं थे तो गृह मंत्री उनसे पूछ कर तैयार हो जाय । लोक तंत्र की रक्षा के लिए सरकार की क्या नीति है वह स्पष्ट होनी चाहिये ।

कानपुर से लखनऊ जाने वाली यात्री गाड़ी में डकैती की घटना तथा एक युवक की चाकू मार कर हत्या के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य—

माननीय मंत्री जी का यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब माननीय मंत्री जी वक्तव्य देते हैं तो वह पढ़ा जाता है । अगर वह वक्तव्य ६-७ पन्ने का होता है तब पढ़ा हुआ माना जाता है ।

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, दिनांक २५ २६-१२-७८ की रात्रि में ट्रेन सं०-६ एल० सी० जैसे ही रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल से रात्रि में लगभग ११ बजे चली तो उक्त ट्रेन के सेकेन्ड क्लास के अन्तिम डिब्बे सं०--८८२०, जिसमें पूर्व से ही एम० एस० टी० के दैनिक यात्री बैठे हुये थे, ६—७ बदमाश चढ़ गये । उक्त सभी बदमाश नवयुवक थे और बुशर्ट तथा बेलबाटम पैंट पहने हुए थे । उन्होंने डिब्बे में चढ़ने के पश्चात चाकू निकाल कर यात्रियों से अपने-अपने सामान उन लोगों के सुपुर्द कर देने के लिये कहा । इस पर यात्रियों की ओर से गतिरोध किया गया जिस पर उन बदमाशों ने यात्रियों पर चाकू से वार किया । यह बदमाश चार घड़ियां एवं लगभग १२०.०० रुपये लेकर चलती गाड़ी से उतर गये । यह घटना रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल एवं गंगा-ब्रिज के बीच घटित हुयी । उक्त बोगी के यात्रियों द्वारा बदमाशों के उतर जाने के बाद चेन खींचकर ट्रेन रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया और जब गाड़ी गंगा-ब्रिज स्टेशन पर रुकी उस समय उन्होंने घटना की सूचना रेलवे गार्ड को दी । ट्रेन के साथ चल रही एस्कोर्ट पार्टी, जिसमें जी० आर० पी० के २ सिपाही थे और जो गाड़ी के मध्य में स्थित एक अन्य बोगी में बैठे हुये थे, को दी । बदमाशों द्वारा चाकू से चोट पहुंचाने के कारण घायल एक यात्री श्री रामरतन पाण्डे, निवासी उन्नाव की ट्रेन में ही मृत्यु हो गयी । इसके अतिरिक्त तीन अन्य व्यक्तियों सर्वश्री सतीश चन्द्र बाजपेयी, राजकिशोर त्रिवेदी एवं बालकृष्ण पांडे को भी चाकू से चोट आयी । श्री सतीश चन्द्र बाजपेयी द्वारा इस घटना की सूचना दिये जाने पर थाना जी० आर० पी०, कानपुर पर धारा ३९६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी सक्रिय रूप से विवेचना की जा रही है ।

इस घटना की सूचना पाते ही पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे परिक्षेत्र, रेलवे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया । उक्त विवेचना को सक्रिय रूप से सुनिश्चित कराने के लिये जी० आर० पी० के पुलिस उपाधीक्षक तथा जी० आर० पी० लखनऊ के निरीक्षक को घटनास्थल पर उस समय तक के लिये कैम्प करने के लिये निर्देश दिये गये जब तक कि घटना से संबंधित बदमाशों का पता नहीं लग जाता है ।

इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा नन्द किशोर, निवासी कानपुर, नामक एक व्यक्ति दिनांक २९-१२-७८ को पकड़ा गया है जिससे लूटी हुई एक घड़ी बरामद हुई है । उस व्यक्ति ने अन्य साथियों के नाम भी बताये हैं जिनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री गेंदा लाल गुप्त, सदस्य, विधान सभा की सुरक्षा की मांग

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास लगभग १२½ बजे इस सदन के माननीय सदस्य श्री गेंदा लाल गुप्त का पत्र प्राप्त हुआ है जिसके साथ एक पत्र और है। जो साफ दस्तखत नहीं मालूम होते हैं। इसमें लिखा है सुलतान यादव। इसमें इनको व इनके भतीजे को जान से मारने की धमकी दी गयी है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को यह पत्र लिखा है "कृपया श्री गेंदा लाल गुप्त, सदस्य, विधान सभा, एटा के दिनांक ३०-१२-७८ के पत्र तथा उसके साथ उन्हें प्राप्त एक स्लिप एवं लिफाफे का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो मुझे आज लगभग १२.३० बजे दिन में प्राप्त हुये हैं। इन्हें मूल रूप में आपके पास भेजते हुये आपसे यह निवेदन करना है कि आप इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने तथा माननीय सदस्य की सुरक्षा की तुरन्त व्यवस्था करने का कष्ट करें तथा की गयी कार्यवाही की सूचना कृपया मुझे भी देने का कष्ट करें।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला-वाराणसी)—

यह पत्र आपके पास कहां से आये ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह मुझे माननीय सदस्य ने स्वयं दिया है।

श्री गेंदालाल गुप्त (जिला-एटा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं वह भयंकर डाकुओं से ग्रस्त है और इस सुलतान नामक व्यक्ति ने कल मुझे यह धमकी भरा पत्र दिया था। इसी के गेंग ने ९-१० माह पूर्व एक पूरे गांव को ध्वस्त कर दिया था और ३ व्यक्ति उसमें मार दिये थे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया संक्षेप में कहें।

श्री गेंदालाल गुप्त—

मैं कल ही आने वाला था, पर अस्वस्थ था। कल पत्र मुझे यह मिला। इसमें मुझे और मेरे भतीजे को जान से मार देने की धमकी दी गयी है मैं उन तमाम गुन्डों से तो निपट सकता हूं, पर राजनैतिक गुन्डों से नहीं निपट सकता। हमारे एक भूतपूर्व विधायक भी मारे गये थे जिसके बारे में ७ वर्षों से मुकद्दमा अभी तक चल रहा है। जो मेरे विरुद्ध चुनाव में खड़े हुये और हार गये, पिटीशन में भी हार गये, वही गुन्डों की सहायता से मुझे चुनौती दे रहे हैं। मैं शासक दल का विधायक हूं, किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ मंत्री उनका साथ . . . (व्यवधान) यह वहां के उन लोगों को प्रोत्साहन देते हैं और उसी के कारण वह यह हिम्मत करते हैं। मैंने देखा कि अभी-अभी कुछ मंडी

समिति के चुनाव में उन गुन्डों को प्राथमिकता देकर हमारे मंत्रियों ने उनको सर पर चढ़ा दिया और आज वे कहने लग गये हैं कि ६-६ मंत्री मिनिस्टर हमारी जेब में पड़े हैं। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें। मैंने उसे भेज दिया है।

श्री गेंदालाल गुप्त—

मैं कांग्रेस (आई०) के उन लोगों का नाम ले सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नाम न लें।

श्री गेंदा लाल गुप्त—

आप सुनें। वे हमको चुनौती देते हैं और कहते हैं कि ६-६ मंत्री हमारी जेब में हैं। तो इसलिए मान्यवर, मैं इस प्रश्न को सदन में उठा रहा हूं, इसकी बहुत गहराई से जांच कराई जाये और इसरो गृह मंत्री जी से खासतौर कहना चाहता हूं कि जाति के आधार पर जो कुछ मंत्रीगण बढ़ावा दे रहे हैं वह अपने को समझ लें, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उन्होंने इन लोगों को बढ़ाया है। अगर मेरी हत्या हो जाती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इस शासन की होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं। हमारे माननीय गेंदालाल गुप्त जी ने अपनी सुरक्षा के बारे में कहा है और जो उनको खतरा है, वह बता चुके हैं। माननीय गृह मंत्री जी इस माननीय सदन के प्रत्येक सदस्य का यह अधिकार है कि वह सरकार से अपनी पूर्ण सुरक्षा के लिए आकांक्षा करें और उसकी पूर्ति होनी चाहिये। मैंने माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध किया है कि वह माननीय सदस्य की बात सुन कर तत्काल इनकी सुरक्षा और इनके परिवार की सुरक्षा के लिये व्यवस्था करें। अब इस पर आगे बहस के लिये मैं आज्ञा नहीं देता हूं।

एक सदस्य—

मान्यवर, कोरम का अभाव है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई)

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम के लिये घंटी बजाई जा रही है। अगर कोरम पूरा हो जायगा, तो सदन चलेगा, वरना स्थगित हो जायगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, अब अनिश्चित काल के लिये स्थगित ही कर दिया जाय।

एक सदस्य—

मान्यवर, जो वक्तव्य रह गया है, वह कब लिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब सदन चलेगा ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जब कोरम पूरा होगा, तभी तो आप कोई प्रस्ताव ला सकते हैं । बिना कोरम पूरा हुए आप कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते ।

एक सदस्य—

मान्यवर, कोरम पूरा हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब कोरम पूरा हो जायगा, तो मुझे सूचना मिल जायगी । आप काहे के लिये चिन्ता कर रहे हैं ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

फर्रुखाबाद में आलू की कम पैदावार से विभीषिका के अवसर में आलू उत्पादकों के संकट के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, फर्रुखाबाद जनपद संपूर्ण देश में आलू के क्षेत्र एवं उत्पादन में अग्रणी है । इस वर्ष इस जनपद में अनुमान है कि ३०,००० हेक्टर क्षेत्रफल में आलू की बुवाई हुई है । प्रदेश में आलू के अप्रत्याशित उत्पादन को ध्यान में रखते हुए उसको देश के अन्य भागों में भेजने एवं निर्यात हेतु प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके ।

इस समय जो आलू की खुदाई की जा रही है, वह आलू कच्चा होने के कारण इसका निर्यात विदेशों को नहीं किया जा सकता है । आलू का विदेशों को निर्यात फरवरी, मार्च में फसल पक जाने पर ही हो सकेगा । भारत सरकार द्वारा पहले केवल २५,००० मैट्रिक टन निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई थी । भारत सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह प्रदेश से २ लाख मैट्रिक टन आलू के निर्यात की व्यवस्था करे । वाणिज्य आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार ने देश में आलू की स्थिति का अध्ययन करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि आलू निर्यात हेतु मात्रा का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा । निर्यात की मात्रा बढ़ाने एवं इससे संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करने हेतु कृषि सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक आज दिनांक ३०-१२-१९७८ को नई दिल्ली में आयोजित की गई है ।

इस समय जो आलू की खुदाई हो रही है, उसकी खपत प्रदेश एवं देश के अन्य प्रान्तों में ही की जा सकती है । प्रदेश में उत्पादित आलू को देश के अन्य प्रान्तों को

भेजने हेतु ३८,३०० रेलवे वैगनों की मांग, संचारण निदेशक, उत्तर प्रदेश एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर, मूवमेंट भारत सरकार को भेज दी गई थी । केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री जी से भी अनुरोध किया गया है कि वे समुचित मात्रा में रेलवे वैगनों की व्यवस्था करायें तथा आलू की ढुलाई के हेतु फर्रुखाबाद में किसी अधिकारी की नियुक्ति आलू के ढुलाई सीजन (दिसम्बर से अप्रैल) तक करायें की कृपा करें ।

कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के हेतु भारत सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह आलू का समर्थित मूल्य घोषित करें जिससे कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह भ्रामक है । उन्होंने यह कहा कि ९ लाख टन आलू के निर्यात की व्यवस्था के बारे में अनुरोध किया गया है । आखिर में यह भी उन्होंने कहा कि आलू के समर्थित मूल्य के लिये भी अनुरोध किया गया है । तो मान्यवर, वैगनों की व्यवस्था नहीं है, आलू सड़ रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस संबंध में कार्यवाही सरकार की तरफ से की गयी हो, तो बता दें ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, आज ही ३०/१२ को दिल्ली में बैठक बुलायी गयी है । आज बैठक इस संबंध में होने वाली है । आलू के निर्यात की हम व्यवस्था कर रहे हैं । वैगनों की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

मान्यवर, यह कैसी व्यवस्था करा रहे हैं ? आलू सड़ रहा है । वैगनों का प्रबन्ध करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बता चुके हैं ।

सदन के अनिश्चितकाल के स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर २९ मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

३० दिसम्बर, १९७८

आज्ञा से,

सत्य प्रिय सिंह

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी०—५३ वि० सभा—७-७-७९ ८५० प्रति (लाइनो) ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश